सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002–2007)

जनपद–बहराइच

अनुक्रमणिका बहराइच

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	जनपद की पृष्ठभूमि	1-4
2.	शैक्षिक परिदृश्य	5-12
3.	नियोजन प्रक्रिया	13-34
4.	सर्वाशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	35-37
5.	समस्याएं एवं रणनिति	38-43
6.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार	44-48
7.	शिक्षा गांरटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार	49-75
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	76-99
9.	गुणवत्ता संबंद्धर्न	100-127
10.	परियोजना क्रियान्वयन एक अनुश्रवण	128-142
11.	कुल परियोजना लागत	143-148
12.	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	149-150

अध्याय – 1
जनपद की पृष्ठ–भूमि

<u>जनपद परिचय</u>

जनपद बहराइच के कुल 14 सामुदायिक विकास-क्षेत्र हैं तथा क्षेत्रफल 5019 वर्ग किमी० है। जनपद का 1/6 भाग वनाच्छदित है । जनपद की सीमाओं में उत्तर में नेपाल राष्ट्र व जनपद श्रावस्ती, पूर्व में जनपद गोण्डा , दक्षिण में जनपद बाराबंकी तथा पश्चिम में जनपद सीतापुर व खीरी जनपद है । सीमा पर स्थित विकास खण्ड व नगर क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले हैं । जनपद के तीन क्षेत्र पंचायत में नवाबगंज, मिहिपुरवा तथा बलहा वनाच्छदित हैं । जनपद की मुख्य नदियॉ सरयू, घाघरा तथा राप्ती वर्षा ऋतु में विकराल रूप से बहती हैं। जिससे सम्बन्धित क्षेत्र की शैक्षिक गतिविधियॉ अत्यन्त प्रभावित हो जाती हैं ।

जनपद के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । भूमि का विवरण असमान है तथा आबादी के 75 प्रतिशत लोगों के पास एक हेक्टेयर से भी कम कृषि जोत है । अधिकांश लोग कृषि मजदूरी पर निर्भर है । प्रमुख कृषि उत्पादों में धान, गेंहू , गन्ना, मक्का, मसूर, अदरक तथा हल्दी है । प्रशासनिक तथा विकास की दृष्टि से जनपद का विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	तहसील	तहसील के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतें / नगर क्षेत्र
1-	बहराइच	1- चित्तौरा 2- नगर क्षेत्र 3- पयागपुर 4-विशेश्वरगंज
2-	नानपारा	1- बलहा 2- शिवपुर 3- रिसिया 4- नवाबगंज 5- मिहिपुरवा
3-	कैसरगंज	1- कैसरगंज 2- हुजूरपुर 3- फखरपुर 4- जरवल
4-	महसी	1- महसी 2- तेजवापुर

जनपद की कुल 136 न्याय पंचायतें हैं तथा कुल 901 ग्राम पंचायते हैं ।

सारणी – 1.1

जनपद की प्रशासनिक इकाइयॉ

तहसील	:	04
विकास खण्ड	:	14
न्याय पंचायत	:	136
ग्राम सभायें	:	901
राजस्व ग्राम	:	1527
बस्तियों की संख्या	:	3422

नगरीय क्षेत्र :–

नगर महापालिका	:	–
नगर पालिका	:	02
टाउन एरिया	:	02
वार्ड	:	23

जनसंख्या :– जनपद बहराइच सन् 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2384239 है । जिसमें पुरूष जनसंख्या 1278253 व महिला जनसंख्या 1105986 है। इसमें पयागपुर और विशेश्वरगंज विकासखण्ड सम्मिलित नहीं हैं। जनपद की जनसंख्या 415 प्रति वर्ग क़िमी० है । जो कि प्रदेश की जनसख्या घनत्व 689 प्रति वर्ग किमी से काफी कम है । इस लिए जनपद में छोटी–छोटी बस्तियॉ अपेक्षतया अधिक हैं । जनपद की 2001 की जनगणना अप्रकाशित है। उक्त आंकड़े अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर दिये ज़ा रहे हैं । जनसंख्या के क्रम में जनपद बहराइच की दस वर्षो में वृद्धि दर 29.55 प्रतिशत है । जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर पर 25% से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर से अनुसूचित जाति की जनसख्यां 360497 जो कि कुल आबादी 15.12 प्रतिशत है । अनुसूचित जनजाति ' थारू ' की संख्या 7988 है । ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कुल जनसख्या की 89.65 प्रतिशत है । जिसमें अधिकांश लोग कृषि कार्यो से जुडे हुए हैं ।

जनपद बहराइच में अनुसूचित जाति, जनजातियों की तरह ही मुस्लिम आबादी भी बहुतायत से है । मुस्लिम जनसख्यॉ की प्रतिशत कुल जनसख्या का 30.02 हैं । जो अनुमानतः 906010 है । भारत पाक विभाजन के समय पंजाब से आये सिक्खों की आवादी का प्रतिशत 0.19 है।

विकास खण्डवार/नगरवार क्षेत्र जनसंख्या

सारणी –1.2

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	जन गणना 1991					
		कुल जन संख्या			अनु०जाति की जन संख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	चित्तौरा	72451	60093	132544	18171	14940	33111
2.	फखरपुर	82748	70016	152764	10010	8344	18354
3.	कैसरगंज	61972	52229	114201	7378	6091	13469
4.	महसी	73701	62827	136528	12395	10503	22898
5.	मिहीपुरवा	112605	95976	208581	21511	18250	39761
6.	नवाबगंज	60807	51095	111902	13916	11520	25436
7.	तजवापुर	67594	56700	124294	8730	7323	16053
8.	शिवपुर	81301	67159	148460	12155	9830	21985
9.	हुजूरपुर	63163	53982	117145	8446	7018	15464
10.	रिसिया	68922	58355	127277	12159	9842	22001
11.	बलहा	76115	63134	139249	12517	10237	22754
12.	जरवल	71365	60502	131867	8264	6838	15102
13.	पयागपुर	66534	55978	122512	14425	11890	26315
14.	विशेश्वरगंज	69196	58771	127967	13077	10922	23999
15.	योग	1028474	866817	1895291	173154	143548	316702
16.	नगर क्षेत्र बहराइच	101706	88658	190364	6146	5086	11232
17.	वनक्षेत्र	3062	2135	5197	382	255	637
18.	योग	1133242	957610	2090852	179682	148889	328571

स्रोत – सांख्यिकी पत्रिका बहराइच ।

ईसाईयों का प्रतिशत 0.08 एवं बौद्धों का प्रतिशत 0.12 तथा जैन समुदाय के लोगों का प्रतिशत 0.02 हैं। इसके अतिरिक्त बांगला देश से विस्थापित हुए बंगाली तथा वर्मा से विस्थापित हुए भारतीय मूल के लोग भी इस जनपद के सीमावर्ती विकास खण्डों में बसे हुए हैं।

आर्थिक परिदृश्य

इन जनपद का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं वन आधारित है, इसी लिए जनपद में मुख्य रूप से सुगर मिल्स, राइस मिल्स, आयल मिल्स, फ्लोर मिल्स एवं दाल मिल्स मुख्य रूप से स्थापित है । उपरोक्त के अतिरिक्त इस जनपद में कत्था फैक्टरी एवं फर्नीचर उद्योग भी काफी संख्या में है । इस जनपद की कृषि भूमि वितरण अत्यन्त असमान है , लगभग 75% आबादी भूमिहीन अथवा अत्यन्त न्यून भाग में कृषि हेतु भूमि का मालिक है अन्यथा वह भूमि मजदूर है । भूमि का 50% भाग 9.0% लोगों में बॅटा है, जिससे कृषि उत्पादन एंव भूमि का दोहन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है । सभी प्रकार के संसाधनों से सिंचित होने वाले क्षेत्र का प्रतिशत मात्रा 27.5% है । यह उत्पादन को प्रभावित कर रहा है ।

इस समय जनपद में कुल 17 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियॉ तथा 5457 स्माल स्केल की फैक्ट्रियॉ संचालित हैं । जिसमें लगभग 20 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त है । इस तरह लगभग 5% आबादी अन्य छोटे–छोटे उद्योगों में लगी हुई है ।

जनपद के लगभग 75% गॉवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । ग्रम विकास की विभिन्न योजनाओं से पक्की/खण्ड़जा/मिट्टी की सड़कों से शतप्रतिशत राजस्व गॉवों को जोड़ा जा चुका है । सभी विकास खण्ड मुख्यालय तथा 90% ग्रामीण क्षेत्र दूरभाष संसाधन से जोड़ दिये गये हैं अथवा जोड़ने का कार्य प्रगति पर है ।

अध्याय – 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

इस जनपद में वर्ष सितम्बर 1999 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०II) परियोजना संचालित है , जिसमें शिक्षा की पहुंच का विस्तार ठहराव , गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में विकास के विशिष्ट उद्देश्य समाहित हैं, जिनका लाभ जनपद में शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने में मिल रहा है । प्रारम्भिक शिक्षा में सभी वर्गो का शतप्रतिशत नामांकन तथा गुणवत्ता वृद्धि करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान का शुभारम्भ इस जनपद में किया जा रहा है ।

1991 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 20.31% प्रतिशत है। जिसमें 29.61% पुरूष एवं 9.31% महिला साक्षर है । साक्षरता सम्बन्धी विवरण सारणी 2.1 में एवं विकास खण्डवार विवरण सारणी 2.2 में अंकित है ।

सारणी –2.1

कुल साक्षरता	20.31%
ग्रामीण साक्षरता	18.08%
नगरीय साक्षरता	42.30%
वन क्षेत्र साक्षरता	30.70%
कुल पुरूष साक्षरता	29.61%
कुल महिला साक्षरता	09.31%

नोट :– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 35.79% है, जिसमें महिला साक्षरता दर 23.27% व पुरूष साक्षरता दर 46.32% है ।

सारणी – 2.2

क्र०स०	वि०ख० का नाम	साक्षरता 1991			साक्षरता प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	मिहींपुरवा	26858	5562	32420	29.83%	7.53%	19.78%
2.	नवाबगंज	17627	3412	21039	35.49%	8.48%	23.41%
3.	बलहा	17310	2731	20041	28.14%	5.59%	18.15%
4.	शिवपुर	17508	2698	20206	26.09%	5.01%	16.71%
5.	रिसिया	18931	2799	21730	34.26%	6.14%	21.55%
6.	चित्तौरा	18314	3832	22146	39.92%	8.11%	20.98%
7.	महसी	22506	5339	27845	37.20%	10.64%	25.19%
8.	तजवापुर	18051	3729	21780	32.85%	8.20%	21.78%
9.	फखरपुर	22269	4924	27193	32.96%	8.92%	22.15%
10.	हुजूरपुर	16156	2935	19091	31.37%	6.86%	20.25%
11.	कैसरगंज	18189	4257	22446	36.11%	10.35%	24.53%
12.	जरवल	19419	4553	23972	33.71%	9.62%	22.85%
13.	पयागपुर	26255	5944	32199	48.42%	13.32%	32.58%
14.	विशेश्वरगंज	25412	5099	30511	45.75%	11.01%	29.96%
15.	योग ग्रामीण	284805	57814	342619	27.69%	6.67%	18.08%
16.	योग वनक्षेत्र	1225	368	1593	40.0%	17.2%	30.7%
17.	योग नगरीय	49530	30942	80472	48.7%	34.9%	42.3%
18.	योग जनपद	335560	89124	424684	29.61%	9.31%	20.31%

स्रोत – अर्थ एवं संख्या विभाग

नोट :– जनगणना 2001 के अनुसार विकास खण्ड/नगर क्षेत्रवार साक्षरता दर उपलब्ध नहीं है। अतः 1991 के अनुसार ही साक्षरता दर अंकित की गई है ।

सारणी – 2.3

जनपद का जी०ई०आर०

वर्ष	6-11 आयु के कुल बच्चे	कुल छात्र नामांकन	जी०ई०आर०	6–11आयु के कुल अनुसूचित जाति के बच्चें	अनुसूचित जाति कुल नामांकन	जी०ई०आर०
2001-02	359032	327726	91.0	–	–	–
2002–03	366213	347902	95.0	–	–	–

स्रोत – विभागीय आंकड़े ।

बालगणना के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय का नामांकन

वर्ष	११–१४ आयु के कुल बच्चे	कुल छात्र नामांकन	NER
2001–02	**147823**	**97150**	**65.7**
2002–03	**151666**	**102540**	**67.6**

श्रोत – विभागीय ऑकड़े

सारणी – 2.4
शिक्षकों की उपलब्धता(परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्ति तथा शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नवत् है ।

	सृजित	कार्यरत	रिक्त 01.07.2003	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की सं०
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	3739	2408	1331	2096
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	918	653	265	-

श्रोत – विभागीय ऑकड़े

सारिणी –2.5
शैक्षिक संस्थाएं

	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1- प्राथमिक विद्यालय	1749	33	1782	193	51	244	1852	84	1936	110	25	135
2- माध्यमिक विद्यालायों से सम्बद्ध प्राथमिक अनुभाग	-	-	-	03	02	05	03	02	05	-	-	-
3- उच्च प्राथमिक विद्यालय	312	10	322	71	18	89	330	28	358	08	12	20
4- प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च अनुभाग	02	02	04	46	05	51	48	07	55	-	-	-
5- केन्द्रीय विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6- नवोदय विद्यालय	-	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7- हाई स्कूल	04	-	04	20	-	20	24	-	24	-	-	-
8- इण्टर कालेज	-	02	02	28	05	33	28	07	35	-	-	-
9- डिग्री कालेज	-	-	-	-	-	-	04	02	06	-	-	-
10- स्नातकोत्तर महा विद्यालय	-	-	-	-	-	-	01	02	03	-	-	-
11- विश्व विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12- तकनीकी संस्थान	-	02	02	-	-	-	-	02	02	-	-	-
13- कम्प्यूटर संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	08	16	24	-	-	-
14- आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या	-	-	-	-	-	-	1551	-	1551	-	-	-
15- मकतब / मदरसे	-	-	-	-	-	-	03	01	04	143	30	173
16- संस्कृत पाठशालाएं	-	-	-	-	-	-	01	01	02	-	-	-
17- विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	01	01	02	-	-	-
18- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	01	-	01	-	-	-	01	-	01	-	-	-
19- बी०आर०सी०	14	-	14	-	-	-	14	-	14	-	-	-
20- एन०पी०आर०सी०	136	-	136	-	-	-	136	-	136	-	-	-

स्रोत बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

सारिणी 2.6
परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 Km. से कम दूरी पर विद्यालय	1 Km से अधिक किन्तु 1.5 Km. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 Km से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित प्रा० वि० तथा ई०जी०एस०
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है ।	684	490	285	0
ऐसी ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम हैं ।	766	895	302	180

परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 Km से कम दूरी पर उच्च प्रा० विद्यालय	3 Km से अधिक दूरी व उच्च प्रा० विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित उच्च प्रा० वि० तथा ज्ञानशाला
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक हैं ।	949	148	0
ऐसी ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम हैं ।	1995	330	180

	ग्रामीण	नगरीय	कुल
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	1659	33	1692
स्वीकृत (2003-04)	90	00	90
वर्तमान मे उपलब्ध उ०प्रा०वि०	259	10	269
स्वीकृत उ०प्रा०वि० (2003-04)	53	00	53

सारिणी 2.7
परिषदीय विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं

1- प्राथमिक स्तर	ग्रामीण क्षेत्र	नगर	योग
प्राथमिक विद्यालय	1749	33	1782
एक कक्षीय विद्यालयों की सं०	36	-	36
दो कक्षीय विद्यालयों की सं०	1479	24	1503
तीन कक्षीय विद्यालयों की सं०	104	09	113
चार कक्षीय विद्यालयों की सं०	130	-	130
पॉच कक्षीय विद्यालयों की सं०	-	-	-

शौचालय – शौचालय विहीन विद्यालय – 892

हैण्ड पम्प – हैण्ड पम्प युक्त विद्यालय – 1403

चहारदीवारी – चहारदीवारी विहीन – 1185

2- **उच्च प्राथमिक स्तर :–**

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या :– ग्रामीण– 312 (परिषदीय)

नगर– 10

जर्जर विद्यालयों की सख्या – 19

शौचालय विहीन – 130,

हैण्ड पम्प विहीन – 0

नोटः– सभी परिषदीय उ०प्रा०वि० भवन में 4 कक्ष हैं । कुल कक्षा कक्षों की सख्या – 1036 है । उपरोक्त में दशम् वित्त आयोग, जिला योजना और केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत प्रा०वि० सम्मिलित हैं ।

डी०पी०ई०पी० संचालन की अवधि में प्राथमिक विद्यालयों एंव शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है ।

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	प्रतिशत
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	1533	1692	1692	1782	5.4%
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	2402	2300	2450	2408	-

2 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षको की संख्या में कमी हुई है ।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कुल	बालिका
2000	53.05%	16.6%
2001	44.06%	14.1%

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है । विगत दो वर्ष में ड्राप आऊट दर 53.05 प्रतिशत से घटकर 44.6 प्रतिशत हो गया है जो महत्वपूर्ण है । यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं का ड्राप आउट में अन्तर क्रमशः समाप्त हो रहा है ।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (बहराइच)

यह जनपद डी०पी०ई०पी० से आच्छादित है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई०एम० आई०एस० इकाई सक्रिय रूप में 1999-2000 से कार्य कर रहा है । वर्ष 1999-2000 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वर्षिक शैक्षिक , सांख्यिकी नियमित रूप से तैयार की जा रही है । शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना व निर्माण व डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम सम्बन्धित निर्णयों में किया गया ।

जनपद के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षो में स्थिति निम्नवत् है :–

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
कक्षा – 1	71169	68515	71498	102195
कक्षा – 2	64013	64350	63807	81426
कक्षा –3	54692	57379	57511	64088
कक्षा – 4	34156	41148	42820	49935
कक्षा – 5	19796	24473	26456	37517
योग	243826	255865	262092	335161
जी०ई०आर	83.9%	85.4%	91.0%	95.0%
कुल बालिका	96577	101857	107938	147717
जी०ईआर०	70.0%	71.68%	75.72%	–

सारिणी 2.8

भौतिक सुविधाओं की मॉग

क्र०सं०	टाइटम सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्रथमिक स्तर		
		कमी	डी०पी०ई०पी /वित्त आयोग आयोग/ जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधान	मॉग	क्मी	थ्वत्त आयोग/ जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधान	
1.	नवीन विद्यालय	285	120	0	0	-	0
2.	विद्यालय पुर्ननिार्माण	132	94	0	30	-	30
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रतिशिक्षक/प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि)	1388	0	1388	15	-	15
4.	पेयजल सुविधा	-	-	-	-	-	-
5.	शौचालय	1192	300	892	892	-	130
6.	चहारदीवारी	1185	-	1185	0	-	0

अध्याय 3
नियोजन प्रक्रिया

पिछले अध्यायों में जनपद के शैक्षिक परिदृश्य पर वृहद प्रकाश डाला गया है । जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े जनपदों में से एक है। यह जानद शैक्षिक रूप से पिछड़ा हैं । इस जनपद में सामन्तवाद आज भी प्रभावी एवं परिपक्व रूप में विद्यमान हैं। जिसमें अनेकों प्रयत्नों के बाद भी भूमि का आवंटन तथा अन्य आर्थिक स्रोतों की बागडोर कुछ विशिष्ट वर्गो के हाथ में है । अपवंचित वर्ग में बाल विवाह आज भी पूर्ण रूपेण विद्यमान है, जिससे कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा अत्यधिक प्रभावित हो रही है । जनजातीय लोग इस समय भी उच्च प्राथमिक स्तरीय कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चे विवाहित ही मिलेगें । जनपद के दो विकास खण्ड क्रमश मिहीपुरवा एवं नवाबगंज की 100 Km. लम्बी सीमायें नेपाल राष्ट्र से मिलती है। इन सीमाओं पर अधिवांश मुस्लिम आवादी के लोग निवास करते हैं तथा थारू जनजाति के लोग भी सीमाओं में ही आसपस बहुतायत से रहते हैं। अधिकॉश वन क्षेत्र भी इसी सीमा पर ही स्थिति है, जिससे शैक्षिक सुविधयें यहॉ के निवासियों के पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं हो पायीं हैं । यह भी शिक्षा से अपवंचित होने का ए० महत्वपूर्ण कारण है ।

डी०पी०ई०पी० येाजना का शुभारम्भ इस जनपद में 1999 में डी०पी०ई०पी० द्वितीय के अन्तर्गत हुआ । जबकि योजना निर्माण से पूर्व जनपद श्रावस्ती व बहराइच एक में ही थे। बाद में संसाधनों के बंटवारे के कारण भी योजना का विस्तृत लाभ कम समय एवं बंटवारे के कारण जनपद बहराइच को प्राप्त नहीं हो सका ।

जनपद में कराये गये बी०ए०एस० तथा एस०ए०एस० सर्वे के अनुसार निम्न लिखित तथ्य प्रकाश में आये थे । जिन्हे डी०पी०ई०पी०के माध्यम से प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के अन्तर्गत दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । बी०ए०एस० के अनुसार कक्षा 2 में पढने वाले बच्चों की स्थिति :-

1- भाषा विषयक न्यूनतम अधिगम स्तर तक न पहुँचने वाले 59.7% बालकों एवं 64.9 % बालिकाओं को न्यूनतम अधिगम स्तर नहीं प्राप्त हो पाया है । इनमें अनुसूचित जाति के बच्चो का प्रतिशत 57.6 तथा अन्य पिछडी जाति के बच्चों का प्रतिशत 62.9 है ।

2- गणित विषय में न्यूनतम अधिगम स्तर तक न पहुँचने वाले बच्चों का प्रतिशत 50.1% है जबकि अनुसूचित जाति के 52.6 % एवं अन्य पिछडी जाति के 46.7% तथा अन्य के 53.7% बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर तक नहीं प्राप्त कर पाते । अन्य में अधिकॉश बच्चे अल्प संख्यक या मुस्लिम समुदाय के पाये गये ।

इसी तरह कक्षा पॉच में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति और भी दयनीय है । जिसमें भाषा में केवल 7.7 % बालक न्यूनतम अधिगम स्तर तक पहुँच पाये । बालिकायें मॉत्र 7.0% जबकि गणित में 21% बालक तथा 7.6% बालिकायें ही न्यूनतम अधिगम स्तर तक पहुँच पायीं ।

उपरोक्त वेस लाइन सर्वे से स्पष्ट है कि शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर पर भी जनपद की स्थिति दयनीय है ।

एस०ए०एस० से निम्नवत तथ्य प्रकाश में आये :—

1- बालिका शिक्षा निम्नलिखित कारणों से न्यूनतम स्तर पर पायी गयी —
घरेलू कार्य , गरीबी, महिला शिक्षिका का न होना बीमारी, तथा मुस्लिम सम्प्रदाय में परदा प्रथा बाल विवाह, धार्मिक शिक्षा , उर्दू शिक्षकों का न होना आदि ।

2- इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जो जानकारियॉ प्राप्त हुई उनके अनुसार गरीबी, अभिभावकों की अशिक्षा , परम्परायें , अभिभावकों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता का अभाव, बाल श्रम के माध्यम से आर्थिक लाभ का प्रयास , विद्यालयों में जागरूकता का अभाव, ग्राम शिक्षा समितियों की निष्क्रियता , समय से विद्यालयों का न खुलना, विद्यालयों का वातावरण रूचिकर न होना, नियमित विद्यालयों का संचालन न होना , विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था न होना, पाठ्यक्रम का परिवेश के अनुरूप न होना, शिक्षकों में पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी न होना, शिक्षकों की निम्न शैक्षिक योग्यता के कारण उनके द्वारा रूचि पूर्ण शिक्षा न दे पाना, अभिभावकों का नजरिया यह होना कि प्राथमिक शिक्षा अनुपयोगी है । मुस्लिम बच्चों के लिए उर्दू शिक्षक न होना, विद्यालय की टाइमिंग एवं अवकाश दिवसों की अधिकता, अधिकांश सरकारी कार्यों से शिक्षकों को जोड़कर विद्यालयी दिवसों को प्रभावित करना , शिक्षण दिवस मानक से बहुत कम होने से विद्यालय में ठहराव प्रभावित हो रहा है । आर्थिक असमानता तथा सामाजिक असमानता भी एक प्रमुख कारण पाया गया है ।

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि इस जनपद के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शिक्षा का स्तर अत्यन्त न्यून है । जनपद में शैक्षिक मानचित्रण न हो पाने के कारण ग्राम पंचायत , न्यायपंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर बैठके आयोजित करके सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गयी । उससे संलग्नक के अनुसार बिन्दु और समस्यायें उभर कर सामने आयीं । सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस०डी०आई० के माध्यम से बस्तीवार / ग्रामवार / ग्राम पंचायत वार सूचनायें संकलित की गयीं ।

आकडों के आधार पर उन बस्तियों की सूची तैयार की गयी है जहॉ नवीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ई०जी०एस० , ज्ञानशाला , ज्ञान केन्द्र , शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

इसी प्रकार नगर क्षेत्र के आकड़ों को आधार बनाकर उसे भी आवश्यक सुविधाओं से जोडने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है ।

योजना निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षक प्रतिनिधियें समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं एवं शिक्षा से रूचि रखने वाले समाज के नागरिकों से भी शैक्षिक विकास के विविध प्रकरणों पर चर्चा की गयी ।

नियोजना प्रक्रिया को तथ्य परक बनाने के लिए निम्न लिखित स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए जिसे आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए उनका विश्लेषण किया गया । विभिन्न स्तरों पर करायी गयी बैठकों का सार संक्षेप में निम्नवत् है:—

क्रमांक	जनपद, ब्लाक, न्यायपंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकें	तिथि	स्थान	प्रतिभागी सं०	आपसी विचार विमर्श से उभरे हुए प्रमुख शैक्षिक आवश्यकताओं के बिन्दु
1	2	3	4	5	6
1-	जनपद स्तर	1.10.2001	बी०एस०ए० कार्यालय	बी०एस० ए० –1 ए०बी०एस०ए०– 11 एस०डी०आई. 3 जिला समन्वयक 5 अन्य स्टाफ –- 5	1- शिक्षकों की कमी 2- शिक्षकों पर अन्य विभागों के कार्यो का अत्याधिक बोझ 3- विद्यालयों की असुरक्षा 4- शिक्षा समितियों की निष्क्रियता 5- विद्यालय के लिए भूमि की अनुउपल्बधता 6- शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमीं 7- शिक्षा मित्रों की चयन प्रक्रिया जनपद स्तरीय बनाना 8- बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नदियों द्वारा प्रतिवर्ष कटान में विद्यालय

					प्रभावित होते हैं जिससे नदियों के तटीय क्षेत्र में रहने वाली आवादी के लिए ई०जी०एस०, ए०आई०ई० केन्द्र संचालित करना । 9- मदरसों / मकतबों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय में बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था। 10-प्राथमिक / उच्च प्रा० स्तर पर रोजगार परक शिक्षा जिससे अपवंचित वर्ग के बच्चों में ठहराव लाया जा सके ।
					11- बालिकाओं को घरेलू व्यवस्थाओं से निजात दिलाने के लिए तथा विद्यालयों में लाने के लिए E.G.C.E. केन्द्र अथवा आंगन बाडी केन्द्र की व्यवस्था
2-	विकास खण्ड स्तर	3.10.2001	सभी विकास खण्डों के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक कार्यालय स्तर पर	सभी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापक ब्लाक समन्वयक न्यायपंचायत संमन्वयक	1- शिक्षक की कमी 2- बाढ़ क्षेत्र में आवागमन की असुविधा 3- स्थानीय शिक्षकों की भरती 4- निरीक्षण को प्रभावी बनाना 5- न्याय पंचायत समन्वयकों को पूर्णतः मुक्त करके पर्यवेक्षण कार्य कराना
3.	जनपद स्तर	5.10.2001	जिलाधिकारी कैम्प	जिलाधिकारी/ मुख्य विकास	1- स्थानीय शिक्षक / ग्राम शिक्षक की व्यवस्था

			कार्यालय	अधिकारी /जिला विकास अधिकारी/ उपमुख्य चिकित्साधिकारी / जिलाकार्यक्रम अधिकारी तथा अन्य स्तरीय अधिकारी	सम्बन्धित बस्ती/ ग्राम स्तर से सुनिश्चित करना तथा उसकी चयन प्रक्रिया संशोधित करना । 2- बाढ़ क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था की जाये अध्यापकों की कमी । 3- शिक्षण संस्थाओं से व्यक्तियों को संतृप्त किया जाये । 4- अमान्य विद्यालयों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये । 5- प्रतिमाह ऐसे बच्चों का पता लगाया जाये कि कितने बच्चें विद्यालय नही आ रहे हैं । 6- बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्ष।ण कराया जाये । अन्य शासकीय कार्यो से जुडें लोगों का शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग लिया जाये । 7- माह में एक विद्यालय दिवस तथा वर्ष में एक बार विद्यालय वार्षिकोत्सव मनाया जाये । 9- आदिवासी एवं वन क्षेत्रों में मानक में शिथिलता देते हुए शिक्षकों एवं विद्यालयों की व्यवस्था की जाय।
4-	जनपद स्तर	6.10.2001	अध्यक्ष जिला पंचायत कार्यालय	अध्यक्ष जिला पंचायत --1 माननीय	1- शिक्षकों की कमी 2- शिक्षकों पर अन्य विभागों के कार्यो का अत्यधिक बोझ

				विधायक गण -1 अपर जिलाधिकारी नियाजन -1 बी०एस० ए० –1 ए०बी०एस०ए०–1सदस्य जिला पंचायत -3	3- विद्यालयों की असुरक्षा 4- अल्प संख्यक क्षेत्रों में स्थित मकतब मदरसों में बुनियॉदी शिक्षा व्यवस्था न होना । 5- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था 6- स्थानीय आवश्यकता के अनुसार रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था । 7- शिक्षा के प्रति जागरूकता 8- दूर दराज के विद्यालयों में स्थानीय अध्यापकों की व्यवस्था 9- छात्रो की योग्यता या सम्प्राप्ति का परीक्षण कराने के लिए विशेष प्रकार के संसाधन दिये जाये । 10- प्रत्येक विद्यालयों में महिला अध्यापिकओं की व्यवस्था की जाये । 11- बाढ प्रभावित क्षेत्रा में कैम्प लगाकर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये
5-	ग्राम स्तर	6.10.2001	बम्भौरा	प्रा०वि०जरवल रोड के शिक्षक -6 ग्राम प्रधान .1 ग्राम पंचायत सदस्य -4 अभिभावक -3	1- विद्यालयों में शिक्षक की व्यवस्था छात्र संख्या के आधार पर करायी जाये 2- विद्यालय अवस्थापना हेतु अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाये ।

				अन्य नागरिक - 8	3- विद्यालय का वातावरण रूचिकर बनाने के लिए अधिक कक्षों वाले विद्यालयों को रंगाई पुताई हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था ।
6-	ग्राम स्तर	6.10.2001	महसी	प्रा०वि० महसी के शिक्षक -5 अभिभावक -3 सदस्य ग्राम पंचायत -3 उप प्रधान -1	1- छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था । 2- प्रशासनिक कार्यो का विकेन्द्रीकरण 3- विद्यालयों के रख रखाव हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि 4- बालिका शिक्षा हेतु ग्रामीण महिलाओं का अभिप्रेरण ।
7-	ग्राम स्तर	6.10.01	सेमरीघटही	जू०हा० स्कूल सेमरीघटही के शिक्षक -2 अभिभावक -5 सदस्य ग्राम पंचायत -2 अन्य नागरिक -56	1- शिक्षकों की कमी तत्काल दूर की जाये । 2- दुरूह क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के लिए निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था 3- बाढ प्रभावित क्षेत्र के विद्यालयों के रख रखाव का विशेष ध्यान 4- जल प्लावित क्षेत्रों में कुछ माह के लिए शिक्षण का विशेष पैकेज
8-	ग्राम स्तर	6.10.2001	फखरपुर	प्रा०पा० फखरपुर के शिक्षक -4 अभिभावक -8 अन्य नागरिक -5	1- शिक्षकों की कमी दूर की जाये 2- शिक्षकों को शिक्षण के अधिकाधिक दिवस उपलब्ध कराये जाये ।

					कराये जाये । 3- आवश्यक संख्या में शिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाये । 4- सभी विद्यालयों के लिए शिक्षक संख्या के आधार पर समय सारिणी बनायी जाये । 5- शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया जाये ।
9-	ग्राम स्तर	6.102001	भगवानपुर काजी	प्रा०वि०भगवानपुर शिक्षक -2 –अभिभावक -7 ग्राम पंचायत सदस्य -3–	1- गॉव के सभी विद्यालयों मे आवश्यक संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था । 2- स्थानीय शिक्षकों की व्यवस्था । 3- शिक्षण दिवसों को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को विविध कार्यो से अलग किया जाये । 4- विद्यालय वातावरण को रूचिकर बनाया जाये ।
10-	न्यायपंचायत स्तर	8.10.2001	अट्ठैसा	जू०ह०स्कूल मुस्तफाबाग के शिक्षक - 3 अभिभावक -5 सदस्य ग्राम पंचायत -2अन्य नागरिक -4	1- वन क्षेत्र तथा अदि वासियों के लिए शिक्षण का विशेष पैकेज 2- सभी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर की जाये । 3- इन क्षेत्रों के विद्यालयों के रख रखाव एवं निर्माण हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराये जाये 4- बाढ़ क्षेत्रों में स्थित

					विद्यालयों के लिए अतिरिक्त संसाधन दिये जाये ।
11-	,,	8.10.2001	सरवा	जू०ह०स्कूल चाकूजोत के शिक्षक -4 अभिभावक -2 सदस्य ग्राम पंचायत -3 अन्य नागरिक -5	1- न्याय पंचायत में स्थित विद्यालयों में शिक्षक की कमी दूर किया जाये । 2- जनसहभागिता गोष्ठियों के, माध्यम से बालिका शिक्षा के लिए प्रयास किये जाये । 3- न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों की शिक्षा समितियों की सक्रियता बढायी जाये ।
12-	,,	8.10.2001	कुण्डासर	जू०हा०स्कूल कुण्डासर के शिक्षक -5 अभिभावक -2 सदस्य ग्राम पंचायत -3	1- न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों में शिक्षक की कमी दूर की जाये । 2- शिक्षक उपस्थिति नियमित करने के लिए शिक्षकों को अन्य विभागों के विविध कार्यो में न लगाया जाये । 3- सभी विद्यालयों में ग्राम शिक्षक की व्यवस्था की जाये ।
13-	,,	8.10.2001	गजाधरपुर	जू०हा० स्कूल गजाधरपुर के शिक्षक -4 अभिभावक -5	1- विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर की जाये 2- सभी विद्यालयों में स्थानीय शिक्षकों के माध्यम से

				सदस्य ग्राम पंचायत -2 बी० डी० सी० सदस्य -1	विद्यालय नियमित किया जाये । 3- शिक्षकों को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यो में न लगाया जाये 4- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाये ।
14-	नगर स्तर	8.10.2001	नगर क्षेत्र	जू०हा०स्कूल अमीरमाह के शिक्षक -4 अभिभावक -5 सभासद -1 अन्य नागरिक -10	1- उपलब्ध विद्यालय में ही संसाधनों की वृद्धि करना। 2- मानक के अनुसार शिक्षण कक्षों की व्यवस्था तथा संचालित विद्यालयों में अतिक्रमण एवं सुरक्षा की दृष्टिगत करते हुए चहार दीवारी की व्यवस्था 3- शिक्षकों की मानक के अनुसार व्यवस्था । 4- मलिन बस्तियों में अधिकाधिक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था
15-	विकास खण्ड स्तर	8.10.2001	बाबागंज जमुनहॉ	जू०हा०र०बाबागंज के शिक्षक -8 अभिभावक -5 अन्य नागरिक -6 बी०डी०सी० सदस्य -1	1- शिक्षको की कमी दूर करना । 2- शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। 3- शिक्षकों में असामाजिक बदलाव के अनुसार स्वयं को बदलने के लिए विशेष

					प्रशिक्षण देना । 4- आवश्यकतानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराना। 5- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले पात्र बच्चों को छात्र वृत्ति एवं अन्य सुविधाओं से लाभान्वित करना ।
16-	,,	9.10.2001	बलहा	जू०हा०स्कूल बलहा के शिक्षक -3 अभिभावक -4 ग्राम प्रधान -1 बी०डी०सी० सदस्य -1	1- विद्यालयों से शिक्षकों की कमी दूर करना 2- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के लाभार्थी बच्चों को छात्रवृत्ति एवं मील सुविधा उपलब्ध कराना 3- आवश्यकतानुसार शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना । 4- बच्चों के ठहराव के लिए आवश्यक प्रयास किये जाये। 5- नियमित शिक्षक अभिभावक संघ की बैठकें करायी जायें । 6- छात्रवृत्ति मासिक / वार्षिक सत्रांन्त में दी जाये जिससे बच्चे आने वाले वर्ष में आवश्यक तैयारी से विद्यालय में आये ।
17-	विकास खण्ड स्तर	11.10.2001	जरवल	विकास खण्ड मुख्यालय जरवल कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी — सात सहायक बेसिक शिक्षा	1- शिक्षकों की कमी दूरी की जाये । 2- EGS/AIE केन्द्रो को खोला जाये 3- मकतब मदरसों में औपचारिक शिक्षा के पाठ्य क्रमों की

				अधिकारी -1 ग्राम प्रधान -18 सदस्य बी०सी० 10 , ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 25	व्यवस्था 4- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैम्प के माध्यम से शिक्षण सुविधा दी जाये । 5- बलिका शिक्षा हेतु महिलाओं को अभिप्रेरण हेतु कार्यशाला आयोजित की जाये । 6- विद्यालयों को आकर्षक बनाने के लिए चहरदिवारी की व्यवस्था हो ।
18-	"	10.10.2001	महसी	महसी में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी छः सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी -1 ग्राम प्रधान -8 सदस्य बी०सी० 10 , ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 15	1- आवश्यतानुसार शिक्षकों की व्यवस्था तथा रिमोड ऐरिया में विशेष रूप से स्थानीय शिक्षक नियुक्त किये जायें । 2- पूर्व माध्यमिक स्तर पर विशेष रोजगार परक शैक्षिक कार्यक्रम बनाये जाये । 3- क्षेत्र की भौगौलिक कठिनाईयों को देखते हुए बाढ़ क्षेत्र में जुलाई से अक्टूबर माह तक के लिए कैम्प के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था की जायें ।
19-	विकास खण्ड स्तर	10.10.2001	मिहींपुरवा	विकास खण्ड मुख्यालय मिहीपुरवा के कार्यरत अधिकारी कर्मचारी दस	1- शिक्षकों की कमी तत्काल दूर करना । 2- वनक्षेत्र तथा सीमाक्षेत्र पर विद्यालयों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना तथा नियमों में शिथिलता

				सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी -1 बी०डी०सी० सदस्य -25 ग्रा० पं० वि० अ० 35	देकर विद्यालय , शिक्षक एवं शिक्षण केन्द्रो की व्यवस्था । स्थानीय /ग्राम शिक्षकों की अधिकाधिक व्यवस्था । 3- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की व्यवस्था । 4- जनजातीय क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान । 5- महिलाओं के अभिप्रेरण हेतु विविध कार्यक्रम । 6- माइग्रेटेड आबादी के थ्लए आवश्यकतानुसार ोजना
20-	"	10.10.2001	चित्तौरा	चित्तौरा के कार्यरत अधिकारी कर्मचारी नौ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी -1 बी०डी०सी० सदस्य -10 ग्रा० पं० वि० अ० 30 ग्राम प्रधान -15	1- शिक्षको का समायोजन सुनिश्चित करना । 2- आवश्यकतानुसार पू०मा०वि० की व्यवस्था सुनिश्चित करना । 3- विद्यालयों में रूचि पूर्ण वातावरण बनाना 4- मरम्मरत योग्य विद्यालयों को ठीक करना । 5- स्थानीय स्तर पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में संशोधन करना । 6- एन०पी०आर०सी० व बी०आर० सी० समन्वयकों को कार्य के प्रति उत्तरदायी बनाना ।
21-	विकास खण्ड स्तर	10.10.2001	शिवपुर	शिवपुर के कार्यरत अधिकारी/. कर्मचारी -5 सहायक बेसिक	1- शिक्षकों की पूर्ति की जाये। 2- बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज तैयार किये जायें ।

				शिक्षाधिकारी -1 ग्राम प्रधान । अन्य सदस्य 5	3- कैम्प के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था की जाये
22-		11.10.01	हुजूरपुर	हुजूरपुर के कार्यरत अधिकारी कर्मचारी दस सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी -1 बी०डी०सी० सदस्य -10 ग्रा० प्रधान-15 अन्य -30	1- शिक्षक की कमी दूर करना । 2- छात्र संख्या के अनुसार विद्यालयों से शिक्षकों का समायोजन करना । 3- बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में अन्य तरीके से शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 4- स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना । 5- शिक्षकों एवं अभिभावकों में आपसी समझ विकसित करना
23-		11.10.2001	फखरपुर	फखरपुर के कार्यरत अधिकारी कर्मचारी छ' सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी -1 ग्राम पधान -15 ग्रा० प्रधान-25 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी -28	1- शिक्षकों की कमी दूर करना । 2- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना । 3- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु विशेष योजना बनाकर शिक्षा की व्यवस्था करना। 4- ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रियता सुनिश्चित करना । 5- नदी कटान वाले क्षेत्र में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था कराना ।

24-		15.10.2001	नवाबगंज	नवाबगंज के कार्यरत अधिकारी कर्मचारी दस सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी -1 शिक्षक -5 अन्य -33	1- शिक्षकों की कमी दूर करना 2- आवश्यकतानुसार विद्यालयों की व्यवस्था । 3- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाना । 4- अमान्य विद्यालयों को आवश्यकतानुसार मुख्य धारा से जोड़ना । 5- स्वयं सेवी संस्थाऐं बनाकर उनके सहयोग से बच्चों की समय उपलब्धता के अनुसार शिक्षण व्यवस्था । 6- बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हेतु विशेष शिक्षण व्यवस्था ।
25-	विकास खण्ड स्तर	16.10.2001	बलहा	बलहा के कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी 6 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी 1 अन्य 20	1- विद्यालयों में शिक्षकों की कमी 2- विद्यालयों में कक्षा कक्षों की कमीं । 3- बालिका शिक्षा हेतु महिलाओं में चेतना का अभाव । 4- भौगोलिक कठिनाईयों के अनुरूप विशेष शिक्षण योजना ।
26-	जनपद स्तर	17.10.2001	B.S.A. कार्यालय	शिक्षक प्रतिनिधियें के साथ बैठक	1- शिक्षकों की कमी 2- कम छात्रों वाले विद्यालयों से शिक्षकों का समायोजन 3- विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप कक्षाओं की व्यवस्था । 4- विद्यालयों में सेवित क्षेत्र के ही बच्चों का ही प्रवेश

					5- सभी विद्यालयों में शिक्षकों की समान व्यंवस्था 6- शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयत्न 7- गांव की महिलाओं को शिक्षा के महत्व से अवगत कराना। महिला जागरूकता/महिला सम्मान कार्यक्रमों को बढावा ।
					8- लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर प्रसारित करना 9- सभी क्षेत्रों को पू०मा०स्तर तक सेवित करना तथा दुर्गम क्षेत्र में मानक में शिथिलता देना । 10- बच्चों के स्वास्थ्य की देख भाल हेतु व्यवस्था ।

योजना निर्माण के पूर्व उक्त बैठकों के पहले 1 जुलाई से 31 जुलाई तक योजना बद्ध ढंग से इस वर्ष स्कूल चलों अभियान का संचालन किया गया इस अभियान का संचालन करने के लिए प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशन में भारत सरकार की सहायता से जनपद स्तरीय उच्चाधिकारियों की एक समिति गठित की गयी जिसमें जिलाधिकारी महोदय इसके अध्यक्ष थे तथा अन्य सभी जनपद स्तरीय अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी , ब्लाक स्तरीय अधिकारी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रमुखों को सम्मिलित किया गया । कार्यक्रम के पहले चरण में वातावरण सृजन , जन सम्पर्क , रैली प्रभात फेरी आदि का आयोजन दिनांक 1.7.2001 से लेकर दिनांक 15.7.2001 तक की गयी । जिसमें जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में जनपद के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के बच्चों की रैली निकाली गयी ।

ब्लाक स्तर पर स्कूल चलों अभियान के विविध कार्य मों के संचालन हेतु एक नोडल अधिकारी जनपद स्तर से नामित किया गया जिसकी देख – रेख में सहायक बे०शि० अ० एवं खण्ड

[illegible] अधिकारी के माध्यम से ब्लाक , न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विविध कार्य मों का [illegible] करके शिक्षा में लोगों के प्रति जागरूकता बढाने का प्रयास किया गया ।

दिनांक 16.7.2001 से 31.7.2001 तक बाल गणना को अद्यतन करते हुए स्कूल न जाने [illegible] शाला त्यागी बच्चों का चिन्हीकरण एवं नामांकन प्रारम्भ किया गया । इस कार्य के पर्यवेक्षण [illegible] पंचायत स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, न्याय पंचायत समन्वयक , न्याय पंचायत के [illegible] एवं वरिष्ठतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक की एक कमेटी गठित करके चिन्हींकरण एवं [illegible] कार्यो को कुशलता पूर्वक करने के लिए परिवेक्षण की जिम्मेदारी दी गयी। जनपद बहराइच [illegible] विद्यालय न जाने वाले /शाला त्यागी चिन्हित बच्चों की संख्या 92105 हैं जिसमें अब तक [illegible] को नामांकन कराया जा चुका है ।

स्कूल चलों अभियान से यह बिन्दु ऊभर कर सामने आया कि अत्यधिक शाला त्याग का [illegible] है सुविधा पूर्ण शिक्षण संस्थाओं का शुलभ न होना, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के

कारण एवं शिक्षकों की अरूचि के कारण समुचित रूप से शिक्षण व्यवस्था न होना [illegible] अभिभावकों में यह भावना घर कर गई है कि प्राथमिक विद्यालय केवल छात्र वृत्ति एवं पोषाहार [illegible] मात्र हैं ।

अभिभावकों में यह भी भावना घर कर गई है कि कक्षा आठ तक की शिक्षा उनके लिए [illegible] है । क्योंकि आठ साल का लम्बा समय विद्यालयों में व्यतीत करने के बाद भी बच्चे किसी [illegible] योग्य नही बन पाते हैं जबकि विभिन्न प्रकार के कारीगरी के कार्यो में अथवा खेती बाडी के [illegible] रहने से घर की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उनका योगदान रहता है । जिससे [illegible] प्रारम्भिक शिक्षा के आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रम अथवा घरेलू कार्यो में लगाये रहना है ।

यह भी पाया गया कि अधिकॉश विद्यालय शिक्षण हेतु अपनी समय सारिणी नहीं बनाते [illegible] हेतु उपलब्ध कराई गयी सामग्री का समुचित उपयोग नहीं कर रहें हैं जिससे गुणवत्ता पूर्ण [illegible] कार्य प्रभावित हो रहा है । इस ओर भी विशेष प्रयास कियें जाने की आवश्यकता है ।

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों से [illegible] तथा समन्वय :–

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास एंव उन्नयन हेतु निम्न लिखित विभागों से सुनियोजित ढंग से [illegible] प्राप्त किया जाता है । डी०पी०ई०पी योजना में माडल कलस्टर की न्याय पंचायतों केन्द्रों, [illegible] केन्द्रों को चयनित करके बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए उनका सहयोग लिया जा रहा है ।

A- आई० सी०डी०एस० के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, एन०जी०ओ० आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह व विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया गया है और निम्न प्रकार से आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय स्थापित किया गया है –

1- विद्यालयों के समय के अनुसार ऑगन बाडी केन्द्रों का समय निर्धारित किया गया है

2- विद्यालय परिसर में ही ऑगनबाडी केन्द्रों की स्थापना की गयी है ।

3- ऑगन बाडी केन्द्रों में सहायक शिक्षण सामग्री हेतु धन उपलब्ध कराया गया है ।

4- ऑगन बाडी केन्द्रो के मजबूती हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया गया है ।

5- ऑगन बाडी केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समय हेतु अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है ।

B _ स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय :–

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रति वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों /छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है तथा चिन्हित रोगी छात्र / छात्राओं के अभिभावकों को समुचित देख भाल हेतु अवगत कराया जाता है । स्वास्थ्य कार्डो का रख रखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक/पंजीकृत चिकित्सकों की सेवायें ली जाती है चिकित्सकों के आने जाने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करता है ।

C- समाज कल्याण विभाग से समन्वय :–

समाज कल्याण विभाग की सहायता से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनु०जाति के सभी बच्चो को सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन हेतु क्रमशः ३०० रू. व ४८० रू० प्रति वर्ष छात्र की दर से छात्र वृत्ति प्रदान की जाती है ।

D- ग्राम पंचायतों से समन्वय :–

असेवित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु निः शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती है जहॉ पर विद्यालयों का निर्माण संचालित किया जता है । ग्राम पंचायतों को मोटीवेट करके उनकी सहायता से विद्यालयों की लघु मरम्मत आदि कार्यो के लिए सहयोग लिया जाता है । विद्यालयों में छात्र वृत्तियों एवं पोषाहार का वितरण भी उनके सहायता से कराया जाता है ।

E- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय :–

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में 80% मासिक उपस्थिति वाले छात्रों को प्रति छात्र/छात्रा ३ कि०ग्राम की दर से पोषाहार वितरित कराया जाता है ।

F- विकलॉग कल्याण विभाग से समन्वय :–

विकलॉग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलॉग छात्र /छात्राओं के आवश्यक उपकरण जैसे ट्रायसाइकिल, वैशाखी आदि उपलब्ध कराया जाता है, बच्चों के चिन्हींकरण में सहयोग किया जाता है शासन द्वारा यह आदेश दिया गया है कि विकलॉगों के सहायतार्थ उपकरणों / संयत्रों के वितरण में छात्र / छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये ।

G- **उ० प्र० जल निगम/यू०पी० एग्रो से समन्वय :–**

इन दोनों विभागों के सहयेाग से प्रत्येक विद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध् कराने हेतु हैण्डपम्पों (इण्डिया मार्का– II) की स्थापना की जाती है ।

H- **युवा कल्याण विभाग से समन्वय :–**

युवा कल्याण विभाग की सहायता से छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है जिससे उनमें खेल भावना का विकास हो सके , नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगलदल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्य क्रम चलाये जाते है तथा महिला मंगल दल के सहयोग से **ग्रामीण** महिलाओं को अभिप्रेरित कर पूर्व से स्थापित परम्पराओं में सुधार एवं अन्ध विश्वासों को समाप्त करके बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को बताया जाता है ।

I- **पिछडा वर्ग कल्याण विभाग :–**

इस विभाग द्वारा कक्षा 3 से 5 के मध्य अध्ययन करने वाले दो– दो पिछड़ी जाति के बच्चों को तथा 7 से 8 तक के तीन तीन बच्चों को आर्थिक आधार पर क्रमशः 300/- एवं 480/- की की दर से छात्र वृत्ति वितरित की जाती है तथा पिछडी जाति के विकास के लिए अनुदान एवं सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है जिससे पिछडी जाति के बच्चों के नामांकन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है । इस व्यवस्था में विस्तार करते हुए E.G.S./ A.i.E. केन्द्रो के बच्चों को भी छात्र वृत्ति उपलब्ध कराने से इन केन्द्रों के संचालन पर व्यापक प्रभाव पडेगा ।

J- **अल्पसंख्यक कल्याण विभाग :–**

इस विभाग से समन्वय करके मुस्लिम तथा अन्य अल्प संख्यक जातियों के बच्चों को कक्षा एक से पॉच तक तीन सौ रू० की दर से तथा कक्षा 6 से 8 तक 480/- की दर से छात्र वृत्ति उपलब्ध करायी जाती है जिससे प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन का व्यापक प्रभाव पडा है । इस विभाग द्वारा अल्प संख्यक जाति के परिवारो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर रोजगार शुलभ कराया जाता है । जिससे शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, परन्तु आज भी मुस्लिम जाति का जन मानस विविध धार्मिक अन्ध विश्वासों से प्रभावित है , जिससे अनकी विद्यालयों में पूरे समय तक उपस्थिति नहीं सुनिश्चित हो पाती है । जिसका प्रभाव विद्यालय के अन्य बच्चों पर भी पड़ता है ।

K- **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा :—**

इस संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु 60% की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस विभाग से समन्वय स्थापित करके शिक्षण संस्थाओं की मरम्मत एवं निर्माण हेतु धनराशि समय पर उपलब्ध हो जाने से पहुॅच एवं ठहराव बढ़ाने में सहयोग प्राप्त होता है । विद्यालयों को मार्गो से जोड़ने के लिए इन संस्थओं का सहयेाग लिया जाता है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के इंजीनियर के सहयोग से विद्यालय निर्माण हेतु तकनीकी पर्यवेक्षण की सुविधा उपलब्ध होती है जिससे निर्माण कार्य मजबूत एवं समय के अन्तंर्गत पूर्ण हो जाता है ।

L- **जिला पंचायत / जिला शिक्षा समिति से समन्वय :—**

इन संस्था का शिक्षा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है । विद्यालयों के स्थल चयन से लेकर विद्यालयों के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति में जिला पंचायत का महत्व पूर्ण योगदान होता है । जिला पंचायत के सहयोग से विद्यालयों हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं विकास विभाग से अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाता है । जिससे शिक्षा के विकास को गति मिलती है ।

उपरेाक्त सभी विभागों का और अधिक सहयोग लेने के लिए तथा वेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए निरन्तर कार्यशालाओं बैठकें तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिससे सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें सहायता मिलेगी ।

M- **विकास विभाग का सहयोग :—**

विकास विभाग के सहयेाग एवं पोषाहार वितरण को प्रभावी बनाया जाता है । खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से विद्यालय का स्थल चयन तथा समुचित स्थल पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाता है ।

N- **क्षेत्र विकास समिति का सहयोग :—**

क्षेत्र विकास समिति के माध्यम से विभागीय कार्यो के विकास हेतु विशेष प्रयास किये जा रहें हैं तथा शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए समय – समय पर गोष्ठियॉ की जाती हैं । EGS/AIE की स्थापना में भी उनका सुझाव तथा सहमति ली जाती है शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को जन – जन तक प्रभावी बनाने में भी इस संस्थान से विशेष बल मिलता है । विद्यालयों को खडंजा मार्ग से जोडने के लिए इस समिति का विशेष सहयोग प्राप्त होता है । क्षेत्र पंचायत स्तर पर इस समिति द्वारा शिक्षा के विकास के लिए किये जा रहें प्रयास सराहनीय हैं ।

जिला पंचायत एवं क्षेत्र विकास समिति के माध्यम से सांसद और विधायक निधियों के

माध्यम से विद्यालयों के विकास हेतु अधिकाधिक सहायता प्राप्त करने के लिए विभागीय प्रयास किये जा रहें हैं । उपरोक्त निधियें से मान्यता एवं सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए विशेष अनुदान दिया जा रहा है , जिससे शिक्षा का अनवरत विकास हो रहा है । परिषदीय संस्थाओं हेतु भी इस कार्य को और व्यापक बनाना होगा ।

31 जुलाई 2003 तक हाउसहोल्ड सर्वे द्वारा चिन्हित बच्चों के नामांकन के उपरान्त शेष बच्चें जो विद्यालय न जाने वाले उनके प्रवेश हेतु अपनायी गयी रणनीति की कार्ययोजना : वर्ष 2003-04

जनपद : बहराईच

आयु वर्ग	31.07.03 के पश्चात् विद्यालय न जाने वाले			प्रवेश हेतु अपनाई गई रणनीति	कब से कब तक	
	बालक	बालिका	योग			
5-6	4365	3791	8156	- जनजागरण पखवारा द्वारा प्रवेश अभियान चलाकर बच्चों का नामांकन कराना। - माता शिक्षक संघ, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक गोष्ठियाँ तथा महिला प्रेरक समूहों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय, इ0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों पर प्रवेश दिलाना। 136 ब्रिज कोर्स कैम्प द्वारा नामांकन।	01.08.03	30.09.93
7-10	8241	6444	14685	- जनजागरण द्वारा, ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा, महिला प्रेरक दलों द्वारा शिक्षक-अभिभावक संघों के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों पर प्रवेश दिलाना। - जनजागरण अभियान के माध्यम से बच्चों के प्रवेश हेतु घर-घर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। 136 ब्रिज कोर्स कैम्प द्वारा नामांकन।	01.08.03	30.09.93
11-14	4397	4402	8799	- जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 53 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ए0आई0ए0 के 150 नवीन केन्द्रों पर एक अभियान चलाकर बच्चों का शत् प्रतिशत् नामांकन किया जाएगा। - इस कार्य हेतु ग्राम शिक्षा समितियों/माता-शिक्षक संघ/ अभिभावक शिक्षक संघ/महिला प्रेरक दल तथा मीना मंच के सदस्यों का सहयोग लिया जायेगा। - जनपद स्तर/न्याय पंचायत स्तर पर ब्रिज कोर्स कैम्प के माध्यम से मुख्य धारा में बच्चों कको जोड़ा जायेगा।	01.08.03	30.09.93
योग	17003	14637	31641			

अध्याय - 4

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य

भारत सरकार के केन्द्र पुरो निधानित योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान' वर्ष 2002 से 2007 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। नवी पंच वर्षीय योजना तक केन्द्र और राज्य सरकार के अंशदान का प्रतिशत 85: 15 , दसवी पंचवर्षीय योजना मे अंशदान का प्रतिशत 75: 25 तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में अशंदान का प्रतिशत 50: 50 रहेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य :-

1) 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को 2007 तक प्रांसगिक तथा उपयोगी शिक्षा प्रदान करना।

2) सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विमताओं को दूर करना।

3) ई0 सी0 सी0 ई0 के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानां तंथा वय वर्ग का विस्तार 0-14 कराना। आई0 सी0 डी0 के प्रयास को समर्थन देना तथा जहॉ आई0 सी0 डी0 एस0 नही है, वहॉ स्वयं सेवी संगठनों की सहायता लेना।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य :-

1. 2003 तक सभी बच्चों को औपचारिक विघालयों, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, वैकल्पिक विघालयों, वापस विघालय चलो कैम्पों आदि से नांमाकन कराना।

2. 2007 तक कक्षा 5 तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा सभी पूरी कराना।

3- 2007 तंक कक्षा 8 तक सभी बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा पूरी कराना।

4- सन्तोषजनक गुणवत्ता युक्त प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान कराना।

5- जेण्डर तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कराना।

6- 2007 तक शत प्रतिशत धारण।

उपरोक्त सभी राष्ट्र ीय लक्ष्यों को जनपद स्तर का लक्ष्य मान लिया गया है। उक्त लक्ष्यों के सापेक्ष जनपद के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

जनपद नामांकन का लक्ष्य :–

वर्ष १९९१ तथा २००१ की जनगणना के आंकड़ों को आधार मानते हुए विगत १० वर्षो में जनसंख्या वृद्धि की दर के अनुसार आंगणित करने पर जनपद की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि की दर २.६ प्रतिशत है।

जनगणना २००१ के सभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्ष २००१ की जनसंख्या को आधार मानते हुए ६–११ वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या का

१४.६ प्रतिशत तथा ११–१४ वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या का ६.२ प्रतिशत की दर से आंगणित की गयी है। वर्ष २००१ से आगे की जनसंख्या वार्षिक दर

२.६ प्रतिशत की दर से प्रक्षेपित जनसंख्या ज्ञात की गई है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००३–०४ तक जेण्उर सम्बन्धी विशमताओं को दूर करते हुए शत प्रतिशत नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्राथमिक स्तर

सारणी ४.१

वर्ष	६–११वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय सेबाहर जो बच्चे विद्यालयमें नहीं जा रहेहै। (;वर्षवार)	एन० ई० आर०
1	2	3	4	5	6	7
2002-03	468785	382662	76532	306130	86123	82
2003-04	480974	480974	97795	391179	0	100
2004-05	493479	493479	98696	394783	0	100
2005-06	506310	506310	101262	405048	0	100
2006-07	519473	519473	103895	415578	0	100

जनपद बहराइच **सारणी ४.२**

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	११–१४वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय सेबाहर जो बच्चे विद्यालयमें नहीं जा रहेहै। (;वर्षवार)	एन० ई० आर०
1	2	3	4	5	6	7
2002-03	177847	141280	31788	109492	28541	79.5
2003-04	182471	182471	41056	141415	0	100
2004-05	187215	187215	42123	145092	0	100
2005-06	192083	192083	43219	148864	0	100
2006-07	197077	197077	44342	152735	0	100

ठहराव का लक्ष्य :-

सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत जनपद में वर्ष 2007 तक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार जनपद में प्राथमिक स्तर पर ''६ााला त्यागी '' दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित कियागया है।

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2002-03	35.0
2003-04	23.0
2004-05	15.0
2005-06	8.0
2006-07	0

+उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर ज्ञात न होने के कारण लक्ष्य नही दर्शाया गया हैं अगले वर्ष ड्राप आउट दर ज्ञात होने पर ड्राप आउट दर कम करने का लक्ष्य कार्य योजना में द६ााया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष ड्राप आउट पर ज्ञात करने हेतु प्राथमिक तथा उच्च स्तर पर कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी।

सम्प्राप्ति - जनपद में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत बेस लाइन सर्वेक्षण कराया गया था । वर्ष 1999 से डी0पी0ई0पी0 लागू होने के कारण अभी तक मध्यावधि मूल्यांकन नही कराया जा सका है । लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर सम्प्राप्ति हेतु लक्ष्य रखा गया है ।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गाववार विस्तृत आकडे प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

अध्याय 5

समस्याएं एवं रणनीतियाँ

जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश के ऐसे जनपदों में है जिसकी नेपाल राष्ट्र से सीमा मिलती है तथा इसके दो सबसे बड़े विकास खण्डों की लगभग 75 कि.मी. सीमा नेपाल राष्ट्र को जोड़ती है। नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाले कई नाले तथा कई बड़ी नदियां जैसे गेसुवा, कौड़ियाला मादा तथा राप्ती जनपद बहराइच से होकर बहती है। इन सभी नदियों में वर्षभर पानी बहता रहता है। लेकिन बरसात के मौसम में जब ये नदियां उग्र रूप धारण करती है तो इस जनपद के विकास खण्ड मिहीपुरवा, नवाबगंज, शिवपुर, बलहा, महसी, फखरपुर, कैसरगंज एवं जरवल की अनेकों बस्तियों का स्थान बदल जाता है। जिससे इस जनपद की शैक्षिक व्यवस्था वृहद रूप से प्रभावित होती है। लगभग 3-4 महीनों सामान्य वर्षा के दिनों में भी इस जनपद की शैक्षिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, बाद प्रभावित लोगों के लिए सार्वजनिक भवन जैसे विघालय, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन लोगों की शरणस्थली बन जाते हैं। बाँ ध, बैराज, नहर आदि उपायों के बाद भी जनपद का अधिकांश क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित होता है । इस प्रकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 से 120 शिक्षण दिवस प्राकृतिक आपदाओं के कारण निरर्थक हो जाते हैं।

आबादी भी नदी द्वारा होने वाले कटान के कारण बिखरती रहती है । जिससे नये-2 असेवित क्षेत्रों का पुनः सृजन होता रहता है। भौगोलिक दुरूहताएं भी इस जनपद की प्रमुंख कठिनाइयों में से एक है। यह जनपद वनाच्छादित जनपदों में से एक है। इस जनपद का एक बहुत बड़ा भाग 'वन्य जीव अभयारण'' घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार की सहायता से यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। वन्य क्षेत्र में निवास करने वाली छोटी-छोटी आबादियों के लिए शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना यहाँ की प्रमुख आवश्यकताओं मे से एक है, क्यों कि आरक्षित क्षेत्र में विघालय भवन का निर्माण नही कराया जा सकता क्यों कि इन क्षेत्रों में स्थानीय निर्माण कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस जनपद की प्रमुख समस्याएं निम्नवत् हैं। जिनके निराकरण के लिए विशिष्ट रणनीतिया ही कारगर होंगी ।

समस्यायें	रणनीतियॉ
पहुँच एवं नामांकन	
1. जनपद के कुछ विकास खण्डों में असेवित क्षेत्रों में विधालयों की अनुपलब्धता।	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विधालयों की असेवित आबादी में मानक के अनुसार विधालय की स्थापना।
2. नदी, नाले, जंगल तथा खतरनाक जानवरों के कारण विधालयों में बच्चों की पहुँच प्रभावित होना।	विधालयों स्थापना के मानक के परे आबादियों में विधा केन्द्र एवं ज्ञानशाला की स्थापना ।
3. बाढ़ आदि दैवीय आपदाओं के कारण छोटी-2 आबादियों के पहुँच में विधालय की अनुपलब्धता।	विधालयों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति करके शिक्षकों की कमी पूरी करना ।
4. 300 से कम आबादी वाले बस्तियों में शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित न होना।	
5. 800 से अधिक एवं 3 कि.मी. दूरी पर उच्च प्राथमिक विधालयों की सुविधा न उपलब्ध होना।	
6. शिक्षकों की कमी ।	

धारण

1. विघालयों मं बच्चों का ठहराव न होना।
2. मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अधिकांश मुस्लिम बच्चे मकतब/ मदरसों में पढते है। वे समय से पूर्व विघालय छोड़कर चले जाते हैं।
3. बालिकाएं घरेलू कार्यो में सहयोग करती है। अतः समय से पूर्व विघालय छोड़कर चली जाती हैं।
4. जंगल एरिया के पास रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे जलाने वाली लकड़ी काटकर बेचने का कार्य करते है । अतः वे भी विघालय में पूरे समय नही रहते हैं।
5. कक्षा-1 व 2 के बच्चे विघालयों की समयावधि अधिक होने के कारण पूरे समय तक नहीं रुकते अथवा ऊबकर विघालय से चले जाते हैं।

1. अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।
2. समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विघालयों में शौचालय की स्थापना की जायेगी।
3. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाककला, फैशन डिजाइनिंग, नर्तन कला तकनीक, कम्पयूटर शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
4. विघालयों में छात्र संख्या के अनुपात में अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी।
5. कक्षा 1 व 2 तथा इससे उच्च कक्षाओं के लिए विघालयों के समय निर्धारण तथा समय सारिणी में सुधार किया जायेगा ।
6. कम शिक्षकों वाले समय सारिणी विशेष प्रकार की बनायी जायेगी।
7. आवश्यकतानुसार विघालयों में चहार दीवारी की व्यवस्था की जायेगी।
8. विघालयों में आवश्यकतानुसार उर्दू शिक्षकों की व्यवस्था सुनिचित की जायेगी।

6. ग्रामीण परिवेश में बालिकाएं अधिक आयु में विघालयों में प्रवेश लेती हैं। शौच आदि की असुविधा के कारण भी विघालयी ठहराव प्रभावित होता है। 7. शिक्षकों की कमी व चहार दीवारी न होने के कारण भी शिक्षको की नज़र बचाकर बच्चे विघालयों से चले जाते हैं। 8. दूरस्थ विकास खण्डों के 90 प्रतिशत से अधिक विघालय एकल शिक्षकीय है जबकि छात्र संख्या अधिक है जिससे विघालयों में छात्रों का ठहराव प्रभावित हो रहा है। 9. अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विघालयों में अंग्रेजी , उर्दू विषय शिक्षक उपलब्ध नही हैं। 10. मुस्लिम तथा गरीब बच्चे बालश्रम/ धनार्जन की वृत्तियों में लगे हैं। यह भी ठहराव को प्रभावित करता है। 11. विघालयों में शिक्षकों की संख्या के अनुरूप समय सारिणी न होना। 12. विघालयों में छात्र संख्या के अनुपात में बैठने की व्यवस्था न होना।	9. गरीब तथा मुस्लिम बच्चो के लिए रोजगार परक शिक्षण व्यस्था जैसे मोम बत्ती बनाना। लिफाफा बनाना तथा अन्य आवश्यकतानुसार स्थानीय सुविधाओं को देखते हुए कार्यक्रम बनाये जायेगें।

गुणवत्ता

1. जनपद के 50 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षकीय हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी विषय अध्यापकों की कमी है।
2. विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण समय सारिणी के अनुसार शिक्षण व्यवस्था नहीं हो पा रही है।
3. शिक्षकों में टी.एल.एम. बनाने के लिए कौशल की कमी हे जिससे शिक्षण सामग्री का निर्माण व प्रयोग नहीं हो पाता।
4. प्राथमिक स्तर पर कार्यरत लगभग 11 प्रतिशत शिक्षण का स्तर अत्यन्त न्यून है जिससे नवीन पाठयक्रम के अनुसार शिक्षण कार्यप्रभावी नहीं हो पा रहा है।
5. सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो पा रही है।
6. विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षण दिवसों की संख्या कम है। जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
7. ब्लैक बोर्ड शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग न किया जाना।

क्षमता संवर्द्धन

1. ब्लाक तथा न्यायपंचायत स्तर पर डी0 पी0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0 भवन पूर्ण हो चुके हैं।
2. सूचनाओं के जंजाल के कारण पर्यवेक्षण प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो पा रही है।
3. ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के पास संसाधनों का अभाव है।
4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्टाफ की कमी है।
5. परियोजना कार्यालय में स्टाफ की कमी के कारण शैक्षिक विकास कार्यों का प्रभावित होना।
6. समेकित एवं बालिका शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्र पर विशेष व्यस्था का अभाव
7. ग्राम शिक्षा समितियों का साधनहीन होना।

1. ब्लैकबोर्ड शिक्षण प्रक्रिया को प्रभाव बनाने के लिए एक विशेष पर्यवेक्षण अभियान चलाये जायेंगे। ब्लाव स्तरीय कार्यालय पर दूरभाष ए कम्प्यूटर युक्त किया जायेगा। इ कार्यालयों हेतु आवश्यक मात्रा कन्टीजेन्स आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर केन्द्रों को पूरे समय त कार्य करने के लिए आवश्यकतानुसा मानव संसाधन की व्यवस्था व जायेगी।
2. ब्लाक स्तरीय अधिकारियों व आवश्यकतानुसार पी.ओ.एल. उपलब्ध कराया जायेगा।
3. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों कार्यों को ब्लाक/न्यायपंचायत स्त तक विकेन्द्रित करके उसक कार्यक्षमता को बढ़ाया जायेगा।
4. जिला परियोजना कार्यालय व सुदृढ़ीकरण कराने हेतु आवश्य संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे जिला परियोजना समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय से विशे सहयोग प्राप्त करने के लिए जिल परियोजना कार्यालय में ही उनक लिए अतिरिक्त कक्षा केबिन बना जायेगी जिससे परियोजना सम्बन्धित कार्यों हेतु उन अधिकारियों से अतिरिक्त समय व उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
5. ग्राम शिक्षा समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा उनके सदस्यों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए उनक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के गुणवत्त के आधार पर संचालित करने लिए विशेष सहायता प्रदान क जायेगी।
6. ब्लाक स्तर पर समेकित एवं बालिक शिक्षण हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व कि एक सह समन्वयक को दे दिया जायेगा।

शिक्षा की पहुंच का विस्तार (1)

प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवद्दयकता –

जनपद बहराइच के शैक्षिक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि जनपद में १.५ कि०मी० से दूर ३०० से से अधिक आवादी वाले ग्रामों/बस्तियों की संख्या ३०० है। इन ३०० असेवित बस्तियों में कुल २८५ नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा के सार्वजनीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुँच का विस्तार किया जायेगा । इनमें से १२० नवीन प्राथमिक विद्यालयों के स्थापना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा चुकी है तथा ६० प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जायेगी । जिसमें वर्ष २००३–०४ में ६० विद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय :–

सर्व शिक्षा अभियान के मानक के तहत उच्च प्राथमिक स्तर विद्यालयों की आवश्यकता प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक ही उपलब्धता सुनिश्चित करके पूरी की जायेगी । इस तरह पूरे जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय के सापेक्ष ७३ उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं नगर क्षेत्र में ०१ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है।इस तरह पूरे जनपद में कक्षा ८ तक की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुल ७४ उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस तरह ७४ के सापेक्ष कुल ३७० शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। जिन्हें २००३–०४ में पूरा कर लिया जायेगा ।

क्र०सं०	वर्ष	उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना
१	२००२–०३	२१
२	२००३–०४	५३

पेयजल/शौचालय :–

पूर्व में निर्मित सभी उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों को विभाग द्वारा संतृप्त बना दिया गया है। केवल नवीन स्थापित होने वाले विद्यालय पेयजल सुविधाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। परन्तु नवीन स्थापित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एक ही कैम्पस में स्थापित करके शौचालय की आवश्यकताओं को सीमित किया जा सकता है। अतः नवीन स्थापित होने वाले विद्यालयों को विशेष प्रयास करके प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक के साथ ही स्थापित किया जायेगा।

<u>निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था एवं पर्यवेक्षण :–</u> इन विद्यालयों का निर्माण पूर्व व्यवस्था के अनुसार ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराया जायेगा तथा उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण

अभियन्त्रण सेवा के अभियन्ताओं के सहयोग किया जायेगा। क्षेत्रीय अधिकारी की गुणवत्ता तथा समय से विद्यालय पूर्ण करने के लिए निरन्तर पर्यवेक्षण करते रहेंगे।

साज सज्जा :– सभी प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार साज सज्जा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें मुख्यालय से सभी विद्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार टाट पट्टी कुर्सी मेज अलमारी, खेलकूद, सामग्री, बाल्टी, कोटा , घण्टा शैक्षिक चार्ट, ग्लोब आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को साधन सम्पन्न बनाने के लिए विद्यालयों में कुर्सी, मेज, गणित व विज्ञान किट मानचित्र खेलकूद सामग्री हरमोनिमय मजीरा तथा अन्य आवश्यकता नुसार वाद्य उपकरण एवं शैक्षिक उपकरण को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जायेगा।

विद्यालय की निर्माण लागत कम करने की व्यवस्था :– निर्माण लागत कम करने के लिए उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण एक साथ कराया जायेगा, जिससे शौचालय/पेयजल/चहारदीवारी सुविधाओं को कम करके निर्माण लागत कम की ७ जा सकेगी। निर्माण कार्य जनपद की भौगोलिक कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए प्रत्येक वर्ष के माह अक्टूबर / नवम्बर से प्रारंभ करके मई जून तक पूर्ण करने का प्रयत्न किया जायेगा जिससे वर्ष काल में बाढ़/जल आदि अवरोधो से बचा जा सके । और आवश्यकतानुसार ईट / बालू आदि की उपलब्ध और दर के कारण विद्यालय निर्माण कार्य प्रभावित न होने पाये।

विद्यालयों मे शिक्षको की नियुक्ति प्रक्रिया – प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दो चरणो पूरी की जाती है। प्रथम चरण में बी० टी० सी० हेतु जनपद स्तर पर एक प्रदेश परीक्षा आयोजित की जाती है इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने तथा चयन सूची में स्थान पाने के उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्षीय बी० टी० सी० प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करके उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पडती है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है। शिक्षकों का नियुक्त उस जन पद का प्राधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। चूंकि प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता १०० प्रशिक्षणार्थी है अतः जनपदवार के बजाय प्रति संस्थान कर १०० अभ्यर्थियों का चयन होता है। इससे जनपद श्रावस्ती एवं बहराइच दोनों ही जनपदों को दो वर्ष में १०० स्थान पर ५० शिक्षक प्राप्त हो पाये है। विगत दो वर्षो का प्रशिक्षण प्रभावित होने के कारण प्राप्त होने वाले शिक्षकों की संख्या और भी कम हो गई। इसके अतिरिक्त इस जनपद में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए बी० एड० /एल० टी० /बी० पी० एड०/ सी० पी० एड०/ आदि की नियुक्ति भी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में को जा रही है। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कराया जाता है। इसे विशिप्ट बी०टी०सी० /प्रशिक्षण डायट्स तथा इसकी अवधि ३ की होती है। जिसमें एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण डायट्स में तथा २

माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण विद्यालयों में कराया जाता है। उसक उपरान्त एक प्रशिक्षण उपरोक्त परीक्षा आयोजित की जाती ळे उक्त परीक्षा उर्तीण करने के उपरान्त प्रशिक्षार्थीयों को विद्यालयो में जिलास्तरीय चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी जनपदीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है।

शिक्षार्थियों / स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति :-

शिक्षार्थियों का चयन सम्बन्धित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। जिसके लिए प्रावधानित है कि उसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं आयु १८ – ३० वय वर्ग है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हेतु आयु एवं शैक्षिक योग्यता की आयु वर्ग के लिए कोई दूर नहीं है। का नियम ग्राम पंचायत कर आरक्षेय के अनुसार सुनिश्चित किया गया हैं शिक्षा समिति द्वारा चयनित शिक्षको हेतु वित्तीय अनुमोदन जिला स्तर पर गठित जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा दिया गया है जिसका आदेश जनपदीय बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित शिक्षा समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान / सचिव या प्रधानाध्यापक वरिष्ठतम विद्यालय को भेजा जाता है। शिक्षार्थियों की विद्यालय में नियुक्ति के पूर्व ही उन्हे एक माह का आवासीय प्रशिक्षण किया जाता है तथा नवाचार हेतु न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह में एक दिवसीय अवसर पर प्रशिक्षण उनके पूरे कार्य काल के दौरान किया जाता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति :-

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों में से ही पदोन्नति करके उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी की जाती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक / विषय अध्यापक पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, विषय के अनुसार स्नातक उत्तीर्ण तथा प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में अनुभव होनेा आवश्यक है। आर० आ० वर्गवार पदोन्नति में अनुभव में छूट दिये जाने का भी प्राविधान है।

जनपद बहराइच में इस समय १७८२ प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष मात्र २४०८ अध्यापक कार्यरत हैं । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर से कुल ३२२ विद्यालयों के सापेक्ष मात्र ६५३ अध्यापक हैं ।

उपरोक्त शिक्षकों में से १३६ शिक्षक न्याय पंचायत समन्वयक १४ शिक्षक ब्लाक समन्वयक, १४ शिक्षक सह समन्वयक एवं ६५ शिक्षक टी०ओ०टी० के रूप में कार्यरत है इस तरह डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए २२६ शिक्षक लगाये गये हैं जिसमें प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर दोनों के शिक्षक है । सर्व शिक्षा अभियान में १४ अतिरिक्त सह समन्वयकों का पद रिक्त

है उन्हें भी शिक्षकों में से ही बनाया जाना है । इससे इस जनपद में शिक्षकों की अभूतपूर्व कमी आ जायेगी जिससे दूर किया जाना प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से सम्भव नहीं है ।

अतः इस कमी को दूर करने के लिए जनपद की भौगौलिक कठिनाईयॉ/सामाजिक परिवेश /शैक्षिक एवं आर्थिक पिछ्डेपन /बेरोजगारी/जीवनयापन के संसाधनों की कमी का विषलेष्ण करते हुए ग्राम शिक्षक योजना का प्रस्ताव किया जाना समयचीन हो गया है । जिसमें शिक्षा मित्र की चयन प्रक्रिया की दूरूहताओं को कम करके तत्तकाल विद्यालयों में शैक्षिक मानव संसाधन उपलब्ध कराने का विचार प्रस्तावित किया जा रहा है ।

ग्राम शिक्षक योजना :–

जनपद बहराइच में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है । विभिन्न स्तरों पर की गयी बैठकों एवं कार्यशालाओ एवं गोष्ठियों से जो समस्या बिन्दु उभरकर सामने आये हैं उनमें शिक्षक की कमी की समस्या प्रमुख थी उक्त को दृष्टिगत करते हुए तथा जनपद बहराइच के शैक्षिक परिदृश्य के परिपेक्ष्य में ग्राम शिक्षक के चयन की नवीन अवधारणा उत्पन्न हुई । डी०पी०ई०पी० तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए "शिक्षा मित्र योजना" प्रस्तावित की गयी है । जिसमें चयन के मानदण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के स्तर पर चयनित किया जाना था जिसमें आयु, योग्यता क्रमशः १८ . ३० वर्ष तथा इण्टर मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण है तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान तथा सचिव/प्रधानाध्यपक के निकट सम्बन्धी इस पद के लिए पात्र नहीं होगें। जिसके कारण समिति के मुख्य सदस्यो की इनके चयन के प्रति रूचि नहीं रही जिससे चयन प्रक्रिया विलम्बित एवं बाधित होती रही तथा विविध प्रकार से विभाग पर भी दबाव तथा मुकद्में होने लगे ।

अनौपचारिक शिक्षा समाप्त होने के उपरान्त इसके अनुदेशक / परिवेक्षक प्रत्येक ग्राम स्तर पर चयनित होने के लिए विभिन्न प्रकार से राजनैतिक दबाव तथा न्यायालीय विवाद उत्पन्न करने लगे । इससे चयन बाधित हुआ और शिक्षा की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले शिक्षकों की पूर्ति नहीं की जा सकी ।

उपरोक्त समस्याओं के परिपेक्ष्य में ग्राम शिक्षक की तैनाती के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का नवीनतम् प्रस्ताव की परिकल्पना सर्व शिक्षा अभियान में की गयी । इसके अन्तर्गत आयु चयन वर्ष की एक जूलाई को १८ . ४० के मध्यम तथा न्यूनतम योग्यता इण्टर मीडिएट से कम रखी जाये चयन प्रक्रिया में ग्राम शिक्षा समिति को प्रथक कर सीधे ग्राम पचांयत स्तर के समस्त आवेदन पत्रों को पंजीकृत डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित किया जाये । जिससे मैरिट के आधार पर ग्राम पंचायत स्तरीय सूची बनाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय समिति द्वारा चयनित / अनुमोदित कराये गें । ग्राम पंचायत के सभी पद हेतु उसी ग्राम

पंचायत का निवासी आवेदक के रूप में पात्र होगे । ग्राम पंचायत में अध्यर्थी उपलब्ध न होने पर न्याय पंचायत की सभी ग्राम ग्राम पंचायतों के आवेदन पत्रों से मैरिट बनायी जायेगी । मैरिट हाई स्कूल , इण्टरमीडिएट, बी०ए० परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत के आधार पर बनायी जायेगी । ग्राम शिक्षक का कार्यकाल जूलाई से मई तक का होगा । उक्त अवधि के लिए अनुबन्धित ग्राम शिक्षक को प्रतिमाह रू० ३ए१५०ू०० रू० मानदेय दिया जायेगा । ग्राम शिक्षको का आरक्षण ग्राम पंचायत के आरक्षण के आधार पर लागू किया जायेगा । इस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान/योजना में शिक्षकों की कमि को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा । प्राथमिक विद्यालयें में शिक्षक छात्र अनुपात के मानक के आधार पर परिषद- द्वारा कम से कम एक शिक्षक विद्यालय में अवश्य रहेगा । इसके बाद आवश्यकतानुसार ग्राम शिक्षाकों की तैनाती की जायेगी ।परिषद के शिक्षकों की संख्या बढ़ने के आधार पर ग्राम शिक्षकों की संख्या घटती जायेगी शिक्षा मित्र योजना में शिक्षक एवं शिक्षा मित्र की तैनाती का अनुपात ३रू२ था जिसे इस योजना में पूर्णतः शिथिल करने का प्रस्ताव किया गया है इस प्रकार शिक्षकों की कमी को दूर कर क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जा सकता है ।

.अध्याय-7
शिक्षा की पहुँच का विस्तार-2
शिक्षा गारंटी योजना (EGS)/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप को पुनरीक्षित कर इस योजना के स्थान पर शिक्षा गारंटी योजना (EGS) तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (AIE) योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है।

जनपद का परिचय :-

जनपद बहराइच का क्षेत्रफल 4343 वर्ग किमी0 इसका छठवां भाग वनो से आच्छादित है इसके उत्तर में लगभग 70 किमी0 सीमा नेपाल राज्य से लगी है। सीमा पर स्थित विकास खण्ड नवाबगंज मुस्लिम बहुल भावादी वाला विकास खण्ड है इसके पूर्व में गोण्डा दक्षिण में बाराबंकी तथा पश्चिम में सीतापुर एवं लखीमपुर जनपद स्थित है। जनपद के तीन विकास खण्ड मिहीपुरवा, नवाबगंज एवं बलहा वनाच्छादित है। इसी जनपद में घाघरा नदी एवं सरयू नदी का स्रोत है जो कि मिहींपुरवा, बलहा, शिवपुर महसी, तजवापुर, फखरपुर कैसरगंज तथा जरवल के विकास खण्डो में बाढ़ के द्वारा तबाही मचाती हैं।

जनपद बहराइच में 4 तहसील तथा 14 विकास खण्ड हैं।

1. बहराइच-चित्तौरा, पयागपुर, विशेश्वरगंज एवं सदर
2. नानपारा-बलहा, शिवपुर रिसिया, नवाबगंज मिहींपुरवा
3. कैसरगंज-कैसरगंज, हुजूरपुर, फखरपुर, जरवल
4. महसी-महसी, तजवापुर

जनपद में कुल 136 न्याय पंचायते हैं जनपद में कुल 901 ग्राम पंचायते है।

क्रम0स0	.विकास खण्ड	न्याय पंचायत की सं0	सक्षरता दर 91)
1	.चित्तौरा	09	21.0%
2	.हुजूरपुर	10	20.2 %
3	.फखरपुर	13	22.1%
4	.कैसरगंज	10	24.5%
5	.जरवल	10	22.9%
6	.तजवापुर	09	21.8%
7	.महसी	09	25.2%
8	.ि ावपुर	10	16.7%
9	.बलहा	10	18.2%
10	.नवाबगंज	08	23.4%
11	.मिहींपुरवा	10	19.8%
12	.रिसिया	10	21.6%
13	पयागपुर	09	27.32%
14	विशेश्वरगंज	09	26.43%

<u>क्रमशः -2</u>

जनपद बहराइच की साक्षरता दर 2001 के अनुसार)

कुल साक्षरता दर - 35.75 प्रतिशत

पुरूश साक्षरता दर - 46.32 प्रतिशत

महिला साक्षरता दर - 23.27 प्रतिशत

जबकि विकास खण्ड मिहींपुरवा में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है इसकी दर 7.5 प्रतिशत

.कुल जनसंख्या - 208578

पुरूश जनसंख्या - 112602

महिला जनसंख्या - 95976

अनौपचारिक षिक्षा योजना :– संविधान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प किया गया है। अतः लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1979–80 से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया था इसके अन्तर्गत 6–11 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं अथवा विद्यालय अधिक दूरी पर है अलावा शाला त्याग देते तथा ऐसी छात्रायें जो रूढ़िवादिता घर में कार्य में सलंग्न होने के कारण अथवा छोटे–छोटे बच्चों की देक्षीााल के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। ऐसे बच्चों के लिए अनौपचारिक केन्द्र खोले गये थे। जनपद बहराइच के 12 विकास खण्डों में कुल 900 केन्द्र संचालित किये गये थे जनपद के 07 विकास खण्डों फखरपुर, कैसरगंज, जरवल, हुजूरपुर महसी, शिवपुर, नवाबगंज में 100–100 केन्द्र संचालित किये गये थे तथा मिहींपुरवा एवं बलहा में संयुक्त रूप से 100 केन्द्र चलाये गये। तथा तीन विकास खण्डों चित्तौरा, तजवापुर एवं रिसिया में परियोजना क्रियान्वित नहीं की गयी। इन केन्द्रों में 24000 बच्चे नामांकित किये गये इसमे से लगभग 18000 बच्चों को कक्षा 5 उत्तीर्ण कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया था। इन केन्द्रों को 4 घंटे चलाया जाता था इन केन्द्र में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता था। इन दो वर्षो में कक्षा 5 तक पढ़ाई की जाती थी। इस कार्यक्रम में उन विकास खण्डों में बलिकाओं की साक्षरता दर की प्राथमिकता दी गयी है। इस जनपद के महिला साक्षरता दर उ0प्र0 में सबसे कम है। अतः कुल अनौपचारिक केन्द्रों के 30 प्रतिशत केन्द्र (240 केन्द्र) बालिकाओं के लिए खोले गये थे। तथा मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में 10 प्रतिशत (80 केन्द्र) अल्पसंख्यकों के लिए मकतब/मदरसों के लिए आरक्षित किये गये थे। इन केन्द्रों में अनुदेशक रखें जाने थे इनका मानदेय प्रतिमाह 200 रू0 था। इन केन्दों में अनुदेशक रखे जाते थे इनका मानदेय प्रतिमाह 200 रू0 था। कम मानदेय होने के कारण अनुदेशक शिक्षण कार्य में रूचि नहीं लेते थे कारण अनुदेशक शिक्षण कार्य मे रूचि नहीं लेते थे तथा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण यह कार्यक्रम असफल हो गया था।

अतः इस कार्यक्रम की कमियों को दूर करते हुए तथा लक्ष्य को पूरा करने के लिय नयी योजनाए संचालित की जा रही है।

षिक्षा गांरटी योजना :– अनौपचारिक षिक्षा कार्यक्रम के उपरांत राज्य सरकार षिक्षा गारटीं योजना (Education Gurantee Scheme) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक षिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2000–2001 से 2003–2004 तक 70 विद्या केन्द्र संचालित किये जा रहे है। ये विद्या केन्द्र उस असेवित वस्ती। मजरे में खोजे गये जहां से एक किमी की परिधि में कोई प्रा0 वि0 स्थिति नहीं है। इस प्रकार 14 विकास खण्डों में 70 असेवित वस्ती। मजरे को संतृप्त किया गया है। इन केन्द्रों को विद्या केन्द्रों के नाम से जाना जाता है। ऐसे मजरे जहां कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हो जो किसी भी प्राथमिक विद्यालय में नामाकिंत न हो अथवा ऐसे बच्चे जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया हो ऐसे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में विद्या केन्द्र संचालित किये गये हैं।

क्रंम सं0	.विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	.विद्यालय
1	.चित्तौरा	.लौकना	.पठानन पुरवा
2	.फखरपुर	.खपरखा	.सादुल्ला पुरवा
3	.फखरपुर	.नन्दवल	.केसरवा
4	.फखरपुर	.घर्मापुर	.अहिरनपुरवा
5	.कैसरगंज	.कन्दैला	.सरकुट्टी
6	.कैसरगंज	.कुण्डासर	.लोनियन पुरवा
7	.जरवल	.परसोहर	.बदलूपुरवा
8	.रेतीहाता	.रेतीहाता	.हाजीपुरवा
9	.जरवल	.मुस्तफावाद	.धौकलपुरवा
10	.तजवापुर	.सरपतहा	.हुसैनपुर
11	.तजवापुर	.नरहगौड़ा	.मेटरिया
12	.तजवापुर	.उदवापुर	.ललईबाग
13	.महसी	.पूरे गंगाप्रसाद	.कल्सन पुरवा
14	.महसी	.वैकुण्ठा	.माधवपुरवा
15	.महसी	.गदामार कला	.लोधनपुरवा
16	.शिवपुर	.असवा मो0पुर	.ऋषीनगर
17	.बलहा	.पतरहिया	.जंगलपुरवा
18	.बलहा	.गुलरिहा जगतापुर	.चिड़ीमारनपुरवा
19	.बलहा	.बेलवा भोपतपुर	.भोपतपुर
20	.मिहींपुरवा	.गोपिया	.लोधनपुरवा
21	.मिहींपुरवा	.रमपुरवा मटेही	.कोहली थारूपुरवा
22	.मिहींपुरवा	.सुजौली	.भैसाहीं
23	.मिहींपुरवा	.कैलाशपुर झूनगांव	.गंगापुर
24	.नवाबगंज	.दौलतपुर	.साईगांव
25	.रिसिया	.एलाशापुर अजैया	.किशुनपुर
26	.रिसिया	.करौदां	.परागीपुरवा
27	.रिसिया	.भौखारा	.अहिरन पुरवा

जनपद बहराइच में संचालित मकतब

क्र0सं0	.विकास खण्ड	.ग्राम पंचायत
1	.जरवल	.जमापुर चौराहा
2	.जरवल	.गण्डारा

3	.कैसरगंज	.हिसामपुर
4	.कैसरगंज	.कन्दैला
5	.कैसरगंज	.मरौठी
6	.कैसरगंज	.ऐनी
7	.बलहा	.नानपारा
8	.बलहा	.मधुवन
9	.नवागंज	.बनकुरी
10	.नवाबगंज	.लक्ष्मनपुर शकंरपुर
11	.रिसिया	.नरसिंह डीहा
12	.रिसिया	.बगंला चक
13	.तजवापुर	.विटगांही
14	.तजवापुर	.रानीपुरवा
15	.हुजूरपुर	.ज्ञानपुर खेनपुरवा
16	.शिवपुर	.झाला कला

.वर्ष 2001–2002 के शैक्षिक सत्र हेतु जनपद के लिए 26 विद्या केन्द्र तथा 14 मकतब/मदरसों तथा 2002–2003 में 34 विद्याकेन्द्रों एवं 16 मकतब/मदरसों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिन्हें संचालित किया जा रहा है। विकासखण्ड पयागपुर व विषेष्वरगंज जनपद बहराइच में सम्मिलित होने के कारण 10 विद्या केन्द्र जुड़ गये.। फलस्वरूप कुल 70 विद्याकेन्द्रों का लक्ष्य हो गया। ब्लाक वार सूचना इस प्रकार है।

विकास खण्ड	drop out rate
हुजूरपुर	61.50 प्रतिशत
नवाबगंज	60.55 प्रतिशत
शिवपुर	60.20 प्रतिशत
जरवल	58.95 प्रतिशत
रिसिया	54.65 प्रतिशत
बलहा	51.05 प्रतिशत

स्रोत – E.M.I.S. डाटा बहराइच

drop out rate के आधार पर केन्द्र खोले जाने का प्राविधान किया गया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान में इन विकास खण्डों के **drop out rate** कम करने हेतु विशेष प्राविधान किया जा रहा है। इनमें ब्रिज कोर्स कैम्प तथा **E.G.S. & AIE** केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा की मूल धारा से जोड़ा जायेगा साथ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत दो वित्तीय वर्षो में केवल 70 विद्या केन्द्र तथा 30 मकतब/मदरसो की ही स्वीकृत प्राप्त हो पायी है। जबकि आवश्यकता अधिक है अतः लक्ष्यों को संप्राप्ति हेतु शेष लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखे गये हैं।

जनपद में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर स्कूल न जाने वाले अथवा शाला त्यागी **(drop out)** बच्चों को शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना आवासीय ब्रिज कोर्स कैम्प। ग्रीष्म कालीन शिविर, गैर आवासीय शिविरों, बालिका केन्द्र, शिशु केन्द्र, मकतब, मदरसों तथा स्वंय सेवी संस्था **(N.G.O.)** जो शिक्षा के क्षे में अग्रणी हो तथा ऐसे **N.G.O.** जो कार्य के प्रति ईमानदार तथा सामंजस्य सीपित करके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग स्थापित करें के द्वारा नामांकन तथा **drop out rate** कम करने का प्रयास प्राइमरी स्तर के प्रत्येक बच्चे को मुख्य धारा में लाने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त करतें हैं। जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्न्तगत अधिकतम लक्ष्य पूरा किया जायेगा। शेष लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

जनपद–बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड वार **(E.G.S./A.I.E.)** तथा <u>मकतब/मदरसों</u> के लक्ष्य

क्र0सं0	विकास खण्ड	E.G.S.	A.I.E.	Dropout 6-11 B	Dropout 6-11 G
1.	चित्तौरा	15	05	3581	3410
2.	हुजूरपुर	18	20	2749	2629
3.	फखरपुर	23	20	1590	1403
4.	कैसरगंज	28	39	2424	2371
5.	जरवल	36	36	2416	2174
6.	तजवापुर	21	24	3490	3080
7.	महसी	11	07	3950	2906
8.	श्शवपुर	18	14	5583	4646
9.	बलहा	29	32	3328	3085
10.	नवाबगंज	35	30	1629	1428
11.	मिहींपुरवा	29	15	6575	6405
12.	रिसिया	29	28	2638	3483
13.	नगर क्षेत्र	10	10	1021	960
14.	पयागपुर	13	03	2475	2495
15.	विशेश्वरगंज	10	02	483	604
सर्वयोग		325	285		

वर्ष 2004-2005 (E.G.S./A.I.E.) 180/140

वर्ष 2005-2006 (E.G.S./A.I.E.) 90/75

वर्ष 2006-2007 (E.G.S./A.I.E.) 55/70

विशेष परिस्थितियों, आवष्यकताओं एवं सरकारी निर्देशों के कारण लक्ष्यों के स्थान अथवा संख्या में बदलाव किया जा सकता हैं।

इन केन्द्रो के सीान पर नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हो जाने तथा मकतब/मदरसों में बेसिक शिक्षा पिरषद से वित्त विहीन/वित्तीय मान्यता प्राप्त हो जाने के अपरान्त केन्द्र/मकतब स्वतः समाप्त हो जायेगें। इन बच्चों को इन प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराकर मुख्य धारा में जोड़ दिया जायेगा।जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में आवासीय कैंम्प/गैर आवासीय कैम्पस का नियोजन के उपरान्त स्वीकृत नहीं हो सकता हैं अतः इन कैम्पस को सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नियोजन किया जा रहा हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैं। जनपद बहराइच में आवासीय/गैर आवासीय ब्रिक कोर्स, **(N.G.O.)** द्वारा प्रस्तावित ग्रीष्मकालीन कैम्पसं

क्र0सं0	विकास खण्ड	आवासीय	गैर आवासीय	Dropout 11-14	
				B	G
1.	चित्तौरा	-	02	1420	1159
2.	हुजूरपुर	-	06	1129	1109
3.	फखरपुर	-	03	752	689
4.	कैसरगंज	-	03	935	1140
5.	जरवल	01	04	1415	1063
6.	तजवापुर	-	-	1479	1199
7.	महसी	02	06	1405	1182
8.	शिवपुर	04	08	1765	1326
9.	बलहा	03	06	1783	1305
10.	नवाबगंज	02	06	886	687
11.	मिहींपुरवा	01	05	3150	3082
12.	रिसिया	09	04	1001	935
13.	नगर क्षेत्र	02	04	594	571
14	पयागपुर	01	03	1223	1228
15.	थ्वशेश्वरगंजं	01		343	397

सर्वयोग

वर्ष 2004-2005 *में* *आवासीय ब्रिजकोर्स* 10 *गैर आवासीय* 30

वर्ष 2005-2006 *में* *आवासीय ब्रिजकोर्स* 6 *गैर आवासीय* 20

वर्ष 2006-2007 *में* *आवासीय ब्रिजकोर्स* 4 *गैर आवासीय* 10

गैर आवासीय/आवासीय कैम्प N.G.O./

बेसिंक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाना प्रस्तावित हैं। ये कैम्पस उन विकास खण्डों में प्रस्तावित हैं जहां घाघरा, सरयू नदी के कटान के कारण अधिकांश आबादी कुछ समय के लिए विस्थापित हो जाते हैं।

अपर प्राइमरी स्तर में विकास खण्डवार A.I.E. केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राइमरी स्तर तक केन्द्र खोले जाने का प्राविधान था अतः अपर प्राइमरी स्तर पर कुछ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत खोले जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

<u>जनपद बहराइच में अपर प्राइमरी स्तर पर खोले जाने वाले विकास खण्डवार लक्ष्य :-</u>

क्र0सं0	विकास खण्ड	(A.I.E.)
1.	चित्तौरा	11
2.	हुजूरपुर	18
3.	फखरपुर	29
4.	कैसरगंज	23
5.	जरवल	23
6.	तजवापुर	24
7.	महसी	21
8.	शिवपुर	30
9.	बलहा	30
10.	नवाबगंज	32
11.	मिहींपुरवा	30
12.	रिसिया	27
13.	नगर क्षेत्र	06
14.	पयागपुर	08
15.	विशेश्वरगंज	12
सर्वयोग		322

वर्ष 2003-2004 में 28 केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2004-2005 में 150 केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2005-2006 में 80 केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2006-2007 में 62 केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित हैं।

अपर प्राइमरी केन्द्र के स्थान पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत होने के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जायेगें। तथा इन केन्द्रो के छात्र छात्रों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकित करा दिया जायेगा।

<u>बालिकाओं हेतु विशेष केन्द्र :–</u> ऐसे <u>बस्ती/मजरा</u> या ग्राम जहां पर बालिकाओं की **Drop out rate** सार्वाधिक हैं तथा अशिक्षा के कारण रूढ़िवादी परम्परा के कारण अभिभावक छात्राओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण असुरक्षा के कारण विद्यालय नहीं भेजेत हैं उन सीनों पर केवल बालिकाओं हेतु महिला ज्ञानशाला केन्द्र खोले जाने का प्रयास किया जा रहा हैं इस केन्द्र में अनुदेशिका (महिला) का चयन किया जायेा तथा छात्रों का नामांकन नहीं किया जायेगा। चूंकि जनपद बहराइच में अधिकांश परिवारों से बातचीत के दौरान यह बिन्दु उभरकर आया कि लड़की सयानी हो गयी हैं अतः लड़को के साथ नहीं पढ़ायेगें। उदाहरण के तौर पर विकास खण्ड फखरपुर जो किक लखनऊ रोड पर स्थित हैं के गांव बिदौरा की 6–9 आयु वर्ग की छात्रायें निरक्षर हैं उनके अभिभावकों द्वारा सम्पर्क के उपरान्त बताया लड़किया बड़ी होने के कारण स्कूल नहीं भेजेत हैं अतः बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष प्रयास की जरूरत हैं। साथ ही जनपद बहराइच की महिला साक्षरता दर सबसे कम हैं।

<u>विकलांग केन्द्र :–</u> ऐसे छात्र–छात्रायें जो मानसिक, शारीरिक तौर पर विकलांग हैं तथा इनको अधिकतम आयु 18 वर्ष हैं शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने का लक्ष्य हैं। 9–14 वय वर्ग के अतिरिक्त 9–18 वय वर्ग के छात्र छात्राओं की सुविधा के अनुसार विशेष केन्द्र खोले जायेगें। इनके अनुदेशकों का विशेष प्रशिक्षण देकर इन केन्द्रो को संचालित किया जायेगा तथा समेकित शिक्षा के समन्वित प्रयास से छात्रों को उपकरण भी दिलाये जायेगे।

<u>तकनीकि एवं रोजगार परक केन्द्र :–</u> कुछ ऐसे केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है जियमें 9–14 वय वर्ग के छात्रायें अधिक आयु के फलस्वरूप झेप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण <u>प्राथमिक/उच्च</u> प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं इनको <u>प्राथमिक/उच्च</u> प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ स्थानीय मांग के अनुरूप कौशल विकास हेतु <u>शिल्प/कलात्मक</u> शिक्षा (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, डलिया बनाना, मोमबत्ती बनाना, कालीन बुनना आदि) प्रदान करने की व्यवस्था का प्रस्ताव हेतु तथा अन्य शिल्प/कौशल विकास हेतु आमन्त्रित किये जायेगें।

जनपद बहराइच में विकास खण्डों का स्थानीय परिवेश के आधार पर सामान्य परिचय एवं लक्ष्य प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी स्तर पर केन्द्रो के लक्ष्य–

विकास खण्ड–चित्तौरा यह विकास खण्ड जनपद मुख्यालय से लगा होने के कारण विकसित हैं इस विकास खण्ड में सबसे अधिक विद्यालय के साथ–साथ सर्वाधिक अध्यापक हैं। इस विकास खण्ड में 8 न्याय पंचायत हैं इस विकास खण्ड के एक मात्र ग्राम पंचायत लौकना में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। अतः यहां एक विद्या केन्द्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 02 अन्य विद्या केन्द्र संचालित हैं। डी0पी0ई0पी0 के अतिरिक्त यहां 15 विद्या केन्द्र प्रस्तावित हैं तथा 05 मकतब प्रस्तावित हैं। जनपद के आस–पास ईट भट्टे के कारखाने हैं अतः अधिकांश परिवारों के साथ इनके बच्चें भी इसमें कार्यरत् हैं अतः इन बच्चों के लिए 4 माह अवधि के 02 गैर आवासीय शिविर चलाने का लक्ष्य हैं जिन्हें जागरूक करने के उपरान्त प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कर दिया जायेगा।

<u>विकास खण्ड–हुजूरपुर :–</u> इस विकास खण्ड का एक सिरा मुख्यालय के पास हैं। इस विकास खण्ड में 10 न्याय पंचायत हैं। इस विकास खण्ड में सवर्ण जातियों में क्षत्रियों की संख्या अधिक हैं

इनमें रूढ़िवादिता के कारण बच्चियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्न्तगत E.M.I.S. डाटा के आधार पर जनपद में सबसे अधिक Drop Out rate 61.50 प्रतिशत हैं।रिकार्ड किया गया हैं साथ ही साक्षरता दर (91) के आधार पर 20.2 प्रतिशत हैं इस विकास में मात्र 3 विद्या केन्द्र संचालित हैं। परन्तु वर्तमान में सबसे अधिक जोर दिया जायेगा तथा Drop Out rate कम करने के प्रयासों तहत इस विकास खण्ड में 18 (E.G.S./A.I.E.) तथा 20 मकतब/मदरसे प्रस्तावित किये गये हैं जबकि अपर प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक केन्द्र प्रस्तावित है इनमें बालिकाओं के लिए विशेष केन्द्र खोल जायेगें। इस विकास खण्ड में 4 गैर आवासीय शिविर भी प्रस्तावित हैं।

विकास खण्ड फखरपुर :– इस विकास खण्ड में सबसे अधिक 13 न्याय पंचायतें हैं साक्षरता की दृष्टि से इसकी साक्षरता दर (91 जनगणना के आधार पर) 22.1 प्रतिशात हैं यह लखनऊ बहराइच मुख्य सड़क पर स्थित हैं। इसका कुिछ भाग डूब क्षेत्र में आता हैं अतः उस पिछड़ें क्षेत्र के बच्चों के लिए विशेष प्रयास करके लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 03 विद्या केन्द्र संचालित हैं। अधिकांश लक्ष्य को S.S.A. से पूरा किया जायेगा शेष लक्ष्य के लिए सर्व शिक्षा अभियान में 23 (E.G.S./A.I.E.) तथा 20 मकतब प्रस्तावित किये गये हैं तथा बाढ़ प्रभावित हैं। अपर प्राइमरी स्तर पर भी कुछ केन्द्र खाले जाने का प्रस्ताव किया गया हैं। अपर प्राइमरी स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग से केन्द्रें खोल जायेगें।

विकास खण्ड–कैसरगंज :– इस विकास खण्ड में 10 न्याय पंचायत हैं। यह मुस्लिम आबादी वाला विकास खण्ड हैं इस विकास खण्ड की साक्षरता दर (91 के आधार पर) 24.5 प्रतिशत हैं। अस विकास खण्ड में मुस्लिम आबादी वाले ग्रामों/क्षेत्रों में दीनी तालीम/धार्मिक शिक्षा हेतु बहुतायत मकतब चल रहें हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत अधिकांश मकतबों को सुदृढ़ीकरण हेतु चुना जायेगा वर्तमान में इस विकास खण्ड में 03 विद्या केन्द्र तथा 04 मकतब सुचालित हैं। मुस्लिम धर्म के लोग बालिकाओं को पर्दा प्रथा के कारण विद्यालयों में नामांकित नहीं करातें हैं। इन बालिकाओं को दीनी तालीम पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं अतः दीनी तालीम के अलावा इन छात्र–छात्राओं को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लक्ष्य को ध्यान में रखतें हुए 28 (E.G.S./A.I.E.) तथा 39 मकतब मदरसों का प्रस्ताव किया जा रहा हैं। साथ ही घाघरा नदी के कारण इसका कुछ क्षेत्र प्रभावित होता हैं इस क्षेत्र में 3 गैर आवासीय शिविर भी प्रस्तावित हैं।

अपर प्राइमरी स्तर पर इस क्षेत्र में अधिक ध्यानाकृष्ट की आवश्यकता परिलक्षित होती हैं क्योंकि 9–14 वय वर्ग के छात्रायें विद्यालय में नहीं जाती हैं। क्योंकि विद्यालय अधिक दूर स्थित हैं। अतः इस विकास खण्ड में बालिकाओं के लिए अलग से केन्द्र तथा उच्च स्तर पर मकतबों पर जोर दिया जा रहा हैं।

विकास खण्ड–जरवल :– इस विकास खण्ड की एक सीमा जनपद गोण्डा, दूसरा घाघरा नदी तथा एक ओर बाराबंकी से जुड़ा हैं। इस विकास खण्ड में 10 न्याय पंचायतें हैं इसकी साक्षरता दर (91 के आधार पर) 22.9 प्रतिशत हैं। यह मुख्यालय के अन्तिम छोर पर हैं। यह विकास खण्ड भी मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र हैं। ग्राम पंचायत हरचंद तथा गण्डारा सबसे विशाल मुस्लिम वाली ग्राम पंचायते हैं। कुछ क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल भी हैं। कुछ जातियों चूहें पकड़ने का काम करती हैं। उन परिवारों

के बच्चें भी चूहें पकड़तें हैं ये परिवार इसी कार्य से धनोपार्जन करतें हैं। इन जातियों के बच्चों को इन केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने का प्रयास हैं। अधिकांश बच्चें (छात्र+छात्रायें) मकतबों मे दीनी तालीम ग्रहण करतें हैं। 9–14 वय वर्ग की अधिकतर छात्रायें दिन में मकतबों में धार्मिक शिक्षा लेती हैं। ई0एम0आई0एस0 आकंड़ो से निष्कर्श निकला कि इस विकास खण्ड का Dopt out rate जनपद में तीसरे स्थान पर 58.95 प्रतिशत हैं। अतः नामांकन तथा Dopt out rate कम करने के लिए वर्तमान में 3 विद्या केन्द्र तथा 02 मकतब संचालित हैं। वर्तमान सत्र में 02 विद्या केन्द्र तथा 01 मकतब प्रस्तावित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में कम लक्ष्य की स्वीकृति के कारण सर्व शिक्षा अभियान में 36 (E.G.S./A.I.E.) तथा 36 मकतब प्रस्तावित किये जा रहें हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 4 गैर आवासीय तथा 1 आवासीय कैम्प भी प्रस्तावित हैं। इस विकास खण्ड के ग्राम पंचायत जरवल कस्बा में एक सहकारी चीनी मिल सीापित हैं। इन चीनी मिलों में पेराई सत्र में अधिकांश श्रमिक अपने परिवार सहित 4–5 माह के लिए आतें हैं अतः इन बच्चों को शिक्षा से जोड़े रहनें के लिए ही 1 अवासीय शिवर कैम्प प्रस्तावित किया गया हैं।

अपर प्राइमरी स्तर के लिए इस विकास खण्ड में ज्ञानशाला प्रस्तावित किये गये हैं। इस विकास खण्ड में ग्राम अधिक दूर–दूर होने के कारण अधिकांश बच्चें अपर प्राइमरी स्तर पर विद्यालय छोड़ देते हैं। अतः यहां भी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

विकास खण्ड–तजवापुर :– यह विकासखण्ड मुख्यालय की सीमा से लगा होने के कारण अध्यापक हैं इस विकास खण्ड में 9 न्याय पंचायत हैं। इसकी साक्षरता (91 के आधार पर) दर 21.8 प्रतिशत हैं। इसका कुछ क्षेत्र में मुस्लिम आबादी निवास करती हैं वर्तमान में इस विकास खण्ड में 06 विद्या केन्द्र संचालित हैं। तथा 05 मकतब भी चल रहें हैं। वर्तमान क्षेत्र में 02 विद्या केन्द्र तथा 01 मकतब स्वीकृत हैं। अतः शेष लक्ष्य को सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित किया गया हैं। 21 (E.G.E./A.,I.E.) तथा मकतबों तथा 1 गैर अवासीय कैम्पस प्रस्तावित किया गया हैं।

अपर प्राइमरी स्तर पर भी कुछ केन्द्र प्रस्तावित किये जा रहें हैं।

विकास खण्ड–महसी :– इस विकास खण्ड में 09 न्याय पंचायते हैं। इनकी साक्षरता दर (91 के आधार पर) जनपद की सर्वाधिक 25.2 प्रतिशत हैं। यह विकास खण्ड घाघरा नदी से प्रभावित हैं। अतः 4 माह के लिए अधिकांश परिवार विस्थापित हो जातें हैं आर्थिक विपन्ना के कारण बच्चे बाल श्रमिक बन जातें हैं। अधिकांश परिवार के मुखिया अपना घर छोड़ देते हैं। अतः कुछ वापस आकर जीवन यापन करने वापस आ जातें हैं। अतः इन विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर आवासीय कैम्पस के माध्यम से शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया हैं। वर्तमान में इस विकास खण्ड में 03 विद्या केन्द्र संचालित हैं तथा वर्तमान वर्ष में 02 विद्या केन्द्र प्रस्तावित हैं। केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11 विद्या केन्द्र/वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्र तथा 07 मकतब प्रस्तावित हैं। तथा बाड प्रभावित क्षेत्रों में 02 आवासीय तथा 06 गैर आवासीय केन्द्र प्रस्तावित हैं।

अपर प्राइमरी स्तर पर भी कुछ केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित हैं जिला प्रथमिक शिक्षा कार्यक्रम केवल प्राथमिक स्तर तक क्रियान्वित किया जा रहा हैं अतः 15 केन्द्र प्रस्तावित किये जा रहें हैं।

विकास खण्ड–शिवपुर :– इस विकास खण्ड की साक्षरता दर जनपद में सबसे कम 16.71 (91 के आधार पर) हैं तथा यह विकास खण्ड घाघरा तथा सरयू नदी के कटान के कारण प्रत्येक वर्ष हजारों एकड़ फसल तथा कई हजार परिवार विस्थापित हो जातें हैं। बाढ़ की विभाषिका के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र हैं। क्तवच व्नज तंजम उ0प्र0 में 30 वें सीन पर हैं। यहां पर Drop Out rate 60.20 जनपद में तीसरा हैं। यह केवल बाढ़ के कारण हैं। परिस्थितियों के अनुसार यहां शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तथा Drop out rate कम करने के लिए आवासीय तथा गैर आवासीय कैम्पस सर्वाधिक उपयुक्त हैं। वर्तमान में 04 विद्या केन्द्र तथा 03 मकतब संचालित हैं। तथा 02 विद्या केन्द्र एवं 01 मकतब खोला जा रहा हैं। शेष लक्ष्य को सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत 42 विद्या केन्द्र/बैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्र तथा 14 मकतब प्रस्तावित किये गये हैं तथा 4 आवासीय एवं 8 गैर आवासीय केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं।

अपर प्रामइरी स्रत पर भी ज्ञान केन्द्र खोल जाने का प्रस्ताव है अपर प्राइमरी स्तर पर कुछ कैम्पस आयोजित किये जानें हैं अतः 28 केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव किया जा रहा हैं।

विकास खण्ड–बलहा :– इस विकास खण्ड में 10 न्याय पंचायत हैं। इस विकास खण्ड की साक्षरता दर (91 के आधार पर) 18.2 प्रतिशत हैं। जो जनपद में एक स्थान पर ऊपर हैं। ये विकास जंगलों, वनों एवं नदियों से आच्छादित है। इन वनों में जंगली जानवर भी निवास करतें हैं बाढ़ आने के कारण कुछ भाग में आवागमन रूक जाता हैं। तथा अधिकांष परिवार विस्थापित हो जाता हैं। इस विकास खण्ड की Drop out rate जनपद में 5वें स्थान पर 51.05 प्रतिशत हैं अतः असेंवित बस्तियों एवं मजरे को संतृप्त करने के लिए केन्द्र लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्व होगें यह विकास खण्ड मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र हैं अतः अधिकांश बच्चें धार्मिक कट्टरता के कारण विद्यालय न जाकर दीनी तालीम देने वाले मकतबों में जातें हैं। अभी तक इस विकास खण्ड में 06 विद्या केन्द्र तथा 04 मकतब संचालित हैं। इस वित्तीय वर्ष में 02 विद्या केन्द्र तथा 02 मकतब खोल जा रहें हैं। शेष बचें लक्ष्य को सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 29 (E.G.S./A.I.E.) केन्द्र तथा 32 मकतबों को प्रस्तावित किया हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 03 आवासीय तथा 06 गैर आवासीय केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं।

अपर प्राइमरी स्तर पर इस विकास खण्ड में वर्तमान में बहुत कम 12 विद्यालय हैं। जबकि यह बहुत अधिक क्षेत्रफल में फेला हुआ हैं। विद्यालयों की कमी के कारण अधिकांश 9–14 वय वर्ग के बच्चें विद्यालय में नहीं जातें हैं। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए 32 ज्ञानकेन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही बालिकाओं के लिए विशेष केन्द्र खोले जायेगें। मुस्लिम बहुल आबादी के लिए विशेषकर अल्पसंख्यक बालिका केन्द्र खोल जायेगं। इनमें अनुदेशिका अल्पसंख्यक वर्ग की होगी।

विकास खण्ड–नवाबगंज :– यह विकास खण्ड नेपाल राष्ट्र की सीमा से लगा हैं। नेपाल सीमा में वनों से आच्छादित क्षेत्र होने के कारण अधिकांश जनता तसकरी में लिपत रहतें हैं तथा कुछ निर्धन परिवार लकड़ी काटकर अपनी जीविका चलातें हैं। इस विकास खण्ड में अधिकांश आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की होनें के कारण शिक्षा से दूर हैं। साथ ही नेपाल सीमा के आसपास सैकड़ों मकतब/मदरसें चल रहें हैं इन मकतबों में केवल दीनी तालीम दी जाती हैं। तथा कटटरवादी परम्परा को भी जन्म दिया जा रहा हैं। इन अधिकांश परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने के लिए विद्या केन्द्र

संचालित किये जा रहें हैं इस विकास खण्ड की न्याय पंचायत जमदान तथा रामनगर सेमरा का अधिकांश क्षेत्र जंगलों से आच्छादित होने के कारण अविकसित हैं। साथ ही दुर्गम, कटीलें, वनों के कारण मुख्य सड़क से विरत होने के कारण लोगो का ध्यान नहीं जाता हैं। अतः इस न्याय पंचायत में विशेष ध्यान आकष्ट किया जा रहा हैं। इस विकास खण्ड में 06 विद्या केन्द्र तथा 04 मकतब/मदरसें संचालित हैं तथा 02 विद्या केन्द्र तथा 01 मकतब खोला जा रहा हैं। सर्व शिक्षा अभियान में 35 (विद्या केन्द्र) वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्र) तथा 30 मकतब प्रस्तावित हैं। साथ ही वन क्षेत्र में 2 आवासीय तथा 06 गैर आवासीय केन्द्र प्रस्तावित हैं। जो कि जमदान न्याय पंचायत के लिए प्रस्तावित हैं।

अपर प्राइमरी स्तर पर वन क्षेत्र होने के कारण उच्च प्रा0वि0 दूरस्थ क्षेत्र में हैं। इस विकास खण्ड में मात्र 15 उ0प्र0वि0 संचालित हैं अतः Drop out rate की दर जनपद में दूसरे सीान पर 60.55 प्रतिशत हैं। अतः Drop out rate कम करने तथा सार्वजनीकरण के लक्ष्य हेतु 34 अपर प्राइमरी स्तर के केन्द्र प्रस्तावित हैं।

विकास खण्ड–मिहींपुरवा :– यह विकास खण्ड जनपद मुख्यालय से दूरस्थ विकास खण्ड हैं। जनपद मुख्यालय से दूरी 60 किमी0 से प्रारम्भ होकर 115 कि0मी0 तक पूरब में स्थित हैं। यह विकास खण्ड वनोंजंगलो नदियों, नहरों नालों से पूर्णतया आच्छादित हैं इसकी सीमा नेपाल राज्य सटी हैं। एक सिरा सीतापुर एवं लखीमपुर जनपद से मिला हैं घाघरा नदी का उद्‌गम स्थान इसी विकास ख़ण्ड में स्थित हैं। इस विकास में 10 न्याय पंचायत हैं इनमें से आम्बा, कारीकोट लौकाही तथा सेमरी घटही में अनुसूचित जाति बाहुल्य न्याय पंचायत हैं। इन न्याय पंचायतों को शैक्षिक दृष्टि से विशेष प्रयास करने की आवश्यकता हैं। यहॉ 125 प्रा0वि0 के अनुपात में 135 अध्यापक कार्यरत हैं। इस विकास खण्ड में स्थानीय अध्यापकों के साथ न्याय पंचायतों में स्थित केन्द्रों के लिए अनुसूचित जाति का अनुदेशक या अनुदेशिका होनी चाहिए जबकि शासनादेश के अनुसार अनुदेशक का चयन हाईस्कूल के मेरिट के आधार पर होता हैं। अतः थारू जनजाति की बस्तियों के लिए शासनादेश में शिथिलता अनिवार्य हैं। खण्ड में 9 विद्या केन्द्र संचालित हैं तथा 04 केन्द्र खोले जा रहें हैं सर्व शिक्ष अभियान के अर्न्तगत 29 (E.G.S./A.I.E.) तथा 15 मकतब एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 1 गैर आवासीय तथा 5 गैर आवासीय कैम्पस प्रस्तावित किये जा रहें हैं।

अपर प्राइमरी स्तर पर 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। अतः वनों नदियों जंगलों आदि के कारण बस्तिया विस्तृत क्षेत्रों में फेली हैं अतः दूरी के कारण 9–14 वय वर्गो के नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 42 केन्द्र प्रस्तावित किये जातें हैं।

विकास खण्ड–रिसिया :– यह विकास खण्ड नगर पालिका परिषद के अधीन हैं। 10 न्याय पंचायत हैं। इसकी साक्षरता दर (91 की जनगणना के आधार पर) 21.6 प्रतिशत हैं। यह विकास खण्ड में Drop out rate 54.65 प्रतिशत हैं। यह जनपद मुख्खलय से लगभग 17 कि0मी0 दूरी पर हैं। इस विकास खण्ड में 03 विद्या केन्द्र तथा 02 मकतब संचालित हैं वर्ष 2001–2002 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्न्तगत 02 विद्या केन्द्र तथा 01 मकतब की स्वीकृति प्राप्ति हुयी हैं। अतः शेष लक्ष्यों की पूर्ति सर्व शिक्षा अभियाान के अर्न्तगत 29 विद्या केन्द्र 1 नवाचार केन्द्र तथा 28 मकतब प्रस्तावित हैं। साथ ही 4 गैर आवासीय कैम्पस भीह प्रस्तावित किये गये हैं।

अपर प्राइमरी स्तर पर यहां विशेष ध्यान देर्मे की आवश्यकता हैं। इस विकास खण्ड में 15 उच्च प्रा0वि0 संचालित हैं जो सभी 9–14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मूल धारा से संतृप्त नहीं कर पातें हैं। अतः अधिक दूरी पर विद्यालय होने के कारण अधिकतर छात्रायें विद्यालय की पहुंच से काफी दूर हैं। अतः लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 36 अपर प्राइमरी स्तर के केन्द्र प्रस्तावित किये जा रहें हैं।

<u>नगर क्षेत्र :–</u> सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नगर क्षेत्र में यह योजना क्रियान्वित की जायेगी। ऐसे बच्चें जो बाल श्रमिक, मलिन बस्तियों, घूमन्तु परिवारों के साथ रहतें हैं इन बच्चों को कैम्पस के माध्यम से तथा केन्द्रो के माध्यम से जोड़ा जायेगा। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 10 (E.G.S./A.I.E.) तथा मुस्लिम बहुत आबादी होने के कारण 10 मकतब प्रस्तावित हैं। साथ ही 4 गैर आवासीय कैम्पस भी प्रस्तावित किये जा रहें हैं। अपर प्राइमरी स्तर पर मात्र 4 केन्द्र प्रस्तावित किये जा रहें हैं। शिक्षा गारन्टी योजना (E.G.S.) इस योजना के अर्न्तगत 6–11 आयु वर्ग के ऐसे बच्चें जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं ऐसे बच्चों को इन केन्द्रों में शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। उ0प्र0 के ऐसे ग्राम अथव मंजरे में जहां 1 किमी0 की परिधि के अर्न्तगत कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। एवं 6–11 वय वर्ग के 30 बच्चें शिक्षा ग्रहण कराने के लिए उपलब्ध हों। ऐसे केन्द्रो हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रस्ताव करेगी एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव करने पर उस ग्राम अथवा मंजरे को शिक्षा गारन्टी योजना के अर्न्तगत शिक्षा की व्यवस्था कराये जाने हेतु स्वीकार किया जायेगा। इन केन्द्रों में कक्षा 01 तथा 02 तक की पढ़ाई होगी। इन केन्द्रों का संचालन ''सर्वशिक्षा अभियान'' के तहत ''स्टेट सोसाइटी'' उ0प्र0 सभी के शिक्षा परियोजना परिषद निशातगंज लखनऊ द्वारा किया जायेगा इन केन्द्रों में शैक्षिक सामग्री हेतु 2350 रू0 तथा केन्द्र में शिक्षा ग्रहण कर रहें बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। इन केन्द्रों पर 01 अनुदेशक प्रति केन्द्र प्रस्तावित हैं। यदि 46 बच्चों से अधिक हो जातें है तो अतिरिक्त अनुदेश की व्यवस्था भी प्रस्तावित हैं।

पयागपुर – सर्वषिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकासखण्ड पयागपुर में 13 ई.जी.एस. एक आवासीय तथा तीन गैर आवासीय ब्रिज कोर्स कैम्प प्रस्तावित हैं।

विषेष्वरगंज – हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार विकासखण्ड में ड्रापआउटरेट सबसे कम हैं। अतः 10 ई.जी. एस. दो मदरसा एक आवासीय ब्रिज कोर्स तथा दो गैर आवासीय ब्रिज कोर्स प्रस्तावित हैं।

<u>वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (A.I.E.) कार्यक्रमः–</u> ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण कैमप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें, विशेषकर, बाकलकायें, कामकाजी तथा बाल श्रमिक बच्चें एवं मलिन बस्तियों, घूमन्तू बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार षिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन त्रिवमकालीन शिविरों तथा दीर्घ कालीन शिविरों ब्रिज कोर्स षिविरों का क्रियान्वयन वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहें <u>मकतबों/मदरसों</u> में <u>बालक/बालिकाओं</u> में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जानेके उददेश्य से भी वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्य(म में नियोजन किया जायेगा। ऐसे <u>ग्राम/बस्ती/मजरें</u> झुग्गी झोपड़ी एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित सीलों में जहां कम से कम 20 बच्चें उपलब्ध होगे वहां वैकल्पिक एवं नवाचार (A.I.E.) केन्द्र

संचालित किये जायेगं। ये केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों पर चलायें जायेगें। प्राथमिक स्तर के केन्द्र में 01 अनुदेशक तथा उच्च प्रा0वि0 स्तर पर 02 अनुदेशका की व्यवस्था की जायेगी।

माइक्रोप्लानिंब के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता :— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहा बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वालें बच्चों की संख्या अत्यधिक हों।

ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट चिल्ड्रेन, बाल श्रमिक, घूमन्तुं खतरनाक/गैर खतरनाक उद्योगो में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हों।

संचालन :— स्थल — केन्द्रों का संचालन सलि ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल किसी विवाद रहित सथान पर किया जायेगा। जहां पहुंच की दृष्टि से पूर्व सन्दर्भित वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त हों।

समय :— शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रो का संचालन समय देर शाम एवं रात्रि में नहीं रखा जायेगा। ये केन्द्र प्रतिदिन 04 घंन्टे संचालित किये जायेगें।

अनुदेशक चयन — अनुदेशक यथा सम्थव उसी स्थान एवं समुदाय का होना जहां पर शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना हैं। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर न्याय पंचायत से लिया जा सकता हैं।

ग्रामीण — मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता हैं।

योग्यता :— अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदप प्रापत करके हाईस्कूल परीक्षा के अंको के पतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमंण प्त्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता हैं। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा अनुसूचित जनजाति बस्तियों में अनुसूचित जाति का ही अनुदेाक/अनुदेशिका होनी चाहिए।

अनुदेशक चयन नगर क्षेत्र — नगर क्षेत्र में खोल जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड नगर क्षेत्र का प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशक चयन मकतब/मदरसा — आवश्यकतानुसार मकतबों/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज जी द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्रथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा संबंधित मकतब/मदरसा की प्रबध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हों, को मकतबों में संचालित होने

वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित करके शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के संबंध में जानकारी हो गयी हैं, ग्राम शिक्षा समिति संबंधित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जायेगा।

उ0प्रा0वि0 के लिए आयु योग्यता

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जहॉ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता हैं।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्सर के साथ संलग्न किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक संसाधन केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/ब्लाक प्रोग्राम आफीसर ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक, सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू0 1500/– प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

अनुदेशक मानदेय वितरण

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के सुयक्त खाते में स्थानान्तरित की जायेगी जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में 06 माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्रः–

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/जिला प्रोग्राम आफीसर/प्रोग्राम पर्सन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। इस प्रकार की धनराशि कार्यक्रम से सम्बन्धित सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। तत्पश्चात् चेक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण :– शिक्षा गारन्टी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/ब्लाक रिसोर्स पर्सन/ब्लाक रिसोर्स सेक्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा।

नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/नगर प्रोग्राम आफीसर/नगर अधिकारियो द्वारा किया जायेगा। न्याय पचांयत संसाधान केन्द्र प्रभारी/वी0आर0सी0 प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की वार्षिक बैठके भी ली जायेगी। जिसमें ब्लाक आफीसर/रिसोर्स पसर्न/स0वे0 शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय–समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करेगं। निकटस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों को भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रो का र्प्यवेक्षण करते रहेगे न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत करातें रहेगें।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रो के संचालन पर नजर रखेगी और समय–समय पर अपने सुझाव अनुदेक/अनुदेकिा को दगी। डायट भी डी0आर0यू0 प्रभारी एवं उनके अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का निसमित पर्यवेक्षण करेगें। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा। ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सकें।

निःशुल्क :– शिक्षण प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खातें में सीधे सीनान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेश को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रो पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रू0 845/– प्राथमिक तथा रू0 1200/– उच्च प्राथमिक) से किया जायेगा। शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धक हेतु क्रय किया जायेगा।

शिक्षा गारन्टी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेगी।

छात्र–छात्राओं का मूल्यांकनः– अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारन्टी केन्द्रो में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगी कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक शिक्षा (विद्यालय) की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा सकता

है। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुदेशक का तूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययन अवधि में उनके व्यवहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रो में अध्ययनरत बच्चें जो कक्षा–5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेगें, उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

केन्द्र की लगत प्रत्येक केन्द्र की लागत उसमें अध्यनरत बच्चों की संख्या पर निर्भर करेगी। प्रामइरी स्तर के केन्द्रों के लिए रू0 845.00 प्रति छा/छात्रा प्रति वर्ष और अपर प्रामइरी स्तर के लिए 1200.00 रू0 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष अधिकतम धनराशि की व्यवस्था इस योजना में की गई हैं। इस व्यवस्था में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर का प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड के प्रबन्धक की अधिकतम धनराशि रू0 2.50 लाख सम्मिलित होगी।

क्र0सं0	मद	प्राइमरी स्तर	अपर प्राइमरी स्तर
1.	अनुदेशक का मानदेय	रू0 1000.00 प्रति माह प्रति अनुदेशक	रू0 2000.00 प्रति माह 02 अनुदेशकों के लिए (रू0 1000.00 प्रति अनुदेशक)
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	रू0 1500.00 प्रति वर्ष 30 दिनों के लिए रू0 50.00 प्रतिदिन की दर से	रू0 4000.00 प्रति वर्ष 02 अनुदेशकों के लिए 50 रू0 प्रतिदिन 40 दिनों के लिए
3.	शैक्षिक सामग्री (बच्चो हेतु)	रू0 100.00 प्रति छात्र/छात्रा	रू0 150.00 प्रति छात्र/छात्रा
4.	शैक्षिक सामग्री केन्द्र हेतु	रू0 1100.00 प्रति केन्द्र	रू0 1200.00 प्रति केन्द्र
5.	आकस्मिक व्यय	रू0 468.75 प्रति केन्द्र	रू0 500.00 प्रति केन्द्र

उक्त केन्द्रो की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड स्तर के प्रबन्धन पर व्यय सम्मिलित हैं।

प्रबन्धन लागतः– विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत् रखी गयी हैं।

80–100 केन्द्रो के मध्य – 2.50 लाख रू0 प्रतिवर्ष

50–80 केन्द्रो के मध्य – 2 लाख रू0 प्रतिवर्ष

25–50 केन्द्रो के मध्य – 1.5 लाख रू0 प्रतिवर्ष

25 केन्द्र से कम – 100 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर :– सड़क/प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तू, बच्चों, नौकरी पेशा, कुली गिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में हैं। अथवा बाल

श्रमिक/खतरनाक उद्योगो में लगे बच्चों जिनका वय वर्ग सामान्यतः 9–14 हैं, के लिए ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर संचालित किये जायेगें।

इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविरों का मुख्य उद्‌देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित रहें इन बच्चों का वय वर्ग सामान्यतः 9–14 वर्ष होना चाहिए।

शिविर की अवधि

कोर्स/शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की हो सकती हैं।

आवासीय शिविरों में न्यूनतम की संख्या

भारत सरकार के निर्देशों में यद्यपि इन शिविरों में न्यूनतम बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं हैं फिर भी उ0प्र0 सरकार के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्म कालीन शिविर में न्यूनतम 50 बच्चें सम्मिलित किये जायेगे तथा ये शिविर आवासीय होगें।

सुविधा :- इन शिविरों में बच्चों के रहने खाने पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

स्टाफ :- निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स/शिविर के लिए 01 केयर टेकर 02 पैरा टीचर, 01 कुक (रसोइया) तथा 01 चौकीदार की आवश्यकता होंगें और इस पर चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। जिनके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संवदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र/छत्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने–पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साम–सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का सहयोग/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रेज कोर्स कैम्प उस क्षेत्र में खोला जायेगा जहां पर निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सकें तथा प्रयास किया जाय कि ब्रिज कोर्स विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय में सीमित न हों।

संचालन स्थल ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों अथवा उस क्षेत्रविशेष में चलेगे जहां इनकी आवश्यकता हो।

अवधि :– ब्रिज कोर्स/शिविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायेगी। इस हेतु रू0 3000/– प्रति छात्र/छात्रा अनमुन्य होगी और इसी मानक के अनुसार प्राप्त धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र ब्रिज कोर्स/शिविरों के प्रस्तावों की प्रस्तुति एवं उनका अनुमोदनः–

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष विकास खण्ड अधिकारी तथा सदस्य सचिव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा विकास खण्ड का ग्राम प्रधान एवं एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगे के द्वारा

तैयार प्रस्तावों की समीक्षा कर भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी समीक्षा कर प्रसतावों को संकलन करेगी, तत्पश्चात् अपनी संस्तुति सहित जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध करोयगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन :–

प्रस्तावों क अनुमोदन

थ्जला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कहीं जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1.	जिलाधकारी	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3.	विशेषज्ञ बे0शि0अ0 / जि0बे0शि0 अधिकारी	–	सदस्य सचिव
4.	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर (ई0जी0एस0)	–	सदस्य
5.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
6.	जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी	–	सदस्य
7.	जिला पंचायत राज अधिकारी	–	सदस्य
8.	वित्त एवं लेखाधिकारी (कार्या0बे0शि0अ0)	–	सदस्य
9.	सैवेच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	–	सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।)

जनपद में उपर्युक्त योजना के अर्न्तगत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्य{म के संचालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति को होगा।

एन0जी0ओ0 द्वारा प्रस्ताव

विकास खण्ड स्तरीय / नगर स्तरीय क्षेत्रों में कुछ वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रो का संचालन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी किया जा सकता हैं।

उपर्युक्त जिला स्तरीय समिति जनपद के अच्छे एवं कर्मण्ठ सवैच्छिक संगठनों को उनके अनुरोध पर केन्द्रों का आवंटन कर सकती हैं। परन्तु इस वक्त का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि राज्य सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों में ओवर लैपिंग न होने पायें।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :– प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी / वैकल्पिक शिक्षा योजना (E.G.S.)/A.I.E.) के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जातें हैं।

1. 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उनको चिन्हित करना।
2. कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
3. अनुदेशक का चयन करना।
4. केन्द्रो का समय निर्धारित करना।
5. केन्द्रो की साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार के निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रो के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध करना।

6. अनुदेशको को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्रो का दायित्व सौपना।

7. अनुदेशकों की उपस्थिति बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रो का प्रबन्धन उनको प्रतिदिन निरीक्षि करना।

8. केन्द्रो में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।

9. नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान कराना ।

10. बच्चों के बैठने के लिए कक्षा कक्षा यदि संख्या अधिक हैं तो दूसरा कक्ष, पानी की व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था करना।

11. ग्राम शिक्षा समिति व्यक्गित सम्पर्क करके शिक्षा से वंचित Dropout बच्चों को केन्द्र/प्राथमिक विद्यालय में नामांकित करायें।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका :–

1. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकास खण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित हैं।

2. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

3. ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना तथा उपलब्ध माइक्रोप्लानिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार कराना।

4. क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स (C.R.P.) की सहायता से केन्द्रो/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण की व्यवस्था कराना।

5. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :– जनपद में E.G.S.A.I.E. कार्यक्रम की सफलता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला सलाहकार समिति को सौपां गया हैं।

1. शिक्षा गारन्टी योजपा/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र /नवाचार शिक्षा कार्यक्रम हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।

2. केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रस्तावों को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।

3. कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

4. अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक/अधिकारियों के साथ समन्वय (Convergence) कर कार्यक्रमों का संचालन कराना।

5. कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन कराना।

6. स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रमों के संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :– जनपद बहराइच में विद्यालय न जाने वाले विकलांग बच्चों के लिए प्राथमिकता न जांने वाले विकलांग बच्चों के लिए प्राथमिकता के आधार पर E.G.S. तथा A.I.E. केन्द्रो की स्थापना की जायेगी।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में अधिकतम आयु 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की गई हैं। तथा न्यूनतम छात्र संख्या 15 या इससे कम रखी गयी हैं जिस ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मोहल्ले में विकलांग बच्चे उपलब्ध हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्र संख्या एक आयु में पूरी छूट देने का प्रस्ताव किया गया हैं कोई भी विकलांग बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाय इसका पूर्ण प्रयास किया जा रहास हैं यदि कोई बच्चा चलने में पूर्ण असमर्थ हैं तों यह प्रयास किया जायेगा कि केन्द्र उसके नजदीक हैं।

बलिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :– जिन ग्रामों/अपेक्षित बस्तियों/मजरों/अल्पसंख्यक माहल्लों/जनजाति क्षेत्रों/अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की बालिका दर न्यूनतम हैं। एसे स्थानों पर बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खाले जायेगे साथ ही ऐसी बस्तियां जहा रूढ़िवादिता के कारण बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते हैं तथा छात्रों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहतें हैं वहां भी बालिका केन्द्र खाले जायेगे तथा इन केन्द्रो में महिला अनुदेशिका की व्यवस्था किये जाने का प्राविधान किया गया हैं। इसमें सामुदायिक सहभागिता कला जत्था, महिला मंगलदल, मॉ–बेटी, मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोग से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा में रूचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। न्यूनतम साक्षरता दर के आधार पर शिवपुर, बलहा, नवाबगंज, मिहीपुरवा की जनजाति क्षेत्र आम्बा विशुनपुर, थारूपुरवा, बिछिया, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कैसरगंज तथा जरवल में ऐसे केन्द्र खोले जाने प्रसतावित हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक षिक्षा केन्द्र :– जनपद बहराइच अल्पसंख्यक आबादी वाला जनपद हैं। इस जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में धार्मिक शिक्षा के लिए मकतब/मदरसें चल रहें हैं। उन मदरसों में 6–14 आयु वर्ग के केवल धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहें छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इनके सुदृढ़ीकरण की भी व्यवस्था प्रस्तावित की गयी हैं। इन मकतबों में औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मकतब में बढ़ रहें प्रत्येक छा/छात्रा को प्राथमिक विद्यालय में चल रही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन मकतब/मदरसों में उसी धर्म का अनुदेशक का चयन किया जायेगा तथा उसकी योग्यता हाईस्कूल रखी गयी हैं। तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

परिवार सर्वे के अनुसार 114664 बच्चे विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा रहे है। सर्वे के अनुसार मुख्य रूप से घरेलू कार्य में लगा रहना भाई बहनों की देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नही आ रहे है। यह निम्न सारणी से स्पष्ट है।

विद्यालय न आने वाले बच्चों का विवरण

क्रम	कारण	बालक	बालिका	योग
1	घरेलू कार्य	23503	21541	45044
2	मजदूरी	3311	1560	4871
3	भाई बहनों की देखभाल	16443	18380	34823
4	विद्यालय दूर होना	5258	4751	10009
5	अन्य	9835	10082	19917
	योग	58350	56314	114664

विद्यालय से बाहर इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु विभिन्न रणनीतियाँ जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी है।

वर्ष 2003-04 में 31 जुलाई 2003 तक औपचारिक विद्यालयों नामांकित बच्चों की संख्या

आयु वय वर्ग	बालक	बालिका	योग
+5-6	16767	14962	31729
7-10	16780	14773	31553
11-14	7800	11942	19742
योग	**41347**	**41677**	**83024**

31 जुलाई 2003 तक स्कूल. न जानेवाले बच्चों की संख्या

आयु वय वर्ग	बालक	बालिका	योग
+5-6	4365	3791	8156
7-10	8241	6444	14685
11-14	4397	4402	8799
योग	**17003**	**14637**	**31640**

औपचारिक विद्यालयों में नामांकन (83024) के पश्चात् शेष (31640) बच्चों के नामांकन हेतु रणनीति

घरेलू कार्य में लगे बच्चे ऐसे बच्चे जो अपने घर के कार्य में लगे रहते है को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैम्प चलाने जैसी व्यवस्था की गयी है।

क्रम	ब्रिज कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	एन.पी.आर. सी. स्तरीय	136	4080	136	4880	136	4080	136	4080
2	वैकल्पिक केन्द्र	180	5400	180	5400	180	5400	180	5400
3	ब्रिज कोर्स कैम्प	10	400	10	400	6	400	4	400

यह कोर्स इन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनके घरों के पास तथा इनकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करके इन्हीं के ग्राम निवासी अनुदेशक/आचार्य द्वारा संचालित किये जायेगें।

मजदूरी: कुछ बच्चे मजदूरी कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय नहीं आ पाते। ऐसी समस्या 11 से 14 आयु वर्ग के बीच अधिक पायी गयी है। इन बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर ए आई इ खोले जा रहे हैं। जिनका समय इनके कार्य समय के बाद संध्या में रखे जाने का प्रस्ताव है। जिससे ये बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे।

क्रम	कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	ए आई इ	28	1400	150	7500	230	11500	292	14600
2	आवासीय विज कोर्स	1	60	10	600	6	360	4	240
3	विद्या केन्द्र	18	7200	180	7200	180	7200	180	7200

भाई बहनों की देखभाल: छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगे होने से 34823 बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे है। ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु इनके छोटे भाई बहनों की देखभाल केलिए विशेष रूप से इ सी सी इ केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है।

क्रम	कोर्स	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	ई सी सी ई केन्द्र	250	7500	250	7500	250	7500	250	7500
2	समर कैम्प	140	5600	140	5600	140	5600	140	5600

विद्यालय दूर होना: जनपद में 5258 बालक तथा 4751 बालिकायें कुल 10009 बच्चे विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। इसकेलिए ऐसे असेवित क्षेत्रों

में जहाँ मानक रूप विद्यालय खोले जा संकते है वहां विद्यालय खोले जा रहे है तथा अन्य स्थानों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

विद्यालय	वर्ष	खोले जा रहे विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक	2003-04	90
उच्च प्राथमिक	2003-04	53

अन्य कारण: उक्त के अतिरिक्त गरीबी, धार्मिक कारणों तथा रूढ़िवादिता के कारण भी कुछ बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे है। इसके लिए 30 तकतव/मदरसों को सहायता देकर तथा स्कूल चलो अभियान चलाकर तथा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित कर तथा विद्यालयों को आकर्षण बनाकर तथा नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक तथा मिड डे मिल आदि का वितरण कर अभिभावकों को अपने बच्चे विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रकार सभी बच्चों का नामांकन विद्यालयों में करा लिया जायेगा।

अध्याय ८

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान क्रियान्वयन वरदान स्वरूप है । विद्यालयी शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करता , गुणवक्ता पूर्ण शिक्षा हेतु सफल प्रयास करना सभी बच्चों को क्षमतानुसार (६.१४ आयु वर्ग) शिक्षा के अवसर सुलभ कराना सर्व शिक्षा अभियान की मूलभूत विशेषताऐं हैं सर्वशिक्षा अभियान. में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा दोनों को सम्मिलित किया गया हैं ।

बहराइच जनपद में बारह विकास खण्ड हैं जनपद का क्षेत्रफल ४४६६.८ वर्ग कि०मी० है । इसका १/६ भाग वनाच्छादित है इस भाग में निहींपुरवा , बलहा, नवाबगंज आते है शिवपुर, महसी, बलहा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वर्षाकाल में शैक्षिक गतिविधियॉ इन विकास खण्डों में मन्द पड़ जाती है । बहराइच के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । भूमि वितरण असमान होने के कारण जनता को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है जनपद बहराइच में औद्योगिक विकास की गति अत्यन्त धीमी है । यहॉ की ८५ः जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं जनपद बहराइच में १४ विकास खण्ड , १३६ न्याय पंचायतें एवं ६०१ ग्राम पंचायतें हैं ।

बहराइच जनपद का शैक्षिक परिदृश्य :-

प्राथमिक विद्यालय	१७८२
उच्च प्राथमिक विद्यालय	३२२
इण्टर कालेज /हाई स्कूल	५५
आई०टी०आई०	१
पॉलीटेक्निक	१
जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था	१

उत्तर प्रदेश भारत के अविकसित एवं पिछडे राज्यों में से एक है इसके कई कारण है अशिक्षा , गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय कम होना , अन्ध विश्वास , महिला पुरूष समानता आदि । २२ जनपदों का तुलनात्मक आंकलन करने पर ज्ञात होता है कि बहराइच जनपद २२ जनपदों की साक्षरता पर निकालने पर २१ वें स्थान पर है । जनपद वार साक्षरता ऑकडे निम्न है :-

LITERACY RATE COMPARATIVE

Year	Males		Females		Total	
	U.P.	India	U.P.	India	U.P	India
1951	17.4	29a.4	3.4	7.9	10.9	16.6
1961	27.3	34.4	7.0	12.9	17.6	24.0
1971	31.5	39.5	18.6	8.5	21.7	29.6
1981	38.9	46.7	14.4	29.9	27.4	30.2
1991	55.7	64.1	25.3	39.3	41.6	52.2
2001	70.23	75.84	42.98	54.16	57.36	65.38

LITERACY DATA (2001 Census)

Sl. No.	Name of District	Female Literacy Rate	Over all literacy Rate
1.	Maharajaganj	28.64	47.72
2.	Sidharth Nagar	28.35	43.97
3.	Gonda	27.29	42.99
4.	Balrampur	21.58	34.71
5.	Badauh	25.53	38.83
6.	Khiri	35.89	49.93
7.	Lalitpur	33.25	49.93
8.	Pilibhit	35.84	50.87
9.	Basti	39.00	54.28
10.	Sant Kabeer Nagar	35.45	51.71
11.	Moradabad	33.32	45.74
12.	J.P. Nagar	35.07	50.21
13.	Shahjananpur	34.68	48.79
14.	Sonbhadra	34.26	49.96
15.	Deoria	43.56	59.84
16.	Hardoi	37.62	52.64
17.	Baareilly	35.13	49.90
18.	Firozabad	53.02	66.53
19.	Barabanki	35.64	48.71
20.	Rampur	27.87	38.95
21.	Bahraich	23.27	35.19
22.	Shrawasti	18.75	34.25

साक्षरता का जनपदवार तुलनात्मक अध्ययन से बहराइच जनपद में महिला साक्षरता 23.27 और पुरूष साक्षरता दर 35.19 है साक्षरता के क्षेत्र के पिछड़ेपन के कुछ कारण है जैसे :—

आर्थिक तंगी :—

आर्थिक तंगी के कारण बच्चे प्रा० शिक्षा से ही वंचित रह जाते हैं वे नामांकन करा लेते है लेकिन मजदूरी का पेशा करने के कारण वे विद्यालय छोड कर मजदूरी करते हैं जिससे उनकी आजीविका चलती है ।

अभिभावकों की अशिक्षा :—

अभिभावको की अशिक्षित होने के कारण वे बालक बालिकाओं में असमानता का भाव रखते हैं वे बालकों को शिक्षा की धारा से जोडते हैं लेकिन बालिकाओं को घर का काम करने हुई, भाई बहनों की देख भाल करने के लिए रोक लेते हैं जिससे बालिकाए शिक्षा से वंचित रह जाती है ।

अन्धविश्वास :—

अशिक्षित अभिभावकों में अन्धविश्वास की भावना होने के कारण वह बलिकाओं विद्यालयी शिक्षा से वंचित रखते हैं बलिका शिक्षा के महत्व को न स्वीकरते हुए उन्हें घर पर ही रहकर घरेलू कार्यो के उत्तरदायित्व निर्वहन की शिक्षा देते हैं ।

जनपद में महिला साक्षरता दर न्यून विकास खण्ड बलहा मिहींपुरवा शिवपुर है यह विकास खण्ड की तुलनात्मक तालिका से स्पष्ट है ।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	पुरूष	महिला	योग
1-	मिहींपुरवा	29.8	7.5	19.8
2-	नवाबगंज	35.5	8.5	23.4
3-	बलहा	28.1	5.6	18.2
4-	शिवपुर	26.1	5.8	16.7
5-	रिसिया	34.3	6.1	21.6
6-	चित्तौरा	31.4	8.1	21.8
7-	महसी	37.3	18.6	25.2
8-	तेजवापुर	32.9	3.3	21.3
9-	हुजूरपुर	31.4	6.9	28.2
10-	फखरपुर	33.8	8.9	21.1
11-	कैसरगंज	36.1	18.4	24.5
12-	जरवल	33.7	9.6	22.9
13.	पयागपुर	48.4	13.3	32.6
14.	विशेषवर	45.8	11.0	30.0

बहराइच जनपद के विशिष्ट क्षेत्र हैं जिन्हे शिक्षा की विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण विद्यालय पहुँचने के कठिनाई होती है । नामांकन के पश्चात ठहराव सम्बन्धी समस्या समाधान हेतु उपाय उभर कर सामने आयें जिसमें एक कारण विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव है इस समय इन भैतिक सुविधाओं की आवश्यकता है :–

वर्ष 2005-06 में ....04.... प्राथमिक एवं ....04.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	300	
2005-06	300	
2006-07	२१२	
योग	८१२	

कुल लक्ष्य ८१२ का है।

क्र०सं०	आवश्यकता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1-	विद्यालय	0	0
2-	पुनर्निमाण		30
3-	अतिरक्त कक्षा	1388	15
4-	पेयजल सुविधा	—	—
5-	शौचालय	892	130

विद्यालयी सुविधायें :—

जनपद में विद्यालय की दूरी को देखते हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयें में बच्चों को लाने एवं वापस पहुँचाने हेतु वाहन (रिक्शा) व्ययस्था होने से नामांकन एवं ठहराव दोनों में वृद्धि होनी तथा उच्च प्राथमिक में यह व्यवस्था होने से सामाजिक असुरक्षा की भावना समाप्त होने से बालिकाओं की शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर तक पूरी हो जायेगी ।

प्राथमिक विद्यालय /उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के रख—रखाव हेतु प्रति वर्ष 5000/- का अनुदान दिया जायेगा रू० 2000 प्रतिवर्ष विद्यालय विकास अनुदान दिया जायेगा । प्राथमिक विद्यालय में 2003 तक डी०पी०डी०ई०पी० द्वारा और उसके पश्चात सर्व शिक्षा अभियान में यह सुविधा दी जाती रहेगी ।

2- अतिरिक्त कक्षा कक्ष :—

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 1388 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो में 15 कक्षों की आवश्यकता है । इसके पश्चात सभी प्रा०वि० तीन कक्षीय एवं उच्च प्रा० वि० चार कक्षीय हो जायेगें । डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत 110 प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्षो का निर्माण तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1388 कक्षा कक्ष प्राथमिक विद्यालयों में तथा 15 कक्षा कक्षों का निर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराया जायेगा ।

3- शौचालय :—

जनपद के प्रा०वि० में 1192 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें शौचालय उपलब्ध नहीं है । 300 विद्यालयों में डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत तथा शेष 892 शौचालयों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 130 शौचालयों का निर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराया जायेगा ।

4- उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन :—

जनपद में 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हो जिनके भवन शिक्षण कार्य हेतु सुरक्षित नही हैं । इनका पुर्ननिर्माण 2004-2005 में रखा गया है।

5- पेयजल व्यवस्था :–

जनपद के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है विद्यालय अनुश्रवण में यह दृष्टिगत होता है कि कही कहीं नल खराब पडें हैं। जिससे बच्चों को पानी पीने की परेशानी होती है । अतः विद्यालय विकास अनुदान से उसे बनवाने की व्यवस्था की जायेगी । विद्यालय विकास अनुदान धनराशि सर्व शिक्षा अभियान में जारी रखी जायेगी ।

6- सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम/गतिविधियां :–

बहराइच जनपद में , विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद की विशिष्ट जिसमें अल्प संख्यक व जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमीकरण के लिये सामुदायिक गतिशीलता के विभिन्न कार्यक्रम /गतिविधियां सर्व शिक्षा अभियान हेतु निम्न प्रकार प्रस्तावित है। इन गतिविधियों में दो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं । प्रथम वो जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) बहराइच द्वारा गतिशीलता हेतु उपयुक्त पाये जा रहे हैं । उन्हें सर्व शिक्षा अभियान में निरन्तरता प्रदान की जायेगी । तथा दूसरे जो प्रथम वार 'सर्व शिक्षा अभियान' दौरान ही प्रस्तावित किये जा रहें हैं । इन कार्यक्रम / गतिविधियां का व्योरा , बजटवार निम्न प्रस्तावित है :–

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

प्राथमिक विद्यालयों हेतु अध्यापिका की स्थिति

वर्ष	कुल नामांकन	स्वीकृति शिक्षक	स्वीकृत शिक्षा मित्र	कुल	1.40 के आधार पर आवश्यकता	अतिरिक्त आवश्यकता	शिक्षक 50%	शिक्षा मित्र 50%
02-03	306130	3739	1606	5345	7653	2308	1154	1154
03-04	391179	4893	2760	7653	9779	2126	1063	
04-05	394783	5956	3823	9779	9869	90	45	1108
05-06	405048	6001	3860	9869	10126	257	129	128
06-07	415578	6258	3988	10246	10389	143	72	71

उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु अध्यापिका की स्थिति

वर्ष	विद्यालयों की सं0	नवीन विद्यालय	योग	1/5 के आधार पर आवश्कता	वर्तमान शिक्षकों की सं0	आवश्यता
03-04	269	53	322	1610	653	957
04-05	322	--	322	1610	1610	0
05-06	322	--	322	1610	1610	0
06-07	322	--	322	1610	1610	0

7- माता – शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ – प्रशिक्षण :–

जनपद बहराइच के प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय में चार प्रकार के अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए कम से कम 12 महिलाओं का माता शिक्षक संघ / अभिभावक शिक्षक संघ को सकिय कर दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा :–

* नियमित विद्यालय जाने वाले बच्चे के अभिभावक
* लम्बें अन्तराल के बाद जाने वाले बच्चे के अभिभावक
* शालात्यागी बच्चें के अभिभावक

कला जत्था कार्यक्रम अभियान में सामुदायिक सहभागिता की दृष्टि से कला जत्था प्रदर्शन जनपद/ब्लॉक/न्यायपंचायत या ग्राम सभावार किये जायेगें , जिसके लिए व्यापक रणनीति जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) द्वारा बनायी जायेगी । जिसमें चयनित गांव के ग्रामवार दिनांक कार कला जत्था भ्रमण कार्यकम निर्धारित कर संचालित किये जायेगें । इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्राम शिक्षा समिति – बैठक व विभिन्न स्तरों पर बैठकों दौरान प्रचार प्रसार भी किया जायेगा ।

वर्षवार या निश्चित अवधिवार कला जत्था कार्यकम प्रस्तुत करके नामांकन या ठहराव की वृद्धि – प्रभाव का आंकलन किया जायेगा व आवश्यकतानुसार अपेक्षित सुधार किया जायेगा ।

8- जागरूकता सम्बन्धी सामग्री का विकास :–

जनपद बहराइच के प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में अनुसूचित जन जाति के विकास क्षेत्र मिहीपुरवा में तथा अन्य विकास क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य चिन्हित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के महत्व सम्बन्धी पोस्टर , चित्रकला द्वारा प्रर्दशन , किताब आदि के लिए प्रतियोगिता उस क्षेत्र में स्थानीय व्यक्तियों तथा बच्चों के द्वारा करवाई जायेगी । इसमें स्थानीय स्वयं सेवी संगठन / गैर सरकारी संस्थाओं व जागरूक तथा उत्साही व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा । इसका संदर्भ सामग्री का व्यापक प्रचार – प्रसार कर जागरूकता लाई जायेगी ।

9- न्याय पंचायत स्तर पर 'बाल मेला' का आयोजन :–

जनपद के 136 न्याय पंचायत पर प्रतिवर्ष एक "बाल मेला" आयोजित किया जायेगा इस बाल मेले के नियोजन में निम्न गतिविधियॉ प्रस्तावित है ।

- मेले का स्थल न्याय पंचायत के सर्वाधिक नामांकन / ठहराव की दृष्टि से पिछले ग्राम सभा/गांव में रखा जायेगा जिससे उस गांव सभा के बच्चे उनके अभिभावक उससे अधिक लाभाविंत हो सकें ।

- बल मेला में न्याय पंचायत के समस्त उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालक – बालिकाओं को "स्टाल" लगाने के लिए प्रेरित किया जायेगा जिससे उनके उत्कृष्ट कार्य से अन्य बच्चे प्रेरणा ले सके इस मेले में प्रत्येक प्रतिभा को उचित अवसर दिया जायेगा ।
- बाल मेले में "बालिका शिक्षा" लिंग भेद तथा "बालिका शिक्षा की समस्या के प्रति जागरूक करने का प्रदर्शन आयोजन किया जायेगा ।
- क्ला जत्था – प्रदर्शन व गतिवधियॉ – स्थानीय सामाजिक सोच में रचनात्मक परिवर्तन हेतु आयोजित की जायेगी ।

श्रब्य सामग्री (Audio taps) का निर्माण व प्रचार प्रसार :–

समुदायिक सहभागिता व जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जनपद की 118 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो को श्रब्य सामग्री निर्माण एवं प्रचार – प्रसार का अभिनवी प्रयास "सर्व शिक्षा अभियान" में किया जायेगा ।

श्रब्य सामग्री न्याय पंचायत/पंचायत /ब्लाक की स्थानीय प्राथमिक शिक्षा में बाधक तत्व व उसका स्थानीय समाधान बताने वाली व "प्राथमिक शिक्षा" बालिकाओं हेतु सम्बन्धी विशेष रूप से रहे इसको सुनिश्चित किया जायेगा ।

इस सामग्री का प्रत्येक माह आयोजित होने वाली ग्राम शिक्षा समिति , मातृ – शिक्षक संघ बैठकों में तथा महिला प्रेरक समूह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों , बाल मेलों व अन्य सामुदायिक गतिशीलता गतिविधियें में प्रयोग की जायेगी ।

ग्राम शिक्षा समिति/समुदाय नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी० बहराइच) द्वारा प्रारम्भ की गयी ग्राम शिक्षा समिति जागरूक उत्साही व्यक्तियों का आधारभूत तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर संचालित है जिसे "सर्व शिक्षा अभियान " के दौरान निरन्तरता प्रदान की जायेगी ।

उक्त प्रशिक्षण जनपद की 901 ग्राम सभाओं में आयेाजित किया जायेगा जिस पर प्रति ग्राम सभा 1450 /- रू० व्यय किया जाना प्रस्तावित है । प्रत्येक पॉच साल के अन्तराल पर यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण का नियोजन किया जायेगा । तथा प्रति द्वितीय वर्ष इन ग्राम शिक्षा समिति जागरूक उत्साही व्यक्तियों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय ग्राम शिक्षा समिति जागरूक उत्साही व्यक्तियों को गांव की प्राथमिक शिक्षा वेहतर बनाने में अपेक्षित योगदान करने के लिए जागरूक बनाया जायेगा ।

इसके साथ ही इन ग्राम शिक्षा समितियों के कार्य एवं दायित्व निर्वहन में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास क्षेत्र के दो ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहित करते

हुए "प्रोत्साहन धनराशि" दी जायेगी । इस प्रकार जनपद बहराइच की कुल 24 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रति वर्ष प्रोत्साहित किया जायेगा । इस पर 25 हजार प्रति विकास क्षेत्र की दर से कुल 3.00 लाख प्रति वर्ष व्यय प्रस्तावित है ।

3-7 बच्चों के अभिावकों को सम्मिलित किया जायेगा जिनकी विद्यालय जाने की उम्र है लेकिन वे विद्यालय नहीं जोते है ।

लोक जुम्बिश कार्यक्रम जैसा कला जत्था – सकियकरण / प्रदर्शन :–

जनपद बहराइच के विकास खण्डों में जहॉ नामांकन दर अपेक्षा कृत कम है तथा ठहराव विशेषकर बालिकाओं, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक समुदाय की समस्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा चिन्हित है, उसमें सर्व शिक्षा अभियान में सक्रिय कला जत्था कलाकारों के प्रदर्शन द्वारा समुदाय को जोड़ने का प्रयास करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की जायेगी ।

कलाकारों का चयन हेतु जनपद – बहराइच में प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से पिछडे क्षेत्र का , स्थानीय भाषा /समुदाय के कलाकार का चयन कर प्रशिक्षित किये जाने का प्रयास किया जायेगा । जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता प्राप्त की जा सके ।

सामुदायिक प्राथमिक शिक्षक का प्रशिक्षण :–

जनपद बहराइच की ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहित कर उन्हीं के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों को अध्यापन कार्य हेतु स्थानीय व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौपें जाने के लिए वातावरण सृजन का कार्य किया जायेगा । इस प्रकार के व्यक्तियों का चयन स्थानीय ग्राम शिक्षा समिति करेगी इनका मानदेय परिश्रमिक ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित कर प्रदानकरेगी । चूँकि ये व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन अध्यापन के कार्य से जुडे होगें इस लिए इनका प्रशिक्षण " सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत प्रति वर्ष 10 दिवस के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित किया जा रहा है । , जिसमें शिक्षण की नवीन विधाओं , नवीन पाठ्य पुस्तक आदि विषयों पर उक्त सामुदायिक प्राथमिक शिक्षकों का गठन प्रशिक्षण होगा । इनकी संख्या का निर्धारण जनपद बहराइच की ग्राम शिक्षा समितियों से प्राप्त होगा ।

इस पर व्यय सेवारत प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण में प्रति अध्यापक होने वाले प्रतिदिन व्यय करके बराबर होगा ।

सबसे अच्छे शिक्षा मित्र/ सामुदायिक शिक्षक/वै०शि० केन्द्र संचालक को पुरस्कृत करना :–

जनपद बहराइच के 118 न्याय पंचायतों में प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 सबसे अच्छे शिक्षा मिश्र/सामुदायिक शिक्षा/ बै०शि० केन्द्र संचालक को 1000/- रू० प्रोत्साहन राशि देकर सर्व

शिक्षा अभियान के दौरान प्रति वर्ष प्रोत्साहित किया जायेगा । इनका चयन सेवित क्षेत्र के समस्त बालक / बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन वर्ष भर ठहराव की तथा शैक्षिक सम्प्राप्ति की बेहतर स्थिति तथ स्थानीय समुदाय से बेहतर समन्वयन के आधार पर किया जायेगा ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सामुदायिक गतिशीलता हेतु विशेष प्रयास :—

जनाद की समस्त 118 न्याय पंचायतों में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को चिन्हित कर सूची बद्ध कर प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर गठित कोर टीम के माध्यम से इनके नामांकन , ठहराव की स्थिते पर प्रत्येक माह समीक्षा कर बेहतर बनाने का प्रयास किया जायेगा । इनके सम्प्राप्ति स्तर के लिए न्यार पंचायत स्तर से ब्यापक रणनीति बनाकर स्थिपित बेहतर की जायेगी इन समस्या ग्रस्त विशेष क्षेत्र में कला जत्था जन सम्पर्क अभियान, ठहराव परिक्रमा आदि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की गतिवेधियों को सर्व शिक्षा दौरान निरन्तर प्रदान की जायेगी ।

इसके साथ ही इन विशेष आवश्यकता वाले चिन्हित बच्चों को अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । जिसमें इनके घर /समुदाय में जाकर शिक्षण तथा शैक्षिक समस्याओं का निराकरण सम्मिलित किया जायेगा ।

प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण :—

ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे सामान्य रूप से निर्धनता व जागरूकता के अभाव में स्वास्थ्य परीक्षण से बंचित रह जाते हैं तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से समय से नही मिल पाती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) बहराइच के इस आवश्यकता को पहचानते हुए प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रकिया प्रारम्भ की है । इस प्रकिया को सर्व शिक्षण अभियान में निरन्तरता प्रदान की जायेगी साथ ही सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक शिक्षा अध्ययन केन्द्र (विद्यालय) के बच्चें भी सम्मिलित किये जायेगें ।इस हेतु रूपया 500/- प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय की दर से सामुदायिक गतिशीलता के बजट में प्रावधानित किया जा रहा है ।

विशिष्ट आवश्यकता वाले चिन्हित बच्चें (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बहराइच द्वारा)की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जायेगा इसके साथ सर्व शिक्षा अभियान दौरान जनपद बहराइच के उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन हेतु इन बच्चों को व इनके अभिभावकों को प्रेरित कर आवश्यक व्यवस्था बच्चे की विशिष्ट आवश्यकतानुसार की जायेगी । इस हेतु सामुदायिक गतिशीलता के बजट में आवश्यक किया गया है ।

उच्चप्राथमिक कक्षाओं हेतु कम्प्यूटर शिक्षण :–

उच्च प्राथमिक कक्षाओं में ठहराव हेतु जनपद बहराइच के अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र 'मिहीपुरवा' में ठहराव की दृष्टि से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में छात्र–छात्राओं हेतु कम्प्यूटर शिक्षा का बजट प्रावधान 'सर्व शिक्षा अभियान' में किया जा रहा है ।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सिलाई–कढाई प्रशिक्षण कोर्स :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) बहराइच द्वारा ड्राप आउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय में अध्ययन सुनिश्चित करने की दृष्टि से संचालित ग्रीष्म कालीन शिविर (जिसमें सिलाई कढाई बंधी जानकारी भी सम्मिलित थी । की सफलता को देखते हुये सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक कक्षाओं की बालिकाओं हेतु सिलाई कढाई प्रशिक्षण प्रस्तावित किया जा रहा है ।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा सामुदायिक गतिशीलता – प्रोत्साहन :–

किसी भी अभियान की सफलता, लोगों के अभियान से जुड.ाव पर निर्भर करती है ये जुडाव नियोजन से कियान्वयन व पुनः नियोजन तक, पूर्व प्रकिया से जुडा होना आवश्यक है।

स्वयं सेवी संगठन/ गैर सरकारी संस्थायें स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहयोग जन समुदाय में पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम –बहराइच के इस अनुभव को 'सर्व शिक्षा अभियान' में निरन्तरता 'सकिय स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक प्रोत्साहन देकर प्राप्त की जायेगी ।

गैर सरकारी संस्थाओं की सहभागिता, सर्व शिक्षा अभियान के न केवल नियोजन स्तर पर प्राप्त की जा रही है वरन इसके प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम/गतिविधियों में कियान्वयन स्तर पर प्राप्ति करने का प्रयास किया जायेगा । जिसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरनण करण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाये । इसके लिए आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है ।

विशेष प्रकार के बच्चों की शिक्षा समेकित शिक्षा :–

हमारे देश की लगभग 5-10 % जनसंख्या किसी न किसी विकलॉगता के प्रसार से प्रभावित हैं सभी को शिक्षा दिलाने का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक की विकलॉगता से प्रभावित बच्चों को विद्यालय में नहीं लाया जायेगा । किसी भी विकलॉग बच्चे की विकलॉगता का प्रभाव जहॉ तक उसके परिवार तथा समुदाय को प्रभावित करता हैं वहीं पर उस विकलॉग को उससे अधिक प्रभावित करता हैं क्योंकि वह अपने आपको समाज के बीच में असहाय महसूस करता है कई ऐसे बच्चे हैं जो कि विकलॉग होने के उपरान्त भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जबकि कई विद्यालय घर से दूर होने के कारण यह बच्चे शिक्षा के अभाव में अशिक्षित ही रह जाते हैं । इन विकलॉग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में समेकित

शिक्षा के माध्यम से कई कार्य किये जा रहें है । मेडिकल एसेस्मेट कैम्प , वातावरण सृजन हेतु कार्यशाला , स्वास्थ्य परीक्षण आदि ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलॉग बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया जा रहा है ।

विकलॉगता/अक्षमता के प्रकार :—

विकलॉगता/अक्षमता मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है ।

1- दृष्टि विकलॉगता /अक्षमता

2- श्रवण एवं वाणी विकलॉगता/अक्षमता

3- शरीरिक विकलॉगता /अक्षमता

4- मानसिक मन्दता

5- अधिगम अक्षमता

विकलॉगता /अक्षमता का कारण :—

विकलॉगता होते के कारण तो बहुत से होते हैं इन कारणों को दो भागों में विभाजित करके इन्हें संक्षेप में बताया जा सकता हैं । यह कारण मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं ।

1- जन्म के समय

2- जन्म के बाद

1- जन्म के समय :—

जन्म के समय विकलॉगता तब हो सकती है । जब मॉ को गर्भावस्था के दौरान डक्टर की सही सलाह न मानी गयी हो मॉ का खान – पान का ध्यान न रखा गया हो अगर बच्चा पैदा होते समय नहीं रोया हो तथा उसे पीलिया हो गया हो तो बच्चा विकलॉग हो सकता है

2- जन्म के बाद :—

जन्म के बाद होने वाली विकलॉगता किसी भी उम्र में हो सकती है मानसिक मन्दता किसी भी व्यक्ति के दुर्घटनावश स्तर पर चोट लगने के कारण जन्म से 16 वर्ष की आयु तक हो सकती है । बच्चों में अधिगम अक्षमता के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि

– माता पिता स्नेह में कमीं ।

– देखने, बोलने एवं सुनने में कठिनाई

– बौद्धिक क्रिया कलापों के विकास की मन्दमति सीखने के समान अवसन न मिलना ।

– लालन पालन के समय बच्चे का सही तरीके से ध्यान न रखना ।

– दृष्टि तथा मांस पेशियों मे तालमेल न होना ।

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद बहराइच की जनसंख्या 1840373 है । बहराइच में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार अध्यापक/न्याय पंचायत समन्वयक/ब्लाक समन्वयकों द्वारा कराया गया । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विकलांगता वाले 0-14 वर्ष के बच्चों की संख्या निम्न प्रकार दर्शायी गयी है ।

	बालक	बालिका	योग
1-दृष्टिअक्षमता	253	167	420
2श्रवणएवंवाणी	530	324	854
3-शारीरिक अक्षमता	1558	765	2323
4- मानसिक मन्दता	304	155	459
5- अधिगम अक्षमता	253	101	354
योग	2898	1512	4410

अक्षमता के परिणामस्वरूप बच्चों में अपने आप में आत्म निर्भरता की कमी आ जाती है । समाज भी इन बच्चों को उपेक्षित करता रहता है ऐसे बच्चों के प्रति परिवार को भी अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है परिवार में विकलॉग बच्चें के कारण आर्थिक बोझ बढ़ जाता है अगर समाज के लोग इन बच्चों का सहयोग करें तथा समय – समय पर अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहित करें तब इन विशेष प्रकार के बच्चों में अत्म विश्वास बढेगा ।

अक्षम बच्चों से सम्बन्धित शिक्षा के लिए हमारे देश में कुल 05 राष्ट्रीय संस्थान   है ।

1- राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद ।

2- राष्ट्रीय श्रवण विकलॉग संस्थान बान्द्रा मुम्बई ।

3- राष्ट्रीय दृष्टि विकलॉग संस्थान देहरादून ।

4- राष्ट्रीय आर्थोपेडिक्ट संस्थान कलकत्ता ।

5- अस्थि विकलॉग संस्थान दिल्ली ।

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलॉग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है । केवल शिक्षक को कुछ बातों पर ध्यान रखना पडेगा जैसे की पढ़ाने समय अधिक से अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें । विशेष तकनीक की आवश्यकता उन बच्चों को होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है ।

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए समुदाय , परिवार एवं अध्यापकों का संवेदीकरण कराना अति आवश्यक कार्य है इसके लिए सबसे पहले अपने परिवार एवं समुदाय के दृष्टिकोण को बदलना

होगा । इन बच्चों को सहानभूति की नहीं बल्कि सही मार्ग दर्शन एवं सहायता की आवश्यकता है इनकी अक्षमता को अनदेखा करके इनकी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है ।

जनपद बहराइच में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित शिक्षा के कार्य के लिए चार विकास खण्डों का चयन किया गया है। यह विकास खण्ड है नवाबगंज, महसी, शिवपुर एवं हुजूरपुर। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अब समस्त विकासखण्डों में समेकित शिक्षा चलाई जायेगी।

इन चार विकास खण्डों में मेडीकल एसेस्मेन्ट कैम्प लगाये जा चुके हैं तथा समेकित शिक्षा के लिए वातावरण सृजन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी इन चार विकास खण्डों में किया जा चुका है जिसमें 05 अध्यपकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा कुछ अभिभावकों को भी प्रतिभाग कराया गया । बहराइच में चयनित दो विकास खण्डों में 05 दिवसीय प्रशिक्षण अभी तक शुरू नहीं कराया जा सका है । क्योकि अभी तक शिक्षक हस्त पुस्तिका एवं फोल्डर्स का मुद्रण नहीं कराया गया है । प्रक्रिया चल रही है मुद्रण के बाद तुरन्त प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा । जनपद में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य किया जा रहा है । सभी विकलॉगताओं का सर्वेक्षण 0-14 वर्ष का ब्लाक समन्वयकों द्वारा कराया गया है ।

जनपद में अभी तक कुल 05 मास्टर ट्रेनर है जिनमें से 05 मास्टर ट्रेनर्स को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है तथा एक एक माह का ब्रीच कोर्स कराया गया है तथा अब तक शेष विकास खण्डों में 20 मास्टर ट्रेनर्स का चयन करके 10 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा । मेडीकल एसेस्मेन्ट कैम्प हेतु चयनित चार विकास खण्डों में कैम्प के लिए 1000/- रूप्ये दिये गये थे जिसमें अधिकतम एक विकास खण्ड में 05 कैम्प लगाये जा सकते हैं तथा शेष 10 विकास खण्डों में भी मेडीकल एसेस्मेटन्ट कैंम्प आयोजित किये जायेगें । जनपद में फाउन्डेशन कोर्स (45दिन) का सह समन्वयक एवं न्याय पंचायत समन्वयक को चयनित दो विकास खण्डों में ही कराया गया है तथा शेष 12 विकास खण्डों में सह समसन्वयक एवं न्याय पंचायत समन्वयकों को फाण्उडेशन कोर्स कराया जायेगा । जनपद में प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण में 37 अध्यापकों का एक फेरा होगा जिसमें एक फेरे की धनराशि 17200 रूपये होगी । जनपद में चार विकास खण्डों के लिए 3,08,000.00/- रूपये राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त है तथा अब शेष 10 विकास खण्डों में इसी प्रकार प्रशिक्षण डायट के माध्यम से कराया जायेगा । उपकरण एवं उपस्कर कैम्प हेतु 5000 प्रत्येक कैम्प के लिए दो विकास खण्डों में प्रस्तावित है तथा अधिकतम् दो कैम्प एक विकास खण्ड में लगाया जा सकता है शेष 10 विकास खण्डों में 10,000 प्रत्येक विकास खण्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है तथा तहसील स्तर पर रिसोर्स रूप का विकास किया जायेगा तथा वोकेशनल कैम्प का आयोजन ब्लाक स्तर पर किया जायेगा जिसमें 9 -14 वर्ष के बच्चों को बोकेशनल ट्रेनिंग दी जायेगी ।

जनपद में यह देखा गया है कि विकलॉग बच्चों के माता – पिता को जानकारी का बहुत अभाव है तथा उन्हें अधिक से अधिक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है क्योकि यहॉ पर कई ब्लाक नगर से बहुत दूर है। तथा वह ज्यादातर बाढ़ से प्रभावित रहते हैं । इस लिए वहॉ ग्राम स्तर पर सम्पर्क करने में कठिनाई होती है ।

जनपद बहराइच में विकलॉग बच्चों को शिक्षा देने के लिए दो विशेष विद्यालय हैं । हैण्डीकैप्ड चाइल्ड बेलफेयर सोसाइटी सबेरा जरवल रोड बहराइच ।

2- मूल बधिर विद्यालय कानूनगोपुरा (दक्षिणी) बहराइच ।

उपकरण एवं उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलॉगता का प्रतिशत एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए मेडीकल एसेस्मेन्ट कैम्प का आयोजन किया जाये जिसमें डाक्टरों की टीम में आर्थोपेडिक्ट , इ०एन०टी० सर्जन एवं एक आई स्पेशलिस्ट हो फिर आवश्यकतानुसार उन्हें उपकरण एवं उपस्कर कराने होगे जिसके लिए निम्न संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है ।

1- एलिम्को जी०टी० रोड कानपुर ।

2- भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर ।

3- यू०पी० विकलॉग केन्द्र 13 लूकरगंज इलाहाबाद ।

4- मंगलम् ए– 445 इन्दिरा नगर लखनऊ ।

अध्यापकों का प्रशिक्षण :–

समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा । इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4-4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाता है ।

मास्टर ट्र ेनर का प्रशिक्षण :–

प्रत्येक विकास खण्ड से 4-4 मास्टर ट्रेनर होगें इनमें दो अध्यापक एवं दो लोग डायट एवं किसी स्वयं सेवी संस्था के होगें । तथा प्रत्येक विकास खण्ड से एक सह समन्वयक एवं न्याय पंचायत समन्वयक को 45 दिन का फाउन्डेशन कोर्स भी कराया जायेगा तथा अन्य का प्रशिक्षण 10 दिन का होगा । इन सभी का प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन, रूलेहखण्ड विश्व विद्यालय बरेली , अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर ककरडूमा विकास मार्ग दिल्ली एवं उ०प्र० विकलॉग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी 13, लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है।

शिक्षको के लिए शैक्षिक सामग्री :—

शिक्षकों के लिए शिक्षक हस्त पुस्तिका का विकास किया गया है तथा पॉच विकलॉगताओं —दृष्टि, श्रवण, अस्थि, मानसिक एवं अधिगम विकलॉगता के फोल्डर्स राज्य परियेाजना के द्वारा तैयार कराये गये हैं जो कि जनपद में प्राप्त है । समुदाय में संवेदनशीलता लाने के लिए "आप क्या कर सकते हैं " नामक फोल्डर विकसित किया गया है । तथा ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलागों के विकास को शामिल किया गया है ।

स्वंय सेवी संस्थाओं की भागीदारी :—

विकलॉग/अक्षम बच्चों हेतु ऐसी संस्था का चयन किया जाना चाहिए जिसके पास विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो तथा वह ऐसी संस्था हो निम्नलिखित पात्रता रखती हो

1- संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो ।

2- संस्था के पास विकलॉगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता ।

3- विकलॉगता के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

4- संस्था विकलॉग जन अधिनिमय 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो ।

अनुमानित बजट

1-	सर्वेक्षण	—	माइक्रोप्लानिंग के द्वारा	
2-	मेडीकल एसेस्मेन्ट कैम्प	—	14x2300	= 32,200
3-	मास्टर टेनर्स ट्रेनिंग	—	2x10x2575	= 51,500
4-	फाउन्डेशन कोर्स (45दिन)	—	1,74,240 (25 प्रतिभागी)	
5-	प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण	—	17,200x2300/37	=10,75,405
6-	छपाई (शिक्षक हस्त पुस्तिका एवं फोल्डर्स)	—	12x8000	= 96,000
7-	स्वंय सेवी संस्था के कार्य हेतु (प्रति ब्लाक)	—	6x3,00,000	= 18,00,000
8-	अभिभावक परामर्श कैम्प	—	14x500	= 7000
9-	बोकेशनल कैम्प (10-14 वर्ष)	—	14x3000	= 42,000.
10-	तहसील स्तर पर रिसोसे रूम	—	30000 x 4	=1,20,000
11-	स्पेशल कैम्प (03 दिन)	—		
12-	इन्फारस्ट्रेक्चर रैम्प	—		
13-	अन्य व्यय (कंटिजेसी)	—	14x10,000	= 1,40,000
	कुल योग			= 33,64,105

बालिका शिक्षा के नामांकन एवं ठहराव हेतु डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत लिए गये प्रयास :–

क्र०सं०	गतिविधि का नाम	लक्ष्य /	प्रशिक्षण	उद्देश्य
1-	जिला सन्दर्भ समूह गठन	42	डायट द्वारा	बालिका शिक्षा कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालित करने हेतु
2-	न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशाला	106	न्याय पंचायत स्तर	बालिका शिक्षा के कार्य क्रम का नियोजन न्याय पंचायत स्तर पर ।
3-	लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण	–	राज्य परियोजना द्वारा प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा	बालक, बालिका असमानता को समाप्त करने हेतु ।
4-	माता शिक्षक संघ / अभिभावक शिक्षक संघ	माडल कलस्टर के समस्त विद्यालयों में बनेगा ।	M.T. द्वारा	माता पिता एवं समुदाय में बालिका शिक्षा के जागरूकता एवं
5-	मॉ–बेटी मेला	–	–	–
6-	कला जत्था	270 गांवों	प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा	नामांकन एवं ठहराव में सहयोग
7-	माडल कलस्टर	15+10=25	–	–
8-	ई०सी०सी० ई०केन्द्र	48संचालित	–	–
9-	ग्रीष्म कालीन शिविर	140 शिविर	शिविर प्रभारी द्वारा	5 वर्षो के रिकार्ड द्वारा चयनित शालात्यागी बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोड़ना ।
10-	महिला प्रेरक समूह			

1- <u>जिला संदर्भ समूह का गठन :–</u>

बालिका शिक्षा कार्यक्रम का सुचारू रूप से निर्धारित करने क लिए जिला स्तर पर संदर्भ समूह का गठन करके प्रति ब्लाक 3 लोगो को प्रशिक्षित किया जायेगा 42 D.R.G. सदस्यो पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण का रू० 21.8 हजार व्यय करने का प्रस्ताव है D.R.G सदस्यों द्वारा उच्च प्राथमिक

शिक्षा में बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति बनायी जायेगी। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कराया जायेगा।

2- जिला स्तर पर बैठक :-

बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु पूरे वर्ष में 6 बार बैठकें आयोजित की जायेगी जिस पर रू० 1 हजार प्रति बैठक की दर से कुल 12 हजार रूपये व्यय प्रस्तावित है । 7 वर्ष क लगातार बैठक हेतु 84 हजार का व्यय प्रस्तावित है सर्व शिक्षा अभियान में जिला स्तर बैठक में प्रा० एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु शैक्षिक गतिविधियों से जुडे निर्माण संस्थाओं (सरकारी – गेट– सरकारी) जन प्रतिनिधियों , समाजसेवी कार्यकर्ताओं से अपेक्षित सहयोग लिया जायेगा। यह बे०क०2002-2003 , 2003-2004 , 2004-2005, 2005-2006 , 2006-2007 में होती रहेगी ।

3- जिला स्तरीय सेमिनार कार्यशाला :-

वर्ष में दो बार जिला स्तरीय सेमिनार कार्यशाला का आयेाजन किया जायेगा । इस कार्यशाला में विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों , बुद्धि जीवी वर्ग के सदस्येां की सम्मिलित करके प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु सुझाव आमन्त्रित किये जायेगे । सुझावों के आधार पर रणनीति तैयार होगी । डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्रति कार्यशाला 15 हजार का प्राविधान है । 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 में जिला स्तरीय सेमिनार कार्यशाला हेतु प्रतिवर्ष 30 हजार की दर से 7 वर्ष हेतु 210 हजार रूपये व्यय प्रस्तावित है ।

लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में माडल कलस्टर के समस्त अध्यापकों, बी०आर०सी० , एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को लिंग संदवेनशीलता प्रशिक्षण कराया जा चुका है । वर्ष 2001-2002 में जनपद बहराइच के समस्त विकास खण्डों के सेवारत शिक्षकों को जेण्डर प्रशिक्षण कराया जायेगा । 20001-2001, के जेण्डर प्रशिक्षण में प्रा० शिक्षा के साथ – साथ उच्च प्रा० शिक्षा में बालिकाओं को शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता का विकास किया जायेगा । 2001-2002 में लिंग संवेदनशीनलता प्रशिक्षण में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत्त सभी शिक्षक शिक्षिकाओं कौ सम्मिलित किया जोयगा । उच्च प्रा० वि० में कार्यरत शिक्षक की संख्या 700 है ।

लिंग संवेदनशीता प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनर के संदेश स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा । प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ब्लाक पर प्रशिक्षण देने हेतु शिक्षक प्रशिक्षक तैयार किए जायेगें । ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण टीम तैयार करने हेतु 10,000 रू. की आवश्यकता होगी । इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण पैकेज भी दिया जायेगा । ब्लाक स्तर पर बी०आर०सी० पर शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा 30-30 अध्यापकों के समूह को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

माडल कलस्टर में इन गतिविधियों के माध्यम से बालिका नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है । बहराइच जनपद के 14 विकास खण्डों में महिला प्रेरक समूह का गठन किया जाये । एक विकास खण्ड में इनकी संख्या कम से कम 20 होगी । 20 समूह प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करायेगें ।

14 विकास खण्डों में इनकी संख्या 14 x 20 = 280 समूह ।

माता – शिक्षक संघ :–

माडल कलस्टर में माता शिक्षक संघ/ अभिभावक शिक्षक संघ का गठन हो गया है इनके प्रशिक्षण हेतु धन प्राप्त है 2001 - 2002 में इनका प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जायेगा ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी मातृ अभिभावक एंव पितृ अभिाभावक संघ की आवश्यकता है । इनका गठन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा । इनकी संख्या 15 से 20 होगी उच्च प्राथमिक में प्रत्येक विद्यालय में गठन करने से इनके कुल समूहों की संख्या लगभग 1300 होगी । जिनके प्रक्षिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर को प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा उसी मास्टर ट्रेनर से ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर संघ सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु अन्य प्रशिक्षक प्रशिक्षित कराये जायेगें । यह प्रशिक्षण विद्यालय वार कराया जायेगा एक समूह के प्रशिक्षण हेतु 2500/- की आवश्यकता होगी 1300 समूह को प्रशिक्षण देने हेतु 1300 x 2500 = 32,50000 रूपये की आवश्यकता होगी ।

मॉ – बेटी – मेला :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में माडल कलस्टर की ग्राम सभाओं में मॉ बेटी मेला का आयोजन कराया जाना था जो अभी तक नहीं कराया गया । यह कार्य वर्ष 2001-2002 में पूरा किया जायेगा । यह मेला बालिका शाला त्याग को रोकने में सहायक होगा । उच्च प्राथमिक स्तर पर मॉ बेटी मेला के आयोजन हेतु बलहा, शिवपुर, मिहीपुरवा का चयन किया जायेगा । तीनों विकास खण्ड में महिला साक्षरता दर बहराइच जनपद के अन्य विकास खण्ड की तुलना में बहुत कम है एक– एक विकास खण्ड की 10 ग्राम सभाओं में यह मेला आयोजन किया जायेगा । एक मेला आयोजन का बजट 3800.00 रू० हैं । प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 38,000.00 रूपये की आवश्यकता होगी । माइक्रोप्लानिंग के आधार पर उन ग्राम सभाओं का चयन किया जायेगा जहॉ बालिकायें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय से बाहर है ।

ग्रीष्म कालीन शिविर :–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय के पॉच वर्षो का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकालकर बालिकाओं को सूची बद्ध किया जायेगा एवं ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजन करके उन्हें पुनः विद्यालय में नामांकित किया जायेगा ।

प्राथमिक स्तर पर शिविर आवश्यकता

क्र०सं०	वर्ष	विकास खण्ड	शिविरों की	प्रतिभागी सं.	बजट
1-	2000-2001	12	120	4229	5,42,400.00
2-	2001-2002	14	140	5600	6,30,000.00
3-	2002-2003	14	140	5600	6,30,000.00
4-	2003-2004	14	140	5600	6,30,000.00
5-	2004-2005	14	140	5600	6,30,000.00
6-	2005-2006	14	140	5600	6,30,000.00
7-	2006-2007	14	140	5600	6,30,000.00

उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजन

विद्यालय के रजिस्टर से पिछले पॉच वर्षो का शाला त्याग दर निकालकर बालिकाओं की सूचीबद्ध किया जायेगा । ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करके उन्हें पुनः विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा । प्रशिक्षण के दौरान इन बालिकाओं की पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के ज्ञान के साथ – साथ हस्तशिल्प, लघु उद्योग से संबंधित ज्ञान जीने मोमबत्ती बनाना, चटाई, बनाना, पेखें बनाना, अचार मुरब्बा बनाने का प्रशिक्षण , तिपाई बनाना, आदि सिखाया जायेगा ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिविर की आवश्यता

क्र०सं०	वर्ष	विकास खण्ड की संख्या	प्रतिभागी सं०/ शिविरों की	प्रतिभागी सं.	बजट
1-	2001-2002	14	140	5600	6,30,000.00
2-	2002-2003	14	70	2800	3,15,000.00
3-	2003-2004	14	70	2800	3,15,000.00
4-	2004-2005	14	70	2800	3,15,000.00
5-	2005-2006	14	70	2800	3,15,000.00
6-	2006-2007	14	70	2800	3,15,000.00

अभिभावक सम्मेलन :–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सत्र के प्रारम्भ ,मध्य एंव अन्त में अभिभावक सम्मेलन बुलाया जायेगा । प्रारम्भ में अभिभावकों को छात्र उपस्थित से सम्बन्धित समस्याओं से अवगत कराया जायेगा । उपस्थिति के सम्बन्ध में शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सुझाव आमन्त्रित किये जायेगें । सत्र के मध्य में शैक्षिक उपलब्धि में आने वाली बाधाओं पर विचार किया जायेगा । छात्र /छात्राओं की प्रगति में अभिभावक सम्मेलन की महती भूमिका है।

प्रा०वि० एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमी को समुदाय के सहयोग से पूरा करने का आहवान किया जायेगा ।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में सप्ताह में एक बार ठहराव परिक्रमा निकाली जायेगी । जिसमें विद्यालय में बच्चें अध्यापक एवं अभिभावक सम्मिलित होगे । नियमित उपस्थित न रहने वाले बच्चों के दरवाजे पर जाकर उन्हें विद्यालय में नियमित उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । बच्चों को उपस्थित के प्रति सचेत एवं सावधान रहने के लिए प्रतिमाह लाल , पीला और हरा निशान दिया जायेगा । यह कार्य प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा । प्रधानाध्यापक विद्यालय में उपस्थित रिकार्ड बनाएगा एवं जिस बच्चों को लाल निशान लगातार मिलेगा उन्हें सावधान किया जायेगा ।

7 दिन उपस्थित होने वाले बच्चों को –	लाल निशान
14 दिन उपस्थित रहने वाले बच्चों को –	पीला निशान
21 दिन उपस्थित रहने वाले बच्चों को –	हरा निशान

तारांकन प्रक्रिया के विषय में बच्चों को भी पूर्ण जानकारी दी जायेगी ।

अनुरक्षक अथवा स्कूल माता की व्यवस्था :–

प्राकृतिक अवरोध स्कूल की दूरी एवं असुरक्षा की भावना आदि ऐसे कारण है जिसके कारण कई अभिभावक अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में सकुंचाते हैं इस कठिनाई को दूर करने के लिए समुदाय के सहयोग से अनुरक्षक अथवा स्कूल माता की व्यवस्था की जायेगी जो बालिकाओं को विद्यालय पहुँचाने एवं वापस लाने में मदद करेगी । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करेगी ।

विशेष कोचिंग व्यवस्था :–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर जिन बालिकाओं की नियमित उपस्थित नहीं रहती हैं उनका शैक्षिक उपलब्धि स्तर अन्य बालिकाओं की उपेक्षा कम हो जाता है समुदाय के सहयोग से इन बालिकाओं के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रहर पाठशाला :–

जनपद बहराइच में 9+ वाली बालिकाओं हेतु प्रहर पाठ्शाला की विशेष आवश्यकता है यह पाठ्शाला उन्हें पढने का पुनः अवसर प्रदान करेगी । प्रहर पाठ्शाला का पाठ्यक्रम लचीला हो एवं स्थानीय साहित्य एवं कला का समावेश हो जैसे मिहींपुरवा की आम्बा कारीकोट एवं लौकाही की अनुसूचित जन जाति आबादी हेतु विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता है ।

प्रहर पाठ्शाला को चलाने के लिए महिला अध्यापिकाओं की स्थानीय चयन प्रकिया के आधार पर नियुक्ति की जाए जिससे वे पढाई के साथ – साथ भावी जीवन की सफलता में भी निपुण हो जायें। बहराइच जनपद हेतु 200 प्रहर पाठ्शालाओं की आवश्यकता है जिसमें प्रति पाठ्शाला तीन शिक्षिकाओं के मानक के आधार पर 600 शिक्षिकाओं की आवश्यकता होगी ।

प्रहर पाठ्शाला (जनपद बहराइच)

क्र०सं०		संख्या
1-	प्रहर पाठ्शाला	200
2-	शिक्षिकाऐं	600
3-	पाठ्य सामग्री एवं अनुपूरक सामग्री प्रति पाठ्शाला	200 केन्द्रों हेतु

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :–

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने में कार्यानुभव आधारित शिक्षण प्रदान किया जायेगा । कार्यानुभव उच्च प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं का शालात्याग कम करेगा एवं बालिकाओं में व्यावसायिक कौशल का विकास करेगा । कार्यानुभव से बालिकाओ का भविष्य उज्जवल होगा । कार्यानुभव के कार्यक्रम द्वारा बालिकाए स्थानीय आवश्यकतानुसार कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके भावी जीवन में स्वालम्बी एवं आत्म निर्भर बन सकती है । व्यवसायिक प्रशिक्षण में हाथ की बुनाई , सिलाई , कढ़ाई, चटाई बनाना पंखा बनाना, मोमबत्ती बनाना, पौधशाला बनाना खडिया बनाना, फाइलकवर बनाना, स्कूल के बस्ते बानाना, मिठाई के डिब्बे बनाना आदि ।

अचार , मुरब्बा, फ्रूट जेम आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जा सकता है । उच्च प्राथमिक शिक्षा में कार्यानुभव के समावेश से अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी । क्योकि बालिकाएं भावी जीवन की तैयारी में लग जायेगी ।

शिशु शिक्षा केन्द्र :–

बहराइच जनपद में बाल विकास विभाग के सहयोग से 48 आंगनबाडी केन्द्रों को शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में चयनित किया गया है वर्तमान में बहराइच जनपदमें आई०डी०एस० विभाग द्वारा संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों की स्थिति इस प्रकार है :–

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	आंगन बाडी केन्द्र की सं०
1-	फखरपुर	131
2-	तेजवापुर	124
3-	कैसरगंज	114
4-	जरवल	132
5-	महसी	137
6-	हुजूरपुर	117
7-	शिवपुर	148
8-	बलहा	100
9-	मिहींपुरवा	209
10-	नवाबगंज	100
11-	रिसिया	127
12-	चित्तौरा	112
	कुल योग	1551

प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के ठहराव एवं उपस्थित को सुनिश्चित करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है । डी०पी०ई०पी० के अनतर्गत संचालित 48 ई०सी०सी०ई० केन्द्र अनवरत चलते रहने की आवश्यकता है ।

प्रत्येक विकास से कम से कम 20 आंगनबाडी केन्द्रो का चयन ई०सी०सी०ई० केन्द्र के रूप में किया जाये । ऑगन बाडी केन्द्रों की कार्य कात्रियों एवं सहायिका दोनों को 10 दिन का प्रशिक्षण जिला शिल्प एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिलवाया जायेगा । इन केन्द्रो पर कार्यरत कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा । परन्तु यह मानदेय जिला परियोजना कार्यालय द्वारा कार्यकत्री एवं सहायिका के खातों में दिया जायेगा। केन्द्रो को प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान की जायेगी । बहराइच जनपद की विकास खण्डवार आवश्यकता इस प्रकार हैं :–

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	चयनित ई०सी०सी० ई० केन्द्रो की संख्या	वर्ष
1-	फखरपुर	33	2000-2001में संचालित है
2-	चित्तौरा	15	2000-2001में संचालित है
3-	हुजूरपुर	20	2002-2003 में चयन किया जायेगा
4-	मिहींपुरवा	20	
5-	महसी	20	
6-	जरवल	20	
7-	शिवपुर	20	
8-	बलहा	20	2004-2005 में चयन किया जायेगा
9-	रिसिया	20	
10-	कैसरगंज	20	
11-	नवाबगंज	20	
12-	बलहा	20	2005-2006 में चयन किया जायेगा

2002 -2003 में चार विकास खण्ड में आई०सी०डी०एस० विभाग के सहयोग से 80 आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया जायेगा । 80 आंगनबाडी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के प्रशिक्षण पर प्रतिफेरा 50 हजार की दर से दो फेरों हेतु 1,00,000 =00 रूपये की धनराशि व्यय होगी ।

इन केन्द्रों के संचालन हेतु वर्षवार व्यय इस प्रकार होगा

क्र०सं०	केन्द्र की संख्या	प्रशिक्षण सामग्री धनराशि	प्रति वर्ष मानदेय धनराशि	कुल धनराशि	वर्ष
1-	80	5,20,000	3,60,000	-	2004-2005
2-	80	5,20,000	3,60,000	-	2005-2006
3-	40	2,60,000	1,80,000	-	2006-2007

इन शिशु शिक्षा केन्द्रों से प्राथमिक शिक्षा में बालिका शिक्षा में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव की समस्या हल हो जायेगी । जो बालिकाएं अपने छोटे भाई बहनों की देख – रेख के कारण विद्यालय नहीं जा पाती हैं वे विद्यालय में उपस्थित होकर प्राथमिक शिक्षा को पूरा करेंगी ।

अध्याय – 9

शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू होने से पूर्व यह अनुभव किया जाता रहा था कि शिक्षा पुस्तक केन्द्रित बनकर रह गयी है शिक्षक पुस्तक को ही साध्य मान अपना पूरा समय पुस्तक को रटाने में ही लगा देते थे । बच्चों को स्वयं कक्षा में करके सीखने के अवसर नहीं मिलते थे । शायद शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट एवं बच्चों का कक्षा से पलायन इसी का नतीजा था । ऐसे में बहराइच /श्रावस्ती जनपद में प्राथमिक शिक्षा के परिवेश तथा स्थिति में बदलाव लाने के लिए वर्ष 1999 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा विद्यालयों के भौतिक सुविधाओं संसाधनों के सृजन और सम्वर्द्धन करने के साथ – साथ गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया । जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण , शिक्षकों को विद्यालय में सहयोग एवं अनुसमर्थन किया जा रहा है । इस निमित जनपद में स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रो एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है । बी०आर० सी., एन०पी०आर०सी० तथा सह समन्वयकों को उनके कार्य तथा दयित्वों के सम्बन्ध में 5 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण , डायट स्तर पर प्रदान किये गये । समन्वयकों द्वारा विद्यालय भ्रमण , आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन०पी०आर०सी० का उनके भौतिक एवं अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण , एन०पी०आर०सी० स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान शिक्षण सामग्री निर्माण की कार्यशालाओं का आयोजन आदि उपायों के सहारे नियमित अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । अकादमिक संसाधन समूह, ब्लाक संसाधन समूह जिला संसाधन समूह का गठन एवं उनकी नियमित बैठकों का आयोजन कर गुणवत्ता बढाने का प्रयास किया जा रहा है । इस कल्याणकारी कार्यक्रम के लागू होन से आच्छादित विद्यालयों तथा शिक्षकों की क्षमताओं एवं अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो रही है किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रह जा रहे हैं । जिन्हें समुचित प्रकार के सहयोग एवं सपोर्ट की आवश्यकता है ।

1- उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है ।

2- मकतब एवं मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो रहें हैं ।

3- अशासकीय हाई स्कूल , इण्टर कालेज के साथ संचालित 1-5 तथा 6-8 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का कार्यक्रम की परिधि में नहीं लिया गया है ।

जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने का परिदृष्य :–

1-	जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या –	1692
2-	जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या –	269
3-	जनपद में ई०सी०सी०ई० की संख्या –	50
4-	जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या – (जहाँ कक्षा 6, 7, 8 संचालित है)	55

स्कूल पूर्व शिक्षा :-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है । इसी लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशु शिक्षा केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है । महिला एवं बाल विकास विभाग उ० प्र० द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगन बाडी केन्द्रो में से 50 केन्द्रो का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रो के रूप में विकसित किया गया है । इसमें 35 केन्द्र फखरपुर , 15 केन्द्र चित्तौरा (बहराइच) में संचालित हैं । इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिया गया । इन केन्द्रों के सम्यक सुदृढीकरण एवं अनुसमर्थन हेतु पर्यवेक्षिकाओं की भी प्रशिक्षित किया गया हैं । सम्प्रति यें केन्द्र शिशु शिक्षा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहें हैं । इन केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी के अनुरूप लाया जा रहा है । केन्द्र का समय इनके निर्धारित समय से दो घंटा बढ़ाया गया है । इन केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य लडकियों को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया जाना है ।

डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम की ओर से इन केन्द्रो पर कार्यकत्रियों , सहायकाओं, को अतिरिक्त मानदेय, प्रशिक्षण , केंन्द्रो के लिए खेल सामग्री , उपकरण शिक्षण सामाग्री हेतु रू० 5,000/- तथा आकस्मिक व्यय हेतु भी रू० 1500/- की धनराशि प्रति शिशु केन्द्र को दिया जा रहा है । इस सुविधा से प्राथमिक शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । जैसे –

1- बच्चो का विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है ।

2- बलिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है ।

3- बच्चों में ठहराव की आदत विकसित हुई है ।

4- शिक्षा के प्रति बच्चों में रूचि बढी है ।

5- घर में छोटे भाई बहनों की देख रेख करने वाली लड़कियॉ भी स्कूल आने लगी हैं ।

6- छोटे बच्चेां में व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं ।

ग्राम शिक्षा समिति

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढाने के लिए स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम िक्षा समिति का गठन किया गया है । समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है । इसमें एक महिला, एक अनुसूचित जाति/जनजाति का अभिभावक तथा एक अन्य अभिभावक भी सदस्य होता है । स्कूल भवन की मरम्मत , अनुरक्षण , विद्यालय की अन्य सुविधाओं , भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है । इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के शैक्षणिक कार्यो का पर्यवेक्षण करती हैं ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत डायट के नेतृत्व में जनपद के ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण देने हेतु बी० आर० जी० का बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है । यह प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया । इस अनुक्रम में बी०बार०जी० सदस्यों के द्वारा शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है । ग्राम स्तर पर इस प्रशिक्षण के आयोजन से निम्नांकित लाभ दृष्टि गोचर हो रहे है ।

1- कौशल निर्माण अभ्यास कार्य ।

2- प्रतिभागिता परक विश्लेषण और समस्या समाधान कार्य ।

3- समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण ।

4- प्रतिभागिता उपागम , रोलप्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण एवं सम्प्रेषण अभ्यास ।

5- शिक्षा में सहयोग की भावना विकसित ।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय बनाने विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा सूक्ष्म नियोजन अभ्यास भी किये गये । ग्राम शिक्षा – योजना विद्यालय स्तर पर इसी आधार पर तैयार की जा रही है तथा उसका क्रियान्वयन भी किया जायेगा । स्कूल स्तर पर नियोजन ,स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए माइक्रो प्लानिंग और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया हो । ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान संकल्प एंव प्रयास नाम माड्यूल का उपयोग किया गया है । इससे विद्यालयी क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है तथा इससे बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो रही है ।

समुदाय की भागीदारी को और अधिक बढाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्वो पर समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है । इसके लिए कक्षा शिक्षण के समय समुदाय के लोगों को आमन्त्रित किये जाने की आवश्यकता है ।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की अहं भूमिका है । अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों का विद्यालय में नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है शिक्षित अभिभावकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टि कोण देखने को मिलता है । शिक्षित अभिभावकों से पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक कार्य में मदद मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकॉश अभिभावक कम पढे लिख या निरक्षर हैं जिससे वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते हैं । शहरी क्षेत्रों में भी परिषदीय विद्यालयों में गरीब बच्चे अधिकॉशतः अध्ययन करते हैं इनके माता पिता मजदूरी का कार्य करते हैं तथा स्वयं अनपढ़ होते हैं । अतः इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा में कोई सहयोग नहीं मिल पाता है । अतः परिषदीय तथा ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के बच्चों को शिक्षकों का एक मात्र सहयोग प्रदान होता है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम के सफलतम् क्रियान्वयन, शिक्षा के प्रति जन चेतना जागृत करने एवं शैक्षिक गुणवत्ता सवंर्द्धन में सहयोग करने हेतु जनपद की समस्त ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों एवं स्वयं सेवी सदस्यों का हर एक वर्ष बाद ग्राम शिक्षा समितियों बी०आर०जी० के सदस्यों द्वारा डायट के निर्देशन में दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा एवं जिसमें सदस्येां की संख्या लगभग 25 होगी ।

शिक्षकों को शैक्षिक सर्पोट एवं अनुसमर्थन की व्यवस्था :'–

बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तरों में वृद्धि करने तथा कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पयागपुर के नेतृत्व में शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने तथा उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए बहु आयागी रणनीति अपनायी जा रही है । डी०पी०ई०पी कार्यक्रम के पूर्व जिले में संचालित एस०ओ०पी०टी० कार्यक्रम के दौरान निम्न कठिनाईयॉ अनुभव की गयी थीं ।

1- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु , शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधी जुडी हुई न होकर विभिन्न स्तर की थी जिससे कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई ।

2- प्रशिक्षण में प्रति वर्ष सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका ।

3- प्रशिक्षण के उपरान्त विकास खण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

उपयुर्कत अनुभवों के आधार पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रति वर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहें हैं । ये प्रशिक्षण सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयेां के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों , नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये जा रहें हैं । डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया । तत्पश्चात

विकास खण्डों पर आयोजित प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण डायट मेन्टरों, वरिष्ट प्रवक्ताओं एवं प्राचार्य के साथ – साथ बी०एस०ए० , ए०बी०एस०ए० तथा जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा यथा समय किया गया ।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने लिए जनपद स्तर पर डायट , ब्लाक स्तर पर बी०आर.सी० तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों की व्यवस्था हैं इन सबके द्वारा अनुश्रवण में शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं । इन व्यवस्थाओं के बाद भी समस्याओं के समाधान में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है अथवा सुधार कम हो रहा है । इसको प्रभावी बनाये जाने के लिए और अधिक उपाय किये जाने की आवश्यकता है ।

शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु डायट संकाय के सदस्यों के साथ – साथ निरीक्षक वर्ग, बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी०, समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट अनुश्रवण कार्यशालाओं में माध्यम से प्रशिक्षित किया गया । राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर / इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों , बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० को श्रेणी वद्ध किया जाना सुनिश्चित है जनपद में सम्प्रति बी०आर०सी० से प्राप्त ग्रेडिंग की स्थिति संलग्न हैं ।

ग्रेडिंग की अब तक की व्यवस्था भौतिक वातावरण पर आधारित है । इसमें शैक्षिक वातावरण को समाहित करने की आवश्यकता है । इससे विद्यालय के शैक्षिक परिवेश में प्रगति होगी । शैक्षिक सर्पोट एवं अनुश्रवण को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ अन्य नवाचार किये जाने की आवश्यकता है ।

<u>डी०पी०ई०पी० अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण स्थिति</u> :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों को 5 चक्र प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है । अब तक जिले में दो चक्र का प्रशिक्षण दिया जा चुका है । दोनों ही चक्र के प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किये जायगें । जिनकी व्यवस्था डायट एवं बी०एस० ए० की देख रेख में ब्लाक समन्वयक द्वारा की गयी थी ।

प्रशिक्षण देने हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा चयनित किया गया तथा उनको टी०ओ०टी० का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर चयनित स्थानों यथा आई०सी०सी० एम०आर०टी० में प्रदान किया गया । जिला बहराइच डी०डी०ई०पी० द्वितीय विस्तार जिले में सम्मिलित है । अतः यहाँ प्रथम एवं द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण सम्मिलित रूप से तथा तृतीय चक्र तथा एक दिवसीय चतुर्थ चक्र का प्रशिक्षण अगस्त 2001 में ब्लाक स्तर पर पूर्ण किये जा चुके हैं । जिले में ब्लाक स्तर पर आयोजित प्रथम चक्र प्रशिक्षण 10 दिवसीय था जिसके प्रमुख विन्दु निम्नवत् थे :–

1- शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करना ।

2- शिक्षण में बच्चों की सक्रियता और भागीदारी बढ़ाना ।

3- विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण ।

4- दक्षताधारित शिक्षण पर बल

जनपद में प्रथम व द्वितीय चक्र के दस दिवसीय परिषदीय प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के उपरान्त जनपद में तृतीय चक्र सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (साधन) का आयोजन जनपद के 14 विकास खण्डों व नगर क्षेत्र बहराइच में 2300 प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण अगस्त 2001 तक आयोजित किया जायेगा । इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

1- पूर्व में आयोजित किये गये प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण के प्रमुख अंशों की पुनरावन्ति ।

2- नवीन पाठ्य पुस्तकों का परियच, विशषताएं एवं बेहतर उपयोग पर चर्चा

3- गतिविधियों के द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके पर चर्चा ।

4- बहुउद्देश्यीय शिक्षण अधिगम सामग्री का विषयवार व कक्षावार निर्माण व उपयोग सम्यक जानकारी ।

5- बहुस्तरीय एवं बहुकक्षा शिक्षण के लिए तरीके एवं व्यावहारिक अभ्यास ।

6- विद्यालय समय प्रबन्धन पर चर्चा ।

7- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समेकित शिक्षा पर चर्चा ।

8- विद्यालय श्रेणीकरण , समय सारिणी व कहानी शिक्षण ।

9- उपरोक्त के अतिरिक्त लगभग 30 सत्रों में नवीन पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षक संदर्शिकाओं के अनुसार विषयवार व कक्षावार शिक्षकों द्वारा व्यावहारिक कक्षा शिक्षण अभ्यास ।

<u>उच्च प्राथमिक स्तर :-</u> उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षको के लिये डीपी०ई०पी० योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है । इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जनपद में कार्यरत शिक्षकों में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षक कार्य कर रहे हैं । सभी शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी देने की आवश्यकता होगी । सर्व शिक्षा अभियान में इनके प्रशिक्षण को प्रस्तावित किया गा है ।

योग्य उत्साही तथा नवाचार कार्यक्रमों को संचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कार प्रदान करने की आवश्यकता है । विद्यालय भवन उसके आस पास का पर्यावरण स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए शिक्षकों , अभिभावकों एवं छात्रों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है ।

प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :– डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय पर्यवेक्षण से ज्ञात हुआ है कि जहॉ विद्यालय का भौतिक परिवेश आकर्षक हुआ है ,वहीं शिक्षकों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग भी बढ़ा है तथा बच्चों की सक्रियता भी बढ़ी है ।

प्राथमिक विद्यालयों में अब तक एक ही स्थान पर दो कक्षायें लगायी जाती हैं। जिससे गतिविधियों के लिए कक्षा में पर्याप्त स्थान नही मिल पाता है । जनपद में अध्यापकों की कमी से अधिकांश विद्यालव एकल हैं । अतः सभी कक्षाओं के संचालन में कठिनाई होती है । जनपद के ई०एम०आई०एस० आंकड़ों के अनुसार 43.27 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापकीय है । जिससे इन विद्यालयों में ठहराव एवं सम्प्राप्ति स्तर पर अपेक्षित सुधार के अन्तर्गत नहीं हो पा रहा है । इसमें अपेक्षित सुधार हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न प्रयास किया जायेगा ।

1- स्थानीय स्तर पर सेवा निवृत्त अध्यापकों व अन्य अपेक्षित योग्यता रखने वाले स्वयं सेवी व्यक्तियों की सहभागिता ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से शिक्षण हेतु ली जायेगी ।
2- बहु कक्षा शिक्षण के अन्तर्गत उच्च कक्षाओं के विषयवार उत्कृष्ट सम्प्राप्ति स्तर रखने वाले विद्यार्थियों से निम्न कक्षाओं के उन्हीं विषयों का शिक्षण/अभ्यास कार्य कराया जायेगा ।
3- जनपद/ब्लाक / न्याय पंचायत स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा से जोडने से सम्बन्घित कक्षा 1 व 2 के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं , अध्ययन सामग्री व शिक्षण सामग्री विकसित की जायेगी ।
4- कक्षा 1 व 2 के बच्चों को विद्यालय पूर्ण समय न रोककर छोटे बच्चों की रूचि के अनुसार समय का निधारित किया जायेगा ।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बी०आर०सी० एवं एन०पी० आर०सी० की स्थापना एवं उनके समन्वयकों के प्रशिक्षण कराये गये हैं । इन्हें आधारभूत प्रशिक्षण एंव शैक्षिक सर्पोट विषयक क्रमशः 5 दिवसीय एवं तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जा चुके हैं । ये लोग नियमित भ्रमण कर शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण का कार्य कर रहें हैं । श्रेणीकरण प्रक्रिया से विद्यालयों में भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश में सुधार हुआ हैं । प्रशिक्षणों का आयोजन बी०आर०सी० एंव एन०पी०आर०सी० स्तर पर किया जा रहा है ।

बहराइच में स्थापित बी०आर० सी० एवं एन०पी०आर०सी० विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन फालोअप , विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन तो करते ही हैं, साथ ही

साथ शिशु शिक्षा केन्द्रों , वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की अनुश्रवण भी करते हैं । निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण तथा सभी प्रोत्साहन योजनाओं का नियमित फालोअप भी करते हैं । ई०एम०.आई० एस० डाटा का संकलन, टेस्ट चेकिंग स्कूल चलों अभियान , बालगणना का कार्य भी करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

प्रोत्साहन योजनायें :-

सभी को विद्यालयीय शिक्षा दिलाने के लिए विद्यालय में नामांकन ठहराव बनाये रखने के लिए छात्रवृति पोषाहार वितरण , निः शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण आदि प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गयी है । इनका सबका प्रभाव तो अवश्य पड़ा है किन्तु जनपद में मिड हर्म एससेमेन्ट स्टडी न हो पाने के कारण अभी तक बेसलाइन सर्वे के बाद भी प्रगति का आंकलन नहीं हो सका है किन्तु विद्यालयों की श्रेणीकरण से यह आवश्यक स्पष्ट होता हैं कि विद्यालयें में बच्चों के नामंकन में वृद्धि हुई है । बच्चों का ठहराव विद्यालय में हो रहा हैं तथा अध्यापक अपेक्षाकृत अधिक सक्रियता से शिक्षण कार्य कर रहें हैं । वेस लाइन स्टडी का अध्ययन करने से निम्नांकित तथ्य उभर कर सामने आयें हैं ।

1- कक्षा -2 की भाषा में 11.6 % बालक तथा 9.6 % लडकियॉ अपेक्षित अधिगाण स्तर को प्राप्त कर रहीं हैं । जबकि 13.6% लडके 9.1% लडकियॉ न्यूनतम् अधिगम स्तर प्राप्त की हैं । जबकि 59.7% लडके और 64.9% लडकियॉ न्यूनतम् अधिगम स्तर की उपलब्धि भी नहीं रखती है । वे 39.0% अंक पाने वाले में भी सफल नहीं हुई हैं । इसमें 66.8% अनुसूचित जाति , 57.6% अन्य पिछडे वर्ग तथा 62.9 % बच्चे अन्य जाति के हैं ।

2- कक्षा 2 की गणित की उपलब्धि का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि 50.1% बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर से भी कम हैं । जिसमें 52.6 % अनुसूचित 46.7% अन्य पिछडी जाति , 53.7% अन्य जातियों के सम्मिलित हैं केवल 8% लडके , 4% लडकियॉ अपेक्षित अधिगम स्तर के हैं और दूसरे 21.6% लडके और 14% लडकियॉ न्यूनतम् अधिगम स्तर की ओर अग्रसर हैं ।

3- कक्षा 5 में भाषा में छात्रों की उपलब्धि के अध्ययन से बेस लाइन सर्वे के समय यह बात सामने आयी कि भाषा में मात्र 0.3% लडके तथा शून्य प्रतिशत लडकियॉ अपेक्षित अधिगम स्तर के हैं और 7.4% लडके तथा 7% लडकियॉ अपेक्षित अधिगम स्तर की तरफ अग्रसर हैं । जबकि 48.4% लडके और 38.4% लड़कियॉ न्यूनतम अधिगम स्तर से निम्न हैं ।

4- कक्षा 5 के ही गणित की उपलब्धि की स्थिति बिलकुल नकारात्मक रही कोई भी लडके व लडकियॉ अपेक्षित अधिगम स्तर के नहीं पाये गये, जबकि 79% लड़के और 92.4% लडकियॉ न्यनतम् अधिगम स्तर से निम्न हैं ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्ष 1999 ले लागू होने के कारण विद्यालयों के भौतिक परिवेश के साथ – साथ शौक्षिक परिवेश में भी सुधार हुआ है, यद्यपि मध्यावधि सर्वे जनपद बहराइच में नहीं हो सका है किन्तु अनुमानतः बच्चों की उपलब्धि में भी प्रगति हुई हैं । सर्व शिक्षा अभियान में इसे शत–प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा ।

शिक्षा से वंचित विशेष बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था :–

हमारे संविधान की 45वीं धारा में जो व्यवस्था दी गयी है उसके अनुसार सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना हमारा अपरिहार्य लक्ष्य है । अतः अब तक जो भी बच्चे शिक्षा की धारा में नहीं जुड़ पाये हैं उन्हें चिन्हित कर विद्यालय में नामांकित कराना हैं तथा 2007 तक उन्हें अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा संलभ कराना हैं तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना है ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है इसमें ऐसे बच्चों का पता लगाकर उनके अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उन्हें बच्चें को औपचारिक शिक्षा दिलाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन विशेष बच्चों के लिए इनकी उम्र के अनुसार इनके स्तर के अनुरूप कक्षा संचालित करना उपयुक्त होगा । इनके लिए अपेक्षाकृत कम अवधि का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री विकसित कर इन्हें कौशल एवं व्यावसायिक दक्षता की शिक्षा प्रदान करना अच्छा होगा । इसके लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट के सहयोग से ट्रेनर को प्रशिक्षण प्रदान करना जो जनपद में संचालित ऐसे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जहॉ विशेष प्रकार के बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था होगी ।

जनपद के विकास खण्ड मिहींपुरवा में न्याय पंचायत आम्बा कारीकोट, लौकाही और समेरी घटही अनुसूचित जनजाति (थारू) बाहुल्य क्षेत्र हैं जहौ के बच्चों की घरेलू भाषा स्थानीय भाषा से भिन्न हैं । जिस कारण बच्चों को विद्यालय में भाषा सम्बन्धित कठिनाई रहती है । इसके लिए जनपद स्तर पर इन क्षेत्रों के अध्यापकों के कार्यशाला /प्रशिक्षण आयोजित कर उनकी घरेलू भाषा से मानक भाषा की और जोड़ने हेतु टूल्स विकसित किये जायेगें ।

जनपद बहराइच में विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति :–

परिषदीय विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय	पॉच शिक्षक विद्यालय
परिषदीय विद्यालय + वि०क्षेत्र पयागपुर वि०गंज	750	456	104	40	24

स्रोत बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच ।

जिले में अध्यापकों की स्थिति तालिका से सुस्पष्ट है कि एकल अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक है जो कुल प्राथमिक विद्यालयों का 54.58 % हैं । जबकि 33.2% विद्यालयों में दो शिक्षक कार्यरत हैं । मात्र 4.65% विद्यालय 4 अध्यापकीय व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित है इसके लिए डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत तृतीय चक्र सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में साधन मॉड्यूल की सहायता से प्रशिक्षण संचालित किया गया उसमें बहुकक्षा शिक्षण पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया किन्तु ऐसे प्रशिक्षण सतत रूप से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति वर्ष आयोजित किये जायेगें ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की नितान्त कमी है । अतः इन विद्यालयों के शिक्षकों को भी गणित विज्ञान का विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए यद्यपि एस०ओ०पी०टी० योजना के अंग्रेजी, गणित विज्ञान विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । किन्तु इसके सम्यक अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन व्यवस्था न होने के कारण इसके प्रभाव का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है । सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को नवीन शिक्षण तकनीकों प्रविधियों का ज्ञान कराया जाना आवश्यक होगा । इसके साथ ही साथ उच्च , प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को सहायक शिक्षण सामाग्री निर्माण तथा उनके बहु उद्देशीय प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाना समीचीन होगा । प्रशिक्षण का कक्षा तक पहुँचाने हेतु संकुल विद्यालय केन्द्र बनाकर उसकी मानीटरिंग की व्यवस्था की जायेगी ।

विद्यालयों के भ्रमण में शिक्षकों से वार्ता करने पर उभरी विशेष कठिनाईयॉ

प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भ्रमण के समय शिक्षकों से वार्ता करने पर शिक्षक प्रशिक्षण के समय विचार विमर्श करने पर पाया गया कि सम्प्रति विद्यालयों में निम्न कठिनाईयॉ देखी जा रही हैं :–

1- शिक्षकों की विद्यालयों में बहुत कमी हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वांछित स्तर पर विषय के अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं ।

2- शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त शिक्षक प्रायः सभी अन्य विभागीय कार्यो में नियोजित किये जाते हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अति महत्वपूर्ण जनोपयोगी अभियान है । जनपद में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा 2007 तक प्रदान करना । इस अभियान का महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं कि विद्यालयी शिक्षा में समुदाय की भागीदारी से ही प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण संभव , गुणवत्ता परक शिक्षा की पूर्ति हेतु प्रयास अपेक्षित तथा सभी बच्चों को क्षमता विकास के अवसर सुलभ कराना इस अभियान की मूल भूत विशेषताऐं हैं । इसके लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम चलाया जायेगा । बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना । ग्राम से जुडी संस्थाओं को विद्यालय प्रबन्धन में भागीदारी सुनिश्चित कराना, सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लिंग सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना , पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सर्वत्र सुलभ कराना इस अभियान के प्रमुख लक्ष्य है । 2003 तक सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल , वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः नामांकित कराया जायेगा तथा 2007 तक सभी को गुणवत्ता परख प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर दी जायेगी । जनपद की सामाजिक विषमताओं क्षेत्रीय एवं जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को नामांकन एवं सम्प्राप्ति हेतु दूर किया जायेगा ।

सभी को शिक्षा सुलभ कराने एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने में उत्तम शिक्षण पद्धति एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । इसके लिए आवश्यकता परक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ।

विजनिंग कार्यशाला :—

इस कार्यशाला को आयोजित करने के लिए सर्व प्रथम जिला संदर्भ समूह का चयन किया जायेगा । जिसमें जिले से 5 प्रतिभागी जो शिक्षा के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर रहें हैं , को चयनित कर सीमेट में प्रशिक्षित किया जायेगा । तत्पश्चात जिला परियोजना स्टाफ , ए०बी० एस०ए०, एस०डी०आई०, बी०आरं०सी०सी० / एन०पी०आर०सी०सी० / ए०बी०आर०सी०सी० / डायट मेन्टर को डायट स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । पुनः ब्लाक स्तर पर कार्यशाला कर सभी अध्यापकों (प्राथमिक / उच्च) को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । प्रशिक्षण का माड्यूल सीमेट के सहयोग से डायट तैयार करेगा । इस कार्यशाला का उद्‌देश्य शिक्षकों के दृष्टि कोण में सकारात्मक परिवर्तन व्यवहारगत बदलाव लाना है । इससे पूर्व जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भी डायट स्टाफ, जिला समन्वयकों , उप बेसिक शिक्षा अधिकारी , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की एवं बी०आर०सी० समन्वयकों की डायट में तीन दिवसीय प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विजनिंग कार्यशाला आयोजित की गयी हैं ।

प्रथम 8 दिवसीय ग्रीष्म काल में आयोजित किये जायेगें । जिससे विद्यालयों का शैक्षिक

कार्य प्रभावित न हो । सभी कार्यशालों का कार्यक्रम डायट द्वारा तैयार किया जायेगा । उसका अभिलेखीकरण भी आवश्यक करवाया जायेगा तथा डायट प्राचार्य , मेन्टर , बी०आर०सी० द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन किया जायेगा । प्रथम वर्ष में सम्पादित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति दिन रूपये 70 की दर से 45 लाख रूप्ये प्रस्तावित है ।

<u>द्वितीय वर्ष में :–</u>

प्राथमिक स्तर पर द्वितीय वर्ष में भाषा एवं गणित की विषयवस्तु का सम्यक स्पष्टीकरण तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । इसी के साथ कुछ विशिष्ट कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी ।

1- बहु स्तरीय एवं बहुकक्षा शिक्षण हेतु बी०आर०सी० स्तर पर तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जायेगी । इसमें शिक्षण विधियों एवं समय प्रबन्धन के साथ प्रथम वर्ष में अनुभूत कठिनाइयों का निवारण कर सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला आयोजित की जायेगी ।

2- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठक को कार्यशाला का स्वरूप दिया जायेगा । इस बैठक / कार्यशाला का एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा । इसमें ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के अनुगमन (फालोअप) को ध्यान में रखा जायेगा ।

3- वास्तविक शिक्षण समय को बढाने एवं समय का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किया जायेगा । द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में भी अनुमानित लागत 45 लाख होगी ।

इसी प्रकार तृतीय वर्ष में विज्ञान एवं सामाजिक विषय तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन विषयों पर आधारित प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें यह प्रशिक्षण 8 दिवसीय होगा जो ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक की देखरेख में आयोजित होगा । इसके साथ ही बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर अन्य कार्यशालाएं यथा दो–दो दिवसीय विज्ञान एवं सामाजिक विषय के प्रति रूचि विषयक तथा पाठ योजना निर्माण विषयक कार्यशाला एन० पी०आर०सी० पर आयोजित होगी। बी०आर०सी० स्तर पर सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन हेतु परीक्षा सामग्रियों के निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी । एन०पी०आर०सी० पर मासिक बैठक को भी कार्यशाला का स्वरूप दिया जायेगा । जहॉ शैक्षिक समस्याओं का त्वरित निदान किया जायेगा ।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर भी 70 रू० प्रति प्रतिभागी की दर से लगभग 45 लाख रूपये व्यय होगा । चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं सामग्री निर्माण उपयोग पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा । एन०पी०आर०सी० स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाऐं आयोजित की जायेगी । न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर

ही तीन दिवसीय गणित विषय के आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण विषयक कार्यशाला आयोजित की जायेगी। इसी स्तर पर श्रव्य दृष्य सामग्री के प्रयोग पर दो दिवसीय कार्यशाला आयेाजित की जायेगी। मासिक बैठक पूर्व के वर्ष की भाँति कार्यशाला दिवस के रूप में होगी ।

पचंम वर्ष में अभिप्रेरणत्मक पुनर्वोध प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जायेगा । इसका आयोजन विगत वर्ष में प्रशिक्षणों के कक्षा में प्रयोग के मूल्यांकन के आधार पर कराया जायेगा । इस पर भी व्यय लगभग 45 लाख किया जाना प्रस्तावित है ।

डपरोक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में एक एक शिक्षक को अंग्रेजी /संस्कृत का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा । जिसमें विषय सामग्री बताने के साथ सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण के बारे में अवगत कराया जायेगा । इसी प्रकार उर्दू भाषी विद्यालयों के शिक्षकों को उर्दू विषय का प्रशिक्षण दिया जायेगा । कम शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों के लिए विषय बस्तु आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा । 20 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को नबीन शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया जायेगा । नवनियुक्त अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा पदोन्नति प्राप्ति शिक्षकों को प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन विषयक 5 दिवसीय शिक्षण दिया जायेगा । सभी अध्यापकों को मूल्यपरक शिक्षा विषयक 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नही है । किन्तु सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय के भौतिक परिवेश को सुधारने के साथ – साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है । इन अध्यापकों को प्रतिवर्ष विषयोन्मुख प्रशिक्षण देकर उनकं ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की जायेंगी। इस आधार नर इनके लिए निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें –

वर्ष	विषय	स्थान	कार्यशाला के दिवस
प्रथम वर्ष (1)	विज्ञान शिक्षण, विषय बस्तु , शिक्षण विधियां शिक्षण सामग्री निर्माण	बी०आर०सी०	8 दिन
(2)	विज्ञान की पाठ योजना निर्माण, सहायक समाग्री निर्माण कार्यशाला	बी०आर०सी.	3 दिन
(3)	मैटीरियल मेला	एन०पी०आर०सी०	1 दिन

(3)	मासिक कार्यशालाए (डायट द्वारा प्रदत्त एजेण्डानुसार)	एन०पी०आर०सी०	माह में एक दिन
द्वितीय वर्ष (1)	गणित शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण विधियां सामग्री निर्माण,तथा उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण	बी०आर०सी०	8 दिवसीय
(2)	गणित विषय की पाठ योजना निर्माण, प्रस्तुति सहायक समाग्री निर्माण	बी०आर०सी०	3 दिवसीय
(3)	गणित विषयक मैटीरियल मेला	एन०पी०आर०सी०	1दिन
(3)	मासिक कार्यशालाएं (डायट द्वारा प्रदत्त एजेण्डानुसार)	एन०पी०आर०सी०	माहमें एक दिन
तृतीय वर्ष (1)	अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण विधियां,शिक्षणसामग्री निर्माण	बी०आर०सी०	6 दिन
(2)	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पाठों की प्रस्तुति	बी०आर०सी०	3 दिन
(3)	मैटीरियल मेला	एन०पी०आर०सी०	1 दिन
(3)	मासिक कार्यशालायें (डायट द्वारा प्रदत्त एजेन्डा से)	एन०पी०आर०सी०	1 दिन
चतुर्थ वर्ष (1)	हिन्दी भाषा शिक्षण की विषय वस्तु एवं शिक्षण विधियॉ	बी०आर०सी०	8 दिन
(2)	हिन्दी की पाठ् योजना निर्माण प्रस्तुति सामग्री निर्माण एवं उपयोग	बी०आर०सी०	3 दिन
(3)	मैटीरियल मेला	एन०पी०आर०सी०	1 दिन
(4)	मासिक बैठक (डायट एजेण्डा के अनुसारी)	एन०पी०आर०सी०	1 दिन
(5)	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (टेस्ट आइटम बनाने हेतु)	एन०पी०आर०सी०	21 दिन

पंचम वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा । जिसकी रूपरेखा का निर्धारण पूर्व में आयोजित प्रशिक्षणों के फीड बैंक के आधार पर तय किया जायेगा । उक्त सभी प्रशिक्षणों पर 12लाख प्रतिवर्ष की दर से कुल 60 लाख रूप्ये व्यय होने का अनुमान है । ये सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में आयोजित होगें ।

इसके अतिरिक्त निम्न प्रशिक्षण भी उच्च्य प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए आयोजित किये जायेगें ।

1- कम्प्यूटर शिक्षा विषयक प्रशिक्षण :-

कम्प्यूटर शिक्षा वर्तमान की महती आवश्यकता है । आज सूचना प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से हो रहा है । अतः सर्वप्रथम डायट के मास्टर ट्रेनर सीमेट एवं एस०सी०ई० आर०टी० के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करेगें । फिर प्रत्येक बी०आर०सी० उच्च उच्च प्राथमिक केन्द्रीय विद्यालय के एन अध्यापक को प्रशिक्षित किया जायेगा । यह विद्यालय कम्प्यूटर शिक्षा देने के केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा । इसका अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जायेगा । प्रोग्राम की सफलता होने पर इसका विस्तार किया जायेगा ।

2- लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण :-

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के पढ़ने के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है । वे आज भी बालिकाओं को स्कूल भेजने के प्रति संवेदन शील नहीं है ऐसे में प्रत्येक विद्यालय के एक – एक अध्यापक को लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके मॉडयूल का विकास सीमेट के सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा ।

3- समय प्रबन्धन एवं नेतृत्व विषयक प्रशिक्षण :-

उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों हेतु अभी तक नियोजन एवं प्रबन्धन विषयक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जा सके हैं । अतः सभी प्रधानाध्यापकों को डायट के नेतृत्व में 4 दिवसीय नियोजन एवं प्रबन्धन के साथ समय प्रबन्धन एवं नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

<u>प्रशिक्षण :-</u>

1- बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० का प्रशिक्षण :-

बी०आर०सी०सी० एवं ए०बी०आर०सी०सी० एवं एन०पी०आर०सी०सी० को 5 दिवसीय आधारभूत एवं तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण विषयक प्रशिक्षण डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत प्रदान किये जा चुके हैं । किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया जाना है अतः उनकी क्षमता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता हैं इसके लिए राज्य स्तर से माड्यूल तैयार कर डायट पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कराये जाने की आवश्यकता है । बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्चयक क्षेत्र में अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन देते हैं । अतः उन्हें उन सभी प्रशिक्षणों को प्रदान किया जायेगा , जिनका क्षेत्र में उन्हें अनुश्रवण करना होता है । यथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण , आचार्य जी अनुदेशकों का प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण , शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण, ई०सी०सी०ई० का प्रशिक्षण आदि इससे ये सभी अपने – अपने क्षेत्रों में यथा समय वेहतर अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन प्रदान कर सकेगें ।

2- **ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के कार्यकत्रियों/सहायिकाओं का प्रशिक्षण :—** पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से सभी विकास खण्डों में 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इनकी कार्यकत्रियों , सहायिकाओं एवं पर्यवेक्षिकाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । यह प्रशिक्षण प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों की सहायता से डायट स्तर पर कराया जायेगा । इसके आयोजन से बच्चे में स्कूली शिक्षा की तैयारी की प्रवृति विकसित होगी । भाषायी कौशलों का विकास होगा , बच्चों के एवं शारीरिक विकास को बल मिलेगा। बच्चे में सृजनात्मक अभिव्यक्ति सौन्दर्यानुभूति का भी विकास होगा । इस प्रशिक्षण में बच्चे के लिए सामग्री विकसित करने एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण से बच्चे को परिचित करने पर बल दिया जायेगा ।

3- **शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी का प्रशिक्षण :—** जनपद में शिक्षा मित्र /आचार्य जी का तीस दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा । यह प्रशिक्षण सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण से भिन्न होगा । इसका माड्यूल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त इन्हे प्रतिवर्ष 15 दिवसीय का रिफ्रेशर कोर्स का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नवीन शिक्षण विधियों का परिचय कराया जाना है ।

4- **ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० प्रशिक्षण :—** जिले में ग्रामीण स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का सम्यक लाभ पहुँचाने के लिए सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा , जो ओरियन्टेशन मे रूप में होगा । सीमेट द्वारा भी इन्हे एकादमिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

5- **ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों का प्रशिक्षण :—** शिक्षा समाज का दर्पण हो । अतः इसमें लोगों को भी समय—समय पर जागरूक रखने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों व गॉव के अन्य सदस्यों को आमन्त्रित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा । इससे स्कूल की गतिविधियों में समाज की भागीदारी बढ़ेगी । स्थानीय स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था लागू होगी । बच्चों में नामाकंन में वृद्धि होगी । ग्राम शिक्षा योजना निर्माण का कार्यक्रम सफल होगा । अतः सर्व शिक्षा अभियान में ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्यों , युवक मंगल दल, के सदस्य, डब्लू, एम०जी०के सदस्यों एवं महिला सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

6- **सर्व शिक्षा अभियान में परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :—** इसके अन्तर्गत डायट एवं परियोजना स्टाफ के अभिकर्मियों का प्रशिक्षण सीमेट में आयोजित किया जायेगा । यह प्रथम वर्ष में आयोजित होगा जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देश एवं कार्यक्रमों का परिचय कराया

जायेगा । इसी क्रम में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रदान किये जायेगें । सभी प्रकार के प्रशिक्षणों की शियरिंग एंव अभिलेखीकरण भी किया जायेगा ।

मूल्यपरक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण :– अध्यापकों को शिक्षा के मूल्यों के प्रति उन्मुख करने हेतु मूल्य उन्मुखीकरण की कार्यशाला पहले डायट स्तर पर फिर ब्लाक स्तर पर करायी जायेगी जो पांच दिवसीय होगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान एन० सी० टी० ई० द्वारा विकसित पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा, जिसके मास्टर ट्रेनर डायट में उपलब्ध हैं।

स्कूल सारणी के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर वादन/समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा – 1 हिन्दी	प्रतिघंटा 40 मिनट x 9	40 मिनट x 9
भाषा–2 अंग्रेजी	प्रतिघंटा 40 मिनट x 3	40 मिनट x 5
भाषा–3 संस्कृत	प्रतिघंटा 40 मिनट x 3	40 मिनट x 5
विज्ञान	प्रतिघंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 6
गणित	प्रतिघंटा 40 मिनट x 8	40 मिनट x 10
सामाजिक विषय	प्रतिघंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 6
समाजोपयोगी कार्य	प्रतिघंटा 40 मिनट x 8	40 मिनट x 4
कला शिक्षण	प्रतिघंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 3
अन्य शारीरिक शिक्षा	प्रतिधंटा 40 मिनट x 8	40 मिनट x 3

स्रोत डायट बहराइच

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से विदित होता है कि जहाँ एक ओर शिक्षण हेतु कार्यदिवसों की संख्या 132 है वहीं मानक के अनुसार विद्यालय 220 दिन खोले जाने का प्राविधान है । अन्य कार्यो में नष्ट होने वाले दिनों का क्रमशः समाप्त किया जायेगा । तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण दिवस कम से कम 220 दिन उपलब्ध आवश्यक हो । साथ ही समय प्रबन्ध, सामग्री प्रबन्ध , स्कूली गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी ।

पाठ्य सामग्री :– डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को वितरित किया गया है । इस कार्यक्रम को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2005 तक लागू किया जायेगा । प्रत्येक विद्यालय को शिक्षक संदर्शिकाएं उपलब्ध करायी गयी । शिक्षक संदर्शिकाओं के सेट भी आगमी 5 वर्षो तक एक–एक सेट सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराये जाते रहेगें ।

कक्षा 6 से 8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पुस्ताकों का विकास एस०सी०ई०आर०टी० के तत्वाधान में किया जा रहा है । ये पाठ्यपुस्तकें एस०सी०ई०आर०टी० के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों , बाह्य विशेषज्ञों के सदस्यों से सहभागिता

आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही है । आगामी वर्ष से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क वितरित किये जाने का प्राविधान है ।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत किशोरी बालिकाओं के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी ।जिससे किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । साथ ही जीवनोंपयोगी कौशलों की श्रेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त करने हेतु विशेष बल दिया जायेगा । शिक्षण अधिगम सामग्रीं विकसित कर विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी ।

गुणवत्ता सवंर्द्धन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका :–

जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता विकास हेतु डायट एक शीर्षस्थ अकादमिक संस्था है । इसके द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जाता है एवं वार्षिक कार्ययोजना विकसित कर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है । जनपद , बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर के अभिकर्मियों, अध्यापकों , वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों , आंगन वाड़ी कार्यकत्रियों एवं शिक्षामित्रों/आचार्यो के प्रशिक्षणों का नियोजन कर सफल आयोजन एवं क्रियान्वंयन के दायित्व का निर्वहन डायट द्वारा किया जाता है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999 से ही विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण कर श्रेणीकरण के द्वारा गुणवत्ता विकास हेतु प्रयास किया जाता रहा है। जिसके फलस्वरूप विद्यालयों के स्तर में सुधार आने लगा है । न्याय पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर की शैक्षिक समस्याओं एवं उभरे शैक्षिक मुद्दों के हल हेतु आवश्यकतानुसार कार्यशाला एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है । क्रियात्मक शोध के द्वारा समस्याओं का हल एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, मूल्याकंन एवं अनुश्रवण हेतु उपाय, सामग्री विकास , ई०एम०आई०एस० आकंड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का निर्वहन डायट द्वारा किया जाता है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवतता वृद्धि हेतु उपरोक्त समस्त कार्यकलापों का आयोजन किया जायेगा । शिक्षकों को कार्य स्थल पर सहयोग एवं समर्थन प्रदान कर संस्थागत क्षमता में वृद्धि की जायेगी । जिसमें कि बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयक अपने क्षेत्र में आवश्यक अकादमिक नेतृत्व प्रदान कर बच्चो के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्वि कर सके ।

क्षमता विकास कार्यक्रम :– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकदमिक नेतृत्व के द्वारा बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान कर पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा । विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तार पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं के आयोजन करने हेतु संस्थागत क्षमता वृद्धि की जायेगी/विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं स्वयं सेवी संगठनों का गुणवत्ता विका

हेतु सहयोग प्राप्त किया जायेगा । डायट द्वारा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा । नेतृत्व प्रबन्ध एवं नियोजन एवं शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा ।

<u>अकादमिक संदर्भ समूह :–</u> जनपद में कार्यक्रमों की नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डायट की अकादमिक सन्दर्भ समूह डी०पी०ई०पी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1999 से ही गठित है । इस समूह के द्वारा गुणवत्ता विकास सम्बन्धी समस्त कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षणों आदि से फीड बैंक प्राप्त कर विश्लेषण उपरान्त समाधान भी दिया जाता है ।

इस समूह में डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ, शिक्षा विद, योग्य शिक्षण, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक की सम्मिलित है । उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से ही हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा । अकादमिक सहायोग के सदस्यों के क्षमता विकास हेतु एस०सी०ई०आर०टी० के सहयेाग से डायट में 5 दिवसीय कार्यशाला का अयोजन किया जायेगा । यह कार्यशाला मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण अदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुपूरक साहित्य का निर्माण भी अकादमिक सन्दर्भ समूह द्वारा किया जायेगा ।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण :– डायट के सदस्यों को कम्प्यूटर उपयोग की जानकारी दी जायेगी। संस्थान में नियोजन एवं अनुश्रवण तथा आंकड़ों के विश्लेषण हेतु कम्प्यूटर का उपयोग किया जायेगा । बी०आर०सी० स्तर पर कम्प्यूटर का उपयोग करने हेतु सहसमन्वयक या किसी अध्यपकों को कम्प्यूटर उपयोग का प्रशिक्षण दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

<u>शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं उपयोग</u>

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999 से शिक्षण को रूचिकर एवं प्रभावी बनाने तथा बच्चों को करके सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रति वर्ष रू० 500 का अध्यापक अनुदान प्राथमिक शिक्षकों को दिया जा रहा है । सर्व शिक्षा अभियान उच्च प्राथमिक अध्यापकों को भी प्रति वर्ष रू० 500 का अध्यापक अनुदान दिया जायेगा । डी०पी०ई०पी० के पश्चात प्राथमिक अध्यापकों को शिक्षक अनुदान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा । शिक्षकों में कक्षावार व विषयवार शिक्षण समाग्री के निर्माण एवं उपयोग की पर्याप्त समझ विकसित करने हेतु डायट, बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर कार्यशालाओं

का आयोजन किया जायेगा । प्रत्येक स्तर पर समय– समय पर मैटीरियल मेला का भी आयोजन किया जायेगा । साथ ही शिक्षकों को स्थलीय समर्थन प्रदान कर निर्माण एवं उपयोग की व्यावहारिक जानकारी की जायेगी । ब्लैक बोर्ड आपरेशन के अन्तर्गत उपलब्ध विज्ञान किट एवं गणित किट का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ।

कार्यशालाओं / बैठकों का आयोजन :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर समस्त अध्यापकों की एक दिवसीय मासिक गोष्ठी / कार्यशाला का अयोजन किया जा रहा है । इस बैठक को प्रशिक्षण का स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसमें मुख्यतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर आधारित अकादमिक समस्याओं के समाधान हेतु आदर्श पाठ प्रस्तुतीकरण , सामग्री , निर्माण , सामुदायिक सहयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया जायेगा । सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु एन०पी०आर०सी० एवं बी०आर०सी० की आवश्यकताओं के अनुसार डायट स्तर से कार्ययोजना विकसित की जायेगी । आवश्यकतानुसार डायट, बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यशालाओं / गोष्ठियों का आयोजन निम्नलिखित विषयो पर आधारित होगा ।

1- अनुपूरक अध्ययन समाग्री का निर्माण तथा विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास

2- स्कूल पूर्व शिक्षा एवं प्रथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी / कविता तथा गतिविधियों का संकलन ।

3- छात्र / छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण

4- बच्चों के सम्प्रति स्तर पर आंकड़ों के अनुसार वृद्धि हेतु प्रयास ।

क्रियात्मक शोध :– जनपद में विभिन्न स्तरें पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च हेतु 05 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा । इन कार्यशालओं के आयोजन हेतु सीमेट इलाहाबाद तथा एस०सी०ई०आर०टी० का सहयोग किया जायेगा । बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को इस कार्य हेतु सक्षम बनाया जायेगा । क्रियात्मक शोध हेत प्रस्तावित विषय निम्नलिखित होगें :–

1- अध्यापकों की कमी के कारण बहुकक्षा शिक्षण की स्थितियों मे विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ।

2- बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु कक्षा में बच्चों का उपयोग ।

3- कक्षा की प्रक्रिया में जनसमुदाय की भागीदारी बढाये जाने के तरीके ।

4- विद्यालय विकास अनुदान एवं शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग हेतु उपाया ।

5- शिक्षक प्राशिक्षण का कक्षा शिक्षण में उपयोग हेतु संकेतों का विकास ।

6- निम्न स्तर के विद्यालयों के स्तर में सुधार हेतु मुद्दे ।

7- कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर तरीके ।

8- बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर बढ़ाने के लिए कारणो की पहचानकर तरीके खोजना ।

9- समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु उपाय ।

10- बच्चो की अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन एवं नियमित उपस्थिति हेतु उपाय ।

11- अध्यापकों के पठन पाठन स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।

12- अन्य शैक्षिक समस्याओं के कारणों का पता करना तथा उनके निराकरण हेतु प्रयास करना ।

आकंड़ों का विश्लेषण , नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग

ई०एम०आई०एस० आंकड़ों से ब्लाक/गॉव/विद्यालय स्तर की आवशकताओं की जानकारी के द्वारा संसाधनों की पूर्ति की जायेगी । साथ ही नामांकन में वृद्धि, ड्राप आउट तथा रिपटीशन दर के आकंड़ों में कमी हेतु प्रयास किया जायेगा । डायट द्वारा क्वालिटी इण्डीकेटर्स के सम्बन्ध में ई०एम०आई०एस० आकंड़ों का विश्लेषण किया जायेगा । इनका उपयोग नियोजन एवं क्रियान्वयन में किया जायेगा ।

मूल्याकंन प्रणाली :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर के मूल्याकंन हेतु एस०सी०आर०टी० द्वारा प्राथमिक स्तर सतत् एवं व्यापक मूल्याकंन की एवं समेकित प्रणाली विकसित की गयी है । इसका ट्रायल इस वर्ष किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत " सतत् एवं व्यापक मूल्याकंन प्रणाली " को और अधिक विकसित कर उपयोग किया जायेगा । इसको शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल के अंश के रूप मं प्रत्येक स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । उच्च प्राथमिक स्तर पर भी प्रणाली का विकास किया जायेगा तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा । छात्रों के मासिक , वार्षिक मूल्याकंन की व्यवस्था पहले से ही है । किन्तु इसमें सुधारकर कक्षा 5 की परीक्षा एन०पी०आर०सी० स्तर पर कक्षा 8 की परीक्षा बी०आर०सी० स्तर पर आयेजित की जायेगी । प्रश्नपत्रों का निर्माण डायट द्वारा किया जायेगा ।

समेकित शिक्षा :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद को दो विकास खण्डों नवाबगंज एवं हुजूरपुर में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हीकरण कर मेडिकल एसेस्मेन्ट कराया जा चुका है । वातावरण सृजन हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है । बच्चों को आवश्यक उपकरण भी उनकी अक्षमता के अनुसार उपलब्ध कराये जा रहे हैं । बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तथा सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा दिलाने हेतु दोनों विकास खण्ड के अध्यापकों का 5

दिवसीय प्रशिक्षण इस वर्ष आयोजित किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 0-18 वर्ष के बच्चों का अक्षमतावार चिन्हीकरण शेष दस विकास खण्डों में किया जायेगा । उनकों प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सम्बन्धित विकास खण्डों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया जायेगा । एक शिविर में 37 प्रतिभागी होगें । प्रति शिविर 17200 रूपये का प्राविधान है ।

अकादमिक पर्यवेक्षण में डायट की समेकित भूमिका

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद स्तर पर डायट तथा उप जनपद स्तर पर बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी०की अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु समेकित भूमिका है। डायट के नेतृत्व बी०आर०सी० व एन०पी०आर०सी० कियाकारी इकाई के रूपमें कार्य करते है। एन०पी०आर०सी० समन्वयक अनुश्रवण व विश्लेषण उपरान्त अपनी प्रतिवेदन आख्या वी०आर०सी० समन्वयक को तथा बी०आर०सी० समन्वयक विश्लेशंण के उपरान्त प्रतिवेदन आख्या डायट को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक स्तर उभरे शैक्षिक मुद्दो/समस्याओ का हल किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन प्रर्यवेक्षण व अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से कार्यक्षमता का विकास किया जायेगा । साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय मान्यता प्राप्त विद्यालय हाई स्कूल व इण्टर कालेज कक्ष्चा (6-8) तक पढ़ाने वाले शिक्षकों तथा वैकल्पिक शिक्षा, ई०सी०सी०ई०, ई०जी०एस० केन्द्रों को अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहायोग दिया जायेगा । इसके लिए एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण डायट द्वारा किया जायेगा । ब्लाक संसाधन केन्द्रो , न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों, विद्यालयों का श्रेणीकरण निम्न स्तर का प्रर्दशन करने वाले केन्द्रों पर विशेष स्तर पर वृद्धि हेतु प्रयास किया जायेगा ।

बी०आर०सी० गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्य योजना डायट के नेतृत्व में तैयार करेगा । तद्नुसार प्राथमिक तथ उच्च प्रा० सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण, वैकल्पिक शिक्षा, ई०जी०एस० तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्रों तथा विद्यालय का पर्यवेक्षण, समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय , कार्यशालाओं का आयोजन , शोध एवं मूल्याकंन आदि कर्तव्यों का निर्वहन बी०आर०सी० द्वारा किया जायेगा । ई०एम०आई०एस० आकड़ों का संकलन व विश्लेषण कर तथा अनुश्रवण व विश्लेषण से उभरे शैक्षिक समस्याओं के निराकरण हेतु डायट एवं एन०पी०आर०सी० के माध्यम से कड़ी के रूप में कार्य करेगा । ब्लाक संदर्भ समूह का गठन तथा विद्यालय विकास योजना के द्वारा अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा । प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित की जायेगी । कार्ययोजना के अनुसार शिक्षकों की मासिक प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं का आयोजन तथा विद्यालय, केन्द्रों , ई०जी०एस० एवं ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा । ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों/WMG/PTA/MTA सदस्यों के प्रशिक्षण

एन०पी०आर०सी० द्वारा आयोजित किया जायेगा । ई०एम०आई०एस० आकंड़ों का सकंलन व विश्लेषण , विद्यालय विकास की योजना के द्वारा अकादमिक सहयोग तथा शोध एवं मूल्यांकन का कार्य भी किया जायेगा । न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र को एक क्रियाकारी ईकाई के रूप में विकसित किया जायेगा ।

नवाचार कार्यक्रम :— जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में नामाकंन बढ़ाने हेतु स्कूल चलो अभियान चलाया जायेगा । विद्यालय स्तर पर दीवार अखबार, व लर्निंग कार्नर की स्थापना की गयी तथा विद्यालय विकास हेतु स्वयं सेवी सगठंनों की सहायकता ली गयी। सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त क्रियाकलाप जारी रहेगा । इसके अतिरिक्त अन्य नवाचार कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा ।

प्रायः यह देखा गया है कि लड़कियॉ प्राथमिक स्तर के बाद पढ़ाई बन्द कर देती है । उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने हेतु उनका विद्यालय में ठहराव जरूरी है । ठहराव के लिए कुछ विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षण को नवाचार कार्यक्रम के रूप मे लागू किया जायेगा । कार्यानुभव के द्वारा खिलौना का निर्माण, फूड संरक्षण , मोमबत्ती निर्माण तथा कच्चे माल के द्वारा अन्य उत्पादन बालिकाओं द्वारा किया जायेगा । जीवन शैली में सुधार लाने तथा जीवनपयोगी तथ्यों की जानकारी हेतु पाठ्य सामग्री का विकास किया जायेगा । कुछ विद्यालयों में बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने का भी प्राविधान किया गया है ।

जनपद में अध्यापकों की कमी पूरा करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति व समुदाय की सहायता से सेवानिवृत अध्यापकों तथा स्वयं सेवी अर्हयुवकों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी । विद्यालय स्तर पर समस्त कार्यक्रमों में अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। गुणवक्ता विकास हेतु समुदाय का सहयोग किया जायेगा ।

स्थानीय भौगीलिक, ऐतहासिक , तथा सांस्कृतिक जानकारी हेतु बच्चों के लिए अनुपूरक साहित्य का निर्माण किया जायेगा । शिक्षकों के लिए डायट तथा ब्लाक स्तर शैक्षिक पत्रिका का प्रति माह प्रकाशन किया जायेगा । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों , स्थानीय शिक्षा विदो तथा स्वयं सेवी व्यक्तियों की कार्यशालाएं आयोजित कर विद्यालय विकास की योजना तैयार की जायेगी ।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार :— बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियो तथा शिक्षकों को प्रोत्साहित करने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति वर्ष कार्य निष्पादन हेतु 2 बी०आर०सी० को रू० 10,000=00 तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन०पी०आर०सी० रू० 7,000.00 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा । इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्डो में दो ग्राम शिक्षा समितियों को रू० 15,000.00 तथा रू० 10,000.00 की दर से अच्छे कार्य

निष्पादन हेतु पुरूस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग विद्यालय विकास तथा अन्य शैक्षिक कार्यो में किया जायेगा ।

गुणवक्ता संवर्द्धन में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका :– वर्ष 2000-2001 से ही बेटी स्वयं सेवी संस्था द्वारा जनपद में विकास खण्ड मिहींपुरवा में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षे.त्रों में शैक्षिक गुणवक्ता वृद्धि हेतु समुदाय के सहयोग हेतु कार्यशाला/विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किया गया । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अति पिछड़ें क्षेत्रों अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा विशेषकर इन क्षेत्रों में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा। बालिकाओं के ठहराव एवं सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि हेतु प्रयास किया जायेगा । नवाचार के माध्यम से सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण

जनपद बहराइच के दो भागों बहराइच व श्रावस्ती में बॅट जाने से डायट जनपद बहराइच (पयागपुर) में स्थित है । समस्त कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का संचालन डायट पयागपुर से किया जाता है ।

जनपद पयागपुर (बहराइच) के अकादमिक स्टाफ का विवरण

पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	-	01
उपप्राचार्य	01	–	-
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	–	06
प्रवक्ता	17	01	16
कार्यनुभव शिक्षक	01	01	–
तकनीकी सहायक	01	01	–
सांख्यिकीकार	01	-	01
प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्राथमिक अध्यापक	04	04	–

डायट मे कार्यरत अकादमिक स्टाफ की अत्यन्त कमी है । दोनों जनपदों की अकादमिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाई होती है । स्टाफ की पूर्ति आवश्यक है।

3- अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है । क्योकि वे अपने बच्चों की शिक्षक प्रगति की देख रेख नहीं रखते हैं ।

4- गणित विज्ञान विषयों की विशेष जानकारी का अभाव है साथ ही साथ विभिन्न विषयों से सम्बन्धित तथा पाठों से सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामाग्री निर्माण की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है ।

5- उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना भी अधिक संख्या में किये जाने की आवश्यकता है । जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले जायेगें । प्राथमिक विद्यालय के अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन हेतु डी०पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत "ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो की स्थापना की गयी है साथ ही अनुश्रवण हेतु ब्लाक समन्वयक/ न्याय पंचायत समन्वयक एवं सह समन्वयक नियुक्त किये जा चुके हैं जो अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का कार्य कर रहें हैं । उच्च प्राथमिक विद्याालय स्तर पर भी किसी केन्द्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को संकुल केन्द्र बनाकर अनुसमर्थन दिये जाने की आवश्यकता है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जायेगा । आज सत्यतां यह है कि हर अभिभावक अपने बच्चे को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिलाना चाहता है किन्तु उसकी आकांक्षा यह भी है कि जिस विद्यलाय में उसका बच्चा पढे उस विद्यालय का भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश आकर्षक हो शिक्षकों को विद्यालय में पर्याप्त उपलब्धता हो । साथ ही वे सभी नियमित रहकर शिक्षण कार्य करें । विद्यालयों में उनके बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें मिलें । स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये एवं नैतिक शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर दिया जाये । बच्चों को व्यावसायिक कौशलों की शिक्षा दी जाये ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों को जागरूक करने एवं उन्हें उनके उत्तर दायित्वों से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण दिये जा रहें हैं । सर्व शिक्षा अभियान में समुदाय की आवश्यकता एवं अपेक्षा का और अधिक ध्यान रखा जायेगा तथा एम०टी०ए० को सक्रिय किया जायेगा ताकि वे अपने बच्चे की शिक्षा हेतु सक्रिय सहभागिता का प्रदर्शन कर सकें । इसके साथ ही साथ विद्यालयों को रूचिपूर्ण शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा । जहॉ रहकर बच्चा स्वयं सीखने की प्रक्रिया को जारी रखेगा ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्कता आधारित प्रशिक्षण :–

जनपद बहराइच प्रदेश में शैक्षिक दृष्टि अत्यन्त पिछड़ा जिला हैं । यहॉ की भौगोलिक परिस्थितियॉ भी इसके पिछडने का कारण है । जिले में नदी, नालों, जंगलों की अधिकता, के साथ – साथ यातायात मार्गो एवं साधनों की कमी भी शैक्षिक दृष्टि से पीछे होने का कारण है ।

जनपद बहराइच हेतु आवर्तक बजट प्रति वर्ष निम्न प्रकार है :—

1-	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00 लाख
2-	कार्यशला / सेमीनार	2.00 लाख
3-	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00 लाख
4-	कन्टिजेन्सी	1.00 लाख
5-	वाहन रखरखाव / पी०ओ०एल	0.25 लाख

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण / कार्यशालाओं का विवरण

क्रंमाक	कार्यक्रम	प्रतिभागी	दिवस
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट संकाय के सदस्य, डी०पी०ओ०स्टाफ, ABSA, SDI, समन्वयक .	04 दिन
2.	अकादमिक संसाधन समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संसाधन समूह के सदय	05 दिन
3.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु लर्निंग मैटीरियल विकास हेतु कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
4.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
5.	प्राथमिकं / उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों की शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, विज्ञान, गणित,)	चुने हुए प्रशिक्षक	05 दिन प्रत्येक विषय
6.	शिक्षा मित्रों / अचार्यों का प्रशिक्षण (i) आधार भूत प्रशिक्षण (ii) बोधात्मक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र / आचार्य जी	 30 दिन 15 दिन
7.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण (i) आधारभूत	अनुदेशक "	 15 दिन

	(ii) बोधात्मक		10 दिन
8.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	BRC/NPRC समन्वयक प्रतिभागी	03 दिन
9.	ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण	कार्यकत्रियों तथा सहायिका	07 दिन
10.	नेतृत्व प्रशिक्षण	BRC/NPRC. समन्वयक प्रधानाध्यापक	05 दिन 05 दिन
11.	ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, BRC/NPRC. स्मन्वयक तथा चुने हुए शिक्षक	05 दिन
12.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	BRC/NPRC समन्वयक तथा उच्च प्राथमिक चुने हुए शिक्षक	05 दिन
13.	अनुपूरक सामग्री निर्माण कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक/शिक्षिकाएं	03 दिन
14.	संस्थागत क्षमता विकारा कार्यशाला	डायट सकांय सदस्य	03 दिन
15.	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो हेतु शिक्षक सामग्री का विकास	डायट संकाय के सदस्य तथा शिक्षक	03 दिन
16.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, BRC/NPRC समन्वयक,	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्याकंन हेत प्रशिक्षण	BRC/NPRC समन्वयक,डायट स्टाफ तथा चुने गये शिक्षक	03 दिन
18.	मैटीरियल मेला	चुने गये शिक्षक (प्रा० तथा उ०प्रा०)	03 दिन
19.	सेवा पूर्वगम प्रशिक्षण	नवनियुक्त अध्यापक प्राथमिक	10 दिन
20.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ/BRC/NPRC समन्वयक/उ०प्रा० विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
21.	ग्राम शिक्षा समितियों हेतु BRC का प्रशिक्षण	बी०आर०सी० के सदस्य	03 दिन
22.	ABSA/ SDI प्रशिक्षण	ABSA/ SDI	05 दिन

23.	BRC/ NPRC समन्वयकों का प्रशिक्षण	BRC/ NPRC समन्वयक	07 दिन
24-.	मूल्यपरक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	अध्यापक	05 दिन
25.	SCERT NCTE SIE SDO तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण कराये जायेंगे।		

अध्याय - 10

परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की अवधि वर्ष 2002 से 2007 तक होगी। यह परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इस परियोजना अवधि में 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जायेगी । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबन्धन उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें । इसका प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा । जिससे अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित हो सके। समय-समय पर समीक्षा के उपरान्त सहभागिता के आधार पर रणनीतियों में परिवर्तन के लिए तत्पर रहना होगा। कार्यक्रमों का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों एवं छात्रों की नियमित एवं पूर्ण कालिक उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्ध तंत्र :-

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए। विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की जायेगी। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यो के निस्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने का प्रयास किया जायेगा। निचले स्तर से ही जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित की जायेगी। वित्तीय निवेशो को अवधि प्रवाह प्रदान किया जायेगा। इसके साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबन्ध तंत्र तैयार किया है। जो निम्नवत है -

संगठनात्मक ढांचा

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन है।
जो बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो के सम्पादन हेतु संकल्पित है। ग्राम शिक्षा

समिति के सदस्य निम्नवत है -

1- ग्राम पंचायत का प्रधान - अध्यक्ष

2- ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहॉ एक से अधिक स्कूल हों तो प्रधान अध्यापकों में से ज्येषठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

3- बेसिक स्कूलो के के तीन संरक्षक जिसमें एक संरक्षक महिला होगी जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित होगें। सदस्य

<u>अधिकार एवं दायित्व</u> :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी -

1) पंचायत क्षेत्र में स्थित बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबन्धन करना।

2) बेसिक स्कूलों के क्षमता विकास, शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव सुनिश्चित करने तथा शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि के लिए योजनाएं तैयार करना।

3) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

4) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना।

5) बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

6) पंचायत क्षेत्र में अवस्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

7) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे सभी अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा सौपा जाय। उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा योजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है । जिसमें विद्यालयों भवनों का निर्माण, परिसर में सुधार एवं शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रम शिक्षा समिति विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक विकास में जन–जन समुदाय की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी समस्त कार्यो का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय

सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समय बद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

औपचारिक विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समाज समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो आंगन बाड़ी केन्द्रो के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियंत्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

<u>न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0 पी0 आर0 सी0)</u> :-

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो का निर्माण कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ - साथ सकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हे प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय बनाया जायेगा।

<u>कार्य एवं दायित्व</u> :-

1.- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना।

2- अध्यापकों को साप्ताहिक बैठक करना। उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उनका निराकरण करना।

3- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।

4-ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार, परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना ।

5- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित होगी। जो विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य है।

1-	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2-	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विघायल निरीक्षक	सदस्य - सचिव
3-	विकास खण्ड का एक प्रधान	सदस्य
4-	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

<u>अधिकार एवं दायित्व</u> :- इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्यायपंचायत संसाधन केन्द्रो के कार्यो में समन्वय स्थापित करना है, जिला परियोजना समिति के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना। जे0 जी0 एस0 वाई0 के लिए आबंटित धनराशि मे सें प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति के प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

<u>प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर</u> :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविघालय निरीक्षक कार्यरत है। जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विघालय निरीक्षक परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होगें। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा। विकास खण्ड के विघालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला स्तर पर उपलब्ध कराना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगे। संक्षेप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी होंगे।

संक्षेप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे।

1- सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2- विद्यालय भवनो के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना ।

4- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5- ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6- सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7- खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित करना।

8- विकास खण्ड के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनु0 जाति/जनजाति के सभी बालक/ बालिकाओं को निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से सुनिश्चित करना।

9- विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10- विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक - छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11- ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

12- अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उपविद्यालय निरीक्षक करेंगे। इन केन्द्रों पर अध्ययन रत छात्र/छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र मे ही सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होगा।वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वाह करेंगे।उनकी क्षमता में वृद्धि एवं गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से रख रखाव हेतु नियत धनराशि 18000 रूपये प्रतिवर्ष

प्रति विकास खण्ड उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0 एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह-समन्वयक नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :-

जनपद बहराइच में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण कराया जा चुका है। बी0 आर0सी0 समन्वयक की नियुक्ति की जा चुकी है और प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृषिटगत रखते हुए एक बी0आर0 सी0 सह समन्वयक का पद प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर सृजित किया जायेगा,जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना के कार्यो का पर्यवेक्षण ,सूचना को एकत्रित करना,विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होने के कारण शैक्षिक गुणवक्ता सवंर्धन एवं अकादमिक सहयोग हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है ।अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 पर एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक /समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर संचालन कराया जायेगा।

<u>कार्य एवं दायित्व</u> :-

1-अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

2- विघालयों का अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि विघालय में नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं ।

3- विकास खण्ड की शैक्षिक आवश्यकताओं का अ ांकलन कर

संकलित करना तथा शैक्षिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना तथा तदनुसार सहयोग प्रदान करना।

4-विकास खण्ड स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।

5- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

6- ब्लाक स्तर के अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7-विकास खण्ड के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार विस्तृत विवरण कम्प्यूटराईज्ड) तैयार करना ।

8-विकास खण्ड में विघालयों सांख्यिकी प्रपत्रों का समय -समय पर संकलन एवं डाटा इन्ट्र ी के समय अनुश्रवण करना।

9-ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0 एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों के संचालन का अनुश्रवण करना।

10-प्राथमिक शिक्षा में जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कराना

जनपद स्तरीय समिति: -

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति ,उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गोषठी समिति का गठन निम्नवत है: -

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	अध्यक्ष ,जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अनु0 जाति /अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10	-जिला विघालय निरीक्षक	सदस्य

11. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी — सदस्य

12. जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0) — सदस्य

13. प्राचार्य ,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य

14. लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियंता — सदस्य

15. समन्वयक महिला समाख्या — सदस्य

16. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — सदस्य-सचिव

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्वः -

जिला शिक्षा अभियान हेतु यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है । उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं में जनपद स्तर पर इसे आवश्यक निर्णय का अधिकार है। रणनीतियों के परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवक्ता में सुधार एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने में इसके निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश,धारण, गुणवक्ता संवर्धन ,निर्माण में तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के संरचना ,संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बंधित प्रस्तावो का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के पूर्ण संचालन का दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समितिः - उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति निम्नवत गठित है।

1. जिला पंचायत अध्यक्ष — अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — सदस्य -सचिव
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) — पदेन -सदस्य
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी — पदेन -सदस्य
5. जिला विद्यालय निरीक्षक — पदेन-सदस्य
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) — पदेन-सदस्य
   यदि काई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उपनिरीक्षक
7. तीन व्यक्ति ,जो जिला पंचायत के सदस्य में से राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे। — सदस्य

1. विद्यालय उपनिरीक्षक (पदेन) — सदस्य
   जो समिति का सहायक सचिव होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति ,परिषद अधीक्षण एवं निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी।

क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक विघालयों का प्रशासन करना।

ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

ग) ऐसे बेसिक स्कूल के विकास ,प्रसार -सुधार के लिए योजनाये तैयार करना।

उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विघालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र -जिला परियोजना कार्यालयः -

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन एवं मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्चयन करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी होंगे।

1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना अधिकारी

2 उप बेसिक शिक्षा अधिकारी - 1 प्रतिनियुक्ति पर

3- समन्वयक - 4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर

4 सलाहकार - 2 रू010000/-नियत वेतन पर प्रतिपद

5 ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी - 1 रू0 10000/- नियत वेतन पर

6 कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक-3 रू0 7000/-नियत वेतन पर

7 सहायक लेखाधिकारी - 1 प्रतिनियुक्ति पर

8 लिपिक - 1 नियत मानदेय के आधार पर

9 परिचारक - 1 नियत मानदेय के आधार पर

उ0 प्र0 के सभी के लिए परियोजना के सस्टे निबिलिटी प्लान के अन्तर्गत को भी पद उपरोक्त में से सृजित नहीं है। उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी होगी। जनपद में कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें। अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :- सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से की जायेगी, जिसके लिए मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। मानदेय की दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार हो प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू0 1000/- अतिरिक्त कक्ष रू0 500/- तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य होगी । प्राथमिक विद्यालय भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकि पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। विद्यालय भवन में ही सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्राविधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं के मानदेय की राशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के उपरान्त जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

शैक्षिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली :- बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही ई0 एम0आई0एस0 द्वारा कैप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1999 - 2000 से वर्ष 2000 - 20001 तब के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर डाटा वेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है उससे शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधयां का अनुश्रवण, आंकड़ो का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा, इन दोनो कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावाधिक एवं उपयुक्त ई0 एम0 आई0 एस0 तथा प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर को औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रति वर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटर गाईड ई0 एम0 आई0 एस0 के संचालनार्थ एक

ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे। जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0 एम0 आई0 एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ो के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

1. विघालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण एवं वितरण कराना।
2. समय से फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
3. माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विघालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
4. भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चेकिंग सम्पादित कराना तथा यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
5. समय बद्ध रूप से दिसम्बर के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिर्पोट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
6. न्याय पंचायत वार व विकास खण्डवार जनपद की ई0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डायट, जिला समन्वयको तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
7. सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथ राज्य स्तरीय बैठको/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।
8. माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिर्पोट तैयार कर सभी सम्बन्धित को प्रस्तुत / प्रेषित करना ।
9. **प्रशिक्षण** :-विघालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें उन्हे ई0 एम0 आई0 एस0 सम्बन्धी प्रपत्र भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विघालय सम्बन्धी आकड़ो के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिए फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आकड़ो के शुद्धता की जांच हो सके।

ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (जनपद स्तर पर) :-यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, कम्प्यूटर स्टाफ, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर) :- यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बी0 आर0 सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर) :- यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा। इसमे एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

ई0 एम0 आई0 एस0 प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट स्तर) :-एस0 पी0 ओ0 / सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा। इसमें डी0 पी0 ओ0 तथा बी0 आर0 सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर प्रतिभाग करेंगें।

आंकड़ो का उपयोग :- ई0 एम0 आई0 एस0 आकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स जैसे जी0 ई0 आर0, एन0 ई0 आर0, ड्रापआउट दर, रिप्टीशन दर, छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। इन इण्डीकेटर्स का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार - बार सूचनाओं के एकत्रीकरण से समय की बचत हो सके। माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आकड़ो तथा ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त आकड़ो का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदनुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश संसोधन अभीष्ट होगा। ई0 एम0 आई0 एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आकड़ो का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जोयगा।

1- नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।

2- शिक्षा गारण्टी केन्द्र हेतु असेवित बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण करना।

3- छात्र संख्या की वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता की पहचान।

4- एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

5- छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

6- बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायत का चिन्हीकरण।

7- निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण लाभार्थियों की संख्या का आकलन।

8- अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आकलन व निर्धारण।

9- शिक्षको का विवरणं

10- विभिन्न स्तरो पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

11- विकलांगता वार आंकड़ो के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

<u>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान</u> :- जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एक शीर्षस्य अकादमिक संस्था है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डी0पी0ई0 पी0 के अर्न्तगत शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहु आयामी रणनीति अपनाई गई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत शिक्षा के सार्वजनीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से डायट द्वारा विस्तृत रणनीति बनाकर क्रियान्वयन किया जायेगा।

<u>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य एवं दायित्व निम्नवत है</u> :

1- जनपद में सेवारत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अध्यापकों का प्राशिक्षण आयोजित करना।

2- राज्य एंव राष्ट्र ीय स्तर के प्रमुख संस्थानो से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानो तथा अल्प कालिक शोध कार्यो के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3- ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।

4- जिले स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों / निष्कर्षो की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5- जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना, परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों का सहयोग प्रदान करना।

6- ब्लाक संसाधन केन्द्रो के समस्त शैक्षिक क्रिया कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7- जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8- जनपद स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9- न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना एवं इसके लिए बेस लाइन सर्वे करवाना।

10- बेसिक शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11- शैक्षिक आकड़ों का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उपयोग हेतु सम्बन्धित अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0 सी0 सी0 ई0 कार्यकात्रियो तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के अनुदेशकों , शिक्षामित्रों, विघाकेन्द्रों के आचार्यो, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों , निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

<u>वित्तीय प्राविधान</u> :-

सर्व शिक्षा अभियान् हेतु जनपद का पर्सपेक्टिव प्लान (2001-2010) सीमेन्ट व राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजंना, लखनऊ के दिशा निर्देश में तैयार करने के उपरान्त् भारत सरकार द्वारा इसका अनुमोदन राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लिया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त् जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की तरह प्रत्येक वर्ष हर जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण करेगा। सीमेट के अप्रेजल तथा राज्य परियोजना कार्यालय के अनुमोदन उपरान्त् राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक जनपद को बजट के अनुसार धन जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी अलग-अलग कार्ययोजना एवं बजट के अनुसार करायी जायेगी। निर्माण कार्यो, सामुदायिक गतिशीलता, वैकल्पिक शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायिक संस्था को जैसे वी0आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0, ग्राम शिक्षा समिति, स्वंय सेवी संस्थाओं, विघालयों व अध्यापकों की हस्तारित की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की तरह सर्वशिक्षा अभियान में भी उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्गत वित्तीय संदर्शिका में निहित नियमों व निर्देशों के अनुरूप ही प्रत्येक स्तर पर व्यय किया जायेगा। पूर्व की तरह ही जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय उपाध्यक्ष के रूप में जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति के सदस्य होगें। 5000रू0 से अधिक का व्यय जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से किया जायेगा। जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा

अभियान का अलग बैंक खाता होगा। जिसका संचालन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। डायर का खाता भी प्राचार्य तथा डायर में लेखा सम्बधी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। इसी वी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 तथा ग्राम शिक्षा समिति का खाता भी सयुक्त रूप से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में संसाधन की आवश्कता पड़ने पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा। लेखा जेखा तथा वित्तीय प्रबन्धन व नियमों की जानकारी हेतु पहले वर्ष सम्बन्धित को प्रशिक्षण दिया जायेगा प्रतिमाह डायर तथा जिला परियोजना कार्यालय द्वारा मासिक व्यय विवरण राज्य परियोजना की मासिक बैठक में उपलब्ध कराया जायेगा।

<u>आडिट व्यवस्था</u> :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपदो के लेखे जोखे की आडिट उ0 प्र0 परियोजना परियोजना परिषद द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एवं एकाउन्टेण्ट द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी परियोजना परिषद द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा। उ0 प्र0 महालेखाकार इलाहाबाद द्वारा राज्य/भारत सरकार के नियमों के अर्न्तगत किये गये व्यय का आडिट भी प्रति वर्ष किया जायेगा।

पूर्व की भॉति प्रति माह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों , जिला समन्वयकों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षणों तथा वी0 आर0 सी0 समन्वयकों एवं प्राचार्य डायट द्वारा वी0 आर0 सी0 समन्वयकों की बैठक आयोजित की जायेगी। जिसमें योजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप सफलतम बनाने हेतु फीड बैंक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता पड़ने पर बैठक में चर्चा की जायेगी। प्रत्येक माह जनपद की पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट कम्प्यूटर द्वारा तैयार करयी जायेगी। निष्कर्षों के आधार पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में संशोधन राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा। विगत् वर्ष की अनुभूत कठिनाइयों, ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त सूचको के आधार पर अग्रिम वर्ष हेतु कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया जायेगा। कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

नेशनल प्रोग्राम फार द एजूकेशन आफ गर्ल्स ऐट द एलीमेण्ट्री लेवल (एन0पी0ई0जी0ई0एल0) कार्यक्रम

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के सम्बर्धन हेतु एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 नामक कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यालयों में लागू होगा जहाँ महिला साक्षरता दर 30.62 (वर्ष 91 जनगणना) और पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में जेण्डर गैप 27.25 से अधिक हो तथा 642 Urban Wards के मलिन बस्तियों में समलित किया जायेगा। प्रथम चरण में वर्ष 2003–04 हेतु कुल 2374 ऐसे विद्यालय चिन्हित किये गये है। अगामी वर्ष में समस्त चिन्हित विकास खण्ड एवं नगरीय वार्डो के अन्य विद्यालयो के आच्छादन की योजना है। परियोजना हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की भांति ही व्ययभार का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन होगा।

प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन ढाँचा

- राज्य स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। परिषद के अन्तर्गत विकसित जेण्डर यूनिट द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित जिला परियोजना समिति द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्षमता सम्बर्धन हेतु एक जेण्डर यूनिट का गठन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- ब्लाक स्तर पर परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत ब्लाक स्तरीय दो सहायक समन्वयक में से एक जेण्डर को–आर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा जोकि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

- जिन जनपदों के विकास खण्डों में महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम परियोजना के समन्वय के साथ महिला सामाख्या द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा तथा ब्लाक जेण्डर समन्वयक के रूप में महिला सामाख्या के ब्लाक प्रतिनिधि कार्य करेंगे / करेंगी। परियोजना में 5 जनपदों में महिला सामाख्या कार्यरत है तथा कुल 5 ब्लाकों में कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।

बजट व्यवहार – परियोजना के पूर्व तक नियमानुसार एन0पी0ई0जी0ई0एल0 बजट व्यवहृत किया जायेगा। केवल ऐसे विकासखण्ड जहाँ महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर किया जाने वाला व्यय महिला सामाख्या द्वारा व्यवहृत किया जायेगा। परन्तु विद्यालय स्तर का व्यय परियोजना में नियमानुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। जिसकी मानीटरिंग महिला सामाख्या करेगी।

प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु एवं बजट विवरण

➢ आच्छादित क्षेत्रः– भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उ0 प्र0 के 70 जनपदों के 774 विकासखण्डों तथा 642 नगर क्षेत्रों के कुल 2374 विद्यालयों को प्रथम चरण मे मॉडल क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, अगामी वर्षो में अन्य विद्यालयों के चयन की योजना है।

➢ मदवार बजट :–

1. क्लास्टर विद्यालय हेतु आवर्तक अनुदान :– बालिका शिक्षा सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से विद्यालय का रख–रखाव करनें तथा कौशल आधारित विषयों पर प्रति विद्यालय अनुदेशक की व्यवस्था हेतु कुल रू0 20,000.00 प्रति विद्यालय

आवर्तक अनुदान रखा गया है। अनुदेशक का मानदेय रू0 1000.00 प्रतिमाह होगा तथा एक विद्यालय पर अधिकतम तीन माह के लिए अनुदेशक रखा जायेगा। अनुदेशकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

आवर्तक अनुदान का मदवार विवरण–

- अनुदेशक मानदेय – 3000.00
- लकड़ी की बेंच एवं मेज (बच्चों के बैठने हेतु)– 15000.00
- अन्य रख–रखाव – 2000.00

2. छात्र मूल्यांकन, Remedial Teaching, ब्रिजकोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत बालिकाओं के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने, विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिए ब्रिजकोर्स अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रति विद्यालय रू0 10,000.00 की धनराशि प्रस्तावित है।

3. अध्यापक प्रशिक्षण – बालिकाओं के कौशल विकास हेतु पर एक विद्यालय के 4 अध्यापकों को कार्यानुभव शिक्षा प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत प्रति अध्यापक प्रति दिन रू0 70.00 होगी।

4. शिशु शिक्षा केन्द्र :– आंगनवाड़ी विभाग के साथ कन्वर्जेस करते हुए क्लस्टर विद्यालय पर ई.सी.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर केन्द्र संचालन मीना मंच द्वारा किया जाने का प्रस्ताव हैं। प्रति केन्द्र रू0 6000 की दर से बजट प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्र संचालन की प्रक्रिया तथा बजट का ब्रेक–अप निम्नवत है।

- चयन प्रक्रिया – मंच की आम सभा में संचालिका का चयन किया जायेगा तथा मंच के प्रस्ताव पर ग्राम शिक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- मीना मंच की कार्यकारिणी समिति केन्द्र संचालन का सुपरविजन करेंगी।
- मंच की अन्य बालिकाएं केन्द्र का सहयोग करेंगी।
- केन्द संचालन मीना कक्ष में किया जायेगा।

संचालिका हेतु पात्रता–

14–18 वय वर्ग की मीना मंच की सदस्य हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हो।

बजट विवरण –

मानदेय : 400 प्रतिमाह प्रति संचालिका। (10 माह हेतु)

केन्द्र स्थापना –2000 प्रति केन्द्र (सामग्री सूची तथा कय प्रकिया ई0सी0सी0ई0 की भांति रहेगी)।

5. क्लस्टर विद्यालयों की बालिकाओं हेतु यूनिफार्म तथा वक 'बुक हेतु प्रति बालिका रू0 150.00 की दर से धनराशि अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

6. सामुदायिक सहभागिता :– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रति जनपद कुल रू0 1,40,000.00 की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था शामिल है। उक्त धनराशि का फॅाटवार विवरण निम्न है।

   प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक चयनित क्लस्टर विद्यालय पर एक विशेष डिजाइन का रिक्शा होगा जो लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करेगा। क्लस्टर विद्यालय हेतु बालिकाओं की सांस्कृतिक टीम को गांव में भ्रमण करायेगा, ऐसी बालिकायों जो विकलांग हैं अथवा विद्यालय दूरी के कारण स्कूल नहीं आती हैं। उन्हे विद्यालय

लाने ले जाने का कार्य करेगा। रिक्शा चालक के रूप में गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी। रिक्शा चालक को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली समय में रिक्शा का प्रयोग अपनी रोजी हेतु कर सकता है। यदि समुदाय चाहे तो रिक्शा चालक को मानदेय दे सकती है।

बजट ब्रेक अप–

- रिक्शा – 10,000.00 X क्लस्टर विद्यालयों की संख्या (यह बजट जनपदवार अलग–अलग होगा)
- टी0ए0/डी0ए0– 20,000.00 प्रति जनपद
- मेला सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रचार प्रसार – 20,000.00 प्रति जनपद

7. **लायब्रेरी स्थापना खेलकूद की सामग्री आदि** – क्लस्टर विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी तथा खेलकूद के लिए झूलों आदि की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्रति विद्यालय रू0 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी हैजिसका बजट ब्रकअप निम्नवत है।

1	झूला	@ 15000.00
2	सायकिल	@ 900.00 X 5=4500.00
3	बेइंग मशीन	@ 500.00
4	किताबें	@ 5000.00
5	साउन्ड सिस्टम 1	@ 1500.00

6	आडियो सिस्टम 1 (टू इन वन)	@ 1500.00
7	अन्य आवश्यकतानुसार	3000.00

8. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 2,00,000 (दो लाख की दर से लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर नगर जनपदों हेतु धनराशि वर्ष 2003–04 हेतु प्रस्तावित की गयी है।

9. प्रदेश के 623 नगर क्षेत्रों के लगभग 8000 वार्डों के मलिन बस्तियों 20 प्रतिशत (लगभग 1600 वार्डों) विद्यालयों हेतु रू0 5 लाख प्रति वार्ड प्रस्तावित हैं।

10. कुल बजट का 6 प्रतिशत मैनेजमेंट कास्ट अनुमन्य है।

नोट :– *विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री की* व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की पी0ए0बी0 में उक्त प्रस्ताव गया था जिसमें कुछ संशोधन मांगे गये थे जिनको अवगतार्थ प्रेषित हैं। उनके द्वारा कुछ विस्तृत सूचनायें मांगी गई हैं। जिनका approval माँगा गया है।

प्रस्ताव :– **(A)** कार्य क्रम समिति एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम से उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहें जिससे इस कार्यक्रम को औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को योजना की मंजूरी हेतु प्रेषित किया जा सके।

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता दर जनपद (%)	जेन्डर गैप जनपद (%)	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर (%)	जेन्डर गैप (%)	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
1	वहराइच		21.17	शिवपुर	5.01	21.8			0
				पयागपुर	13.32	35.1			0
				चित्तौरा	8.11	31.81			0
				कैसरगंज	10.35	25.76			0
				महसी	10.64	26.56			0
				जरवल	9.62	26.04			0
				मिहीपुरवा	7.53	22.03			0
				बलहा	5.59	22.55			0
				तेजवा पुर	8.2	24.65			0
				हून्नूरपुर	14.48	24.51			0
				विश्वेश्यर गंज	11.01	34.74			0
				फखरपुर	8.92	24.04			0
				नवाबगंज	8.42	27.01			0
2	गोण्डा	13.42	30.06	झंझरी	13.3	34			0
				पण्डरी कृपाल	8.1	28.8			0
				मुजेहना	8.7	30.5			0
				इटियाथोक	8.1	30.9			0
				रूपैडिह	7.7	31.02			0
				वजीरगंज	12.3	33.01			0
				नवाबगंज	10.2	27.05			0
				तरबगंज	10.8	30.09			0
				बेलसर	10.7	29.03			0
				कटराबाजार	5.5	28.06			0
				करनैलगंज	9.8	27.8			0
				बभनजोत	9.7	28.6			0
				छपिया	15.8	32.3			0
				हलधरमऊ	9.9	33			0
				मनकापुर	14.1	31.04			0
				परसपुर	12.6	32.06			0
3	श्रावस्ती		34.34	गिलौला	23.99	29.54	1924	1597	3521
				जमुनहा	18.31	24.24	4750	4158	8908
				हरिहरपुर रानी	20.12	24.02	7157	6380	13537
				सिरसिया	15.12	20.58	4112	3596	7708
				इकौना	24.63	29.73	6256	5780	12036
4	बलरामपुर		23.21	उतरौला	17.7	26.33	2395	2458	4853
				रहरा बाजार	10.4	27.3	2510	2264	4774
				हरैया सतधरवा	4.5	22.3	4639	3932	8571
				बलरामपुर	9.9	25.6	4691	4234	8925
				तुलसीपुर	7.2	18.6	4520	3939	8459
				पचपूड़वा	8.7	25.3	5346	5547	10893
				बैसड़ी	7.2	20.5	3872	3724	7596

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				गैण्डासबुजुर्ग	9.8	23.8	1497	1475	2972
				श्रीदत्त गंज	7.8	24.2	2942	2691	5633
5	रामपुर		18.48	स्वार	9.08	17.03	9448	9380	18828
				बिलासपुर	16.8	18.01	7511	7167	14678
				सैदनगर	3.07	17.02	5769	6812	12581
				चमरौआ	3.09	18.05	5583	5143	10726
				शाहबाद	5.04	22.01	8744	8837	17581
				मिलक	8.03	25.07	5639	5244	10883
6	बदायूँ			कावर चौक	6.44	21.25	3752	3645	7397
				उझानी	13.44	25.63	4212	4435	8647
				इस्लामनगर	9.33	24.96	4507	4371	8878
				सालार पुर	9.52	24.57	4643	4399	9042
				सहसवान	4.84	17.89	10997	9544	20541
				जगत	11.08	25.7	4179	4748	8927
				जूनावई	4.08	20.99	4160	4281	8441
				दातागंज	9.36	22.19	4490	4278	8768
				उसावा	6.47	20.89	4447	3445	7892
				मिआउल	10.62	26	4413	4757	9170
				समरेर	7.33	23.34	4800	4443	9243
				वजीरगंज	10.35	26.16	864	912	1776
				अम्बियापुर	9.71	23.32	6346	6230	12576
				गुन्नौर	3.81	19.58	8271	9093	17364
				आसफपुर	10.63	27.06	5901	5305	11206
				बिसौली	10.42	26.81	5478	5975	11453
				रजपुरा	3.4	16.18	7549	8553	16102
				दहगया	3.76	13.59	9102	8397	17499
7	सिद्धार्थनगर	11.92	29.4	साथा	12.62	34.86			0
				खसहरा	10.79	31.28			0
				बांसी	8.01	26.32			0
				मिठवल	11.96	32.56			0
				डुमरियागंज	19.22	28.39			0
				भनवापुर	9.57	26.75			0
				इटवा	10.63	23.65			0
				खुनियांव	6.44	25.94			0
				जोगिया	5.07	27.77			0
				उरका	11.02	30.38			0
				नौगढ़	10.64	33.19			0
				शोहरतगढ़	8.68	30.94			0
				बढ़नी	9.34	22.08			0
				वर्डपुर	11.05	32.06			0
8	महाराजगंज		35.04	बिठौरा	27.05	39	2214	2779	4993
				निचलौल	25.5	27.06	12094	5711	17805
				सिसवां	28.04	37	3997	5476	9473

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गेप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
				घुघली	29.03	39.02	1526	2320	3846
				पुरतापल	29.02	43.03	3242	3538	6780
				पनियरा	26.04	40.05	2734	2236	4970
				फरेंदा	26.8	40.08	2385	1355	3740
				धानी	28.05	37.09	904	913	1817
				लक्ष्मी पुर	29.02	34.06	4579	4739	9318
				नौतनवा	28.09	35.08	13290	5717	19007

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोग्राम आफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (NPEGEL) की कार्ययोजना एवं बजट वर्ष **2003-04**

S.No	Name of Item	Unit	Balrampur		Budaun		Srabasti		Gonda		Bahraich	
		Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Recurring grant	20000	9	180000	18	360000	5	100000	16	320000	14	280000
2	Awards to teachers	5000	9	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative Schooling	10000	9	90000	18	180000	5	50000	16	160000	14	140000
4	Learning through open schools	50000					0		0		0	
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	64	8960	56	7840
6	Child care Centers	6000	9	54000	18	108000	5	30000	16	96000	1	6000
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	176280	3600	234000	903	58695	4090	265850	3500	227500
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	420000
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	200000
	Total			2715320		5172080		1531495		4670810		1421340
	Management cost (6%)			162919.2		310324.8		91889.7		280248.6		85280.4
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**4238**	**4951059**	**3604**	**1506620**

Rampur		Maharajganj		Siddarthngar		Total	
Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
6	120000	11	220000	12	240000	91	1820000
0	0	0	0	0	0	9	0
6	60000	11	110000	12	120000	91	910000
0		0		0		0	0
24	3360	44	6160	44	6160	360	50400
3	18000	0	0	6	36000	58	348000
1500	97500	2750	178750	3000	195000	22055	1433575
4	140000	4	140000	4	140000	32	1120000
6	180000	11	330000	12	360000	91	2730000
3	600000	10	2000000	6	1200000	68	13600000
	1218860		2984910		2297160	0	22011975
	73131.6		179094.6		137829.6	0	1320718.5
1552	**1291992**	**2841**	**3164005**	**3096**	**2434990**	**22855**	**45344668.5**

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - BAHRAICH

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC						0	0.00	
1	Asstt.Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00		0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments			10.00		0.00	0	0.00	
3	Travlling Allowance & Meeting			6.00	14	84.00	14	84.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	14	70.00	14	70.00	
7	Contegency			12.50	14	175.00	14	175.00	
	TOTAL BRC	0	0.00		42	329.00	42	329.00	
(II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture/fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Coridinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM			1.00	136	136.00	136	136.00	
11	Contegency			2.50	136	340.00	136	340.00	
12	Meeting & TA			2.40	136	326.40	136	326.40	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		408	802.40	408	802.40	
(III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School			259.00	90	23310.00	90	23310.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	21	1428.00	280.00	53	14840.00	74	16268.00	Spill.Handpump
15	Additinal Classrooms PS			70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS			70.00	18	1260.00	18	1260.00	
17	Toilets PS			10.00	0	0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	65	650.00	65	650.00	
19	Reconstruction PS			191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	2	766.00	2	766.00	
21	Drinking Waters PS			15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00	0	0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining			250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	21	1428.00		228	40826.00	249	42254.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)			0.845	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	28	1008.00	28	1008.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	138	4664.40	138	4664.40	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		167.00	5852.40	167.00	5852.40	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		167	5852.40	167	5852.40	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
34	Free Text Books PS			0.05	182	9.10	182	9.10	
35	Free Text Books UPS			0.15	16230	2434.50	16230	2434.50	
	TOTAL Text Book	0	0.00		16412	2443.60	16412	2443.60	
(VII)	IED								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	2116	2539.20	2116	2539.20	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCC				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
57	P.S.			5.00	1692	8460.00	1692	8460.00	
58	U.P.S.			5.00	215	1075.00	215	1075.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1907	9535.00	1907	9535.00	
(XIII)	DPO								
	Management Cost	0.00	0.00			2370.00	0	2370.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
71	P.S.			1.40	0	0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	236	330.40	236	330.40	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		236	330.40	236	330.40	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	17	34.00	17	34.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	316	632.00	316	632.00	
	Total School Grant	0	0		333	666.00	333	666.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - BAHRAICH

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVI)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)						0	0.00	
75	Salary of Asstt Teacher PS			9.00	0	0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	63	7560.00	63	7560.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25	0	0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	**0**	**0.00**		**63**	**7560.00**	**63**	**7560.00**	
(XVII)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
79	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	90	4860.00	90	4860.00	6 Months
80	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	159	9540.00	159	9540.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	90	1215.00	90	1215.00	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	1121	15133.50	1121	15133.50	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	**0**	**0.00**		**1460**	**30748.50**	**1460**	**30748.50**	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	**0**	**0.00**		**1523**	**38308.50**	**1523**	**38308.50**	
XVIII	TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
84	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	152	76.00	152	76.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	1772	886.00	1772	886.00	
	TOTAL Teacher Grant	**0**	**0.00**		**1924**	**962.00**	**1924**	**962.00**	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
87	TLE PS @10			10.00	90	900.00	90	900.00	
88	TLE UPS @50	21	1050.00	50.00	53	2650.00	74	3700.00	
88 (a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB	30	1500.00	50.00	0	0.00	30	1500.00	
	TOTAL Teaching Leaining Equipments	**51**	**2550.00**		**143**	**3550.00**	**194**	**6100.00**	
(XX)	TEACHER TRAINING						0	0.00	
89	Induction Traininmg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	50	105.00	50	105.00	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	214	299.60	214	299.60	
91	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	1092	1146.60	1092	1146.60	
	TOTAL Teacher Training	**0**	**0.00**		**1356**	**1551.20**	**1356**	**1551.20**	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
92	VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
XXIII	EMIS CELL						0	0.00	
	TOTAL EMIS Cell	**0**	**0.00**			**244.00**	**0**	**244.00**	
XXIII	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		3978.00			115309.70		119287.70	

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
BAHRAICH

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	90	23310	0	0	4	1024	0	0	94	24334
A2	New Upper Primary Schools	451	21	9471	53	14840	0	0	4	1120	0	0	78	25431
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	63	6660	63	7560	63	7560	63	7560	63	7560	315	36900
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	90	1215	90	2227.5	94	2326.5	94	2326.5	368	8095.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	90	4860	90	9720	94	10152	94	10152	368	34884
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	159	9540	159	19080	171	20520	171	20520	660	69660
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0	0	0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	90	900	0	0	4	40	0	0	94	940
A8.2	UPS	50	37	1850	53	2650	0	0	4	200	0	0	94	4700
A9	TLE UPS not covered OBB	50	30	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**19481**	0	**64875.00**	0	**38587.50**	0	**42942.50**	0	**40558.50**		**208444.50**
	Interventions for out of school children													
A11	Alternative Schools													
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	180	3802.5	270	5703.75	325	6865.625	775	16371.875
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	[illegible] models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	140	2957.5	215	4541.875	285	6020.625	640	13520
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	26	1008	150	5400	230	8280	292	10512	700	25200
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	10	1800	6	1080	4	720	21	3780
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	138	4664.4	30	1014	20	676	10	336	198	6692.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACCESS Subtotal		0	**19481.00**	0	**70727.40**	0	**53561.50**	0	**63224.13**	0	**68014.75**	**0**	**272006.78**
R	**RETENTION**													
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	2	766	30	11490	0	0	0	0	32	12256
R3	**Additional Classrooms**													
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	500	35000	500	35000	388	27160	1388	97160
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	10	700	18	1260	15	1050	0	0	0	0	43	3010
R4.1	Toilets Upper Primary	10	35	350	65	650	30	300	0	0	0	0	130	1300
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	300	3000	300	3000	292	2920	892	8920
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1692	8460	1692	8460	1782	8910	1786	8930	6952	34760
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	215	1075	215	1075	269	1345	322	1610	326	1630	1347	6735
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1121	27744.75	2229	55167.75	2357	58335.75	5707	141248.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	976	93696	1054	101184	1133	108768	3163	303648
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1121	15134	1108	27423	128	3168	71	1757.25	2428	47481.75
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	17	34	1692	3384	1786	3572	1786	3572	5281	10562
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	215	430	316	632	269	538	326	652	326	652	1452	2904
R12	**Promoting Girls Education**			500										500
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	140	630	140	630	140	630	420	1890
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	25	1875	25	1875	25	1875	75	5625
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	10	14	10	14	10	14	30	42
	Opening of ECCE centers						0	0						
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	1500	0	0	0	1500		1500	0	1500	0	6000
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials	0	0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.5	Training		0	0	0		0	0	0	0	0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	200	560	200	560	200	560	600	1680
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 ps per NPRC)	5	0	0	0	0	136	680	136	680	136	680	408	2040
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	901	432.48	901	432.48	901	432.48	2703	1297.44
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	1	5	1	5	1	5	3	15
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	1650	0	0	0	1650	0	1650	0	1650	0	6600
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0		5000	70	4200	70	4200	70	4200	210	17600
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RETENTION Sub Total		0	**6206.00**	0	**33010.50**	0	**225002.23**	0	**223835.23**	0	**226296.48**	**0**	**713349.44**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**													
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	111	233.1	50	105	800	1680	804	1688.4	800	1680	2565	5386.5
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	2000	4200	2016	4233.6	2000	4200	6016	12633.6
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	214	299.6	2600	3640	3004	4205.6	3004	4205.6	8822	12350.8
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	1092	1146.6	800	840	812	852.6	812	852.6	3516	3691.6
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	918	1285.2	0	0	2100	2940	2104	2945.6	2104	2945.6	7226	10116.4
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	200	420	200	420	200	420	600	1260
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	28	19.6	28	19.6	28	19.6	84	58.8
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	136	95.2	136	95.2	136	95.2	408	285.6
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	50	70	50	70	50	70	150	210
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	15	5.25	15	5.25	15	5.25	45	15.75
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	16	2116	2539.2	4410	5292	4410	5292	4410	5292	15346	18431.2
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by *RCI*	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	1029	514.5	152	76	4600	2300	4608	2304	4608	2304	14997	7498.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	0	0	1772	886	900	450	912	456	912	456	4496	2248
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	182	9.1	180000	9000	200000	10000	220000	11000	600182	30009.1
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	18873	2830.95	16230	2434.5	20000	3000	25000	3750	30000	4500	110103	16515.45
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	QUALITY Sub Total		0	**4879.75**	0	**7496.00**	0	**33977.05**	0	**36362.85**	0	**38070.85**		**120786.5**
C	**CAPACITY BUILDING**													
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	1	60	1	60	3	180
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	*Maintenance of Computer Room*	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	14	2016	14	2016	14	2016	42	6048
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	14	924	14	924	14	924	42	2772
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	14	504	14	504	14	504	42	1512
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	14	140	14	140	14	140	42	420
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	14	84	14	84	14	84	14	84	56	336
C2.7	*Maintenace of Equipment*	2	0	0	0	0	14	28	14	28	14	28	42	84
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	14	140	14	140	14	140	42	420
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	14	70	14	70	14	70	14	70	56	280
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	14	70	14	70	14	70	42	210
C2.11	Contigency	12.5	0	0	14	175	14	175	14	175	14	175	56	700
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	14	50.4	14	50.4	14	50.4	42	151.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	136	19584	136	19584	136	19584	408	58752
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	136	680	136	680	136	680	408	2040
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	136	136	136	136	136	136	136	136	544	544
C3.4	Contingency	2.5	0	0	136	340	136	340	136	340	136	340	544	1360
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	136	326.4	136	326.4	136	326.4	136	326.4	544	1305.6
C4	District Project Office/Management		0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726
C4.1	Staffing		0	0	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	2370
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	3	90	1	30	1	30	5	150
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	15	270	15	270	15	270	45	810
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	5	50	5	50	5	50	15	150
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1692	2368.8	1782	2494.8	1782	2494.8	5256	7358.4
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	252	352.8	236	330.4	269	376.6	322	450.8	322	450.8	1401	1961.4
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	2	20	2	20	2	20	6	60
	Total		0	**1078.80**	0	**3831.80**	0	**29821.20**	0	**29961.40**	0	**29961.40**		**94654.60**
C5	**MIS**					0								
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0		244	0	0	0	0	0	0	0	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1078.80**	0	**4075.80**	0	**30201.20**	0	**30341.40**	0	**30341.40**	0	**96038.60**
	GRAND TOTAL		0	**31644.55**	0	**115309.70**	0	**342741.98**	0	**353763.61**	0	**358723.48**	0	**1202183.32**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention											**BAHRAICH**
			2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
Civil			10521.0		40826.0		50840.0		40144.0		30080.0		172411.0
Management			352.8		330.4		3875.4		4015.6		4015.6		12833.8
Programme			20770.8		74153.3		288026.6		309604.0		324627.9		1016938.5
Total			**31644.6**		**115309.7**		**342742.0**		**353763.6**		**358723.5**		**1202183.3**
Percentage - Civil			**33.2**		**35.4**		**14.8**		**11.3**		**8.4**		**14.3**
Percentage - Management			**1.1**		**0.3**		**1.1**		**1.1**		**1.1**		**1.1**
Percentage - Programme			**65.6**		**64.3**		**84.0**		**87.5**		**90.5**		**84.6**
Percentage - Total			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**